लोक सभा

समाचार - भाग 1
(कार्यवाही का संक्षिप्त वृतांत)

सोमवार, 14 सितम्बर, 2020/23 भाद्रपद, 1942 (शक)

संख्या 81

पूर्वाहन 9.00 बजे

1. राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

पूर्वाहन 9.02 बजे

2. **निधन संबंधी उल्लेख**

अध्यक्ष ने श्री प्रणब मुखर्जी, भारत के पूर्व राष्ट्रपति , भारत रत्न से सम्मानित और चौदहवीं और पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्य निधन के संबंध में उल्लेख किया।

अध्यक्ष ने आगे श्री एच. वसंतकुमार, लोक सभा के वर्तमान सदस्य; पंडित जसराज, सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक; श्री गुरदास सिंह बादल, सदस्य, पांचवीं लोक सभा; डॉ. नेपाल सिंह, सदस्य, सोलहवीं लोक सभा; श्री अजीत जोगी, सदस्य, बारहवीं और चौदहवीं लोक सभा; श्री पी. नामग्याल, सदस्य, सातवीं, आठवीं और ग्यारहवीं लोक सभा; श्री पारसनाथ यादव, सदस्य, बारहवीं और चौदहवीं लोक सभा; श्री माधव राव पाटिल, सदस्य, बारहवीं लोक सभा; श्री हरिभाऊ माधव जावले, सदस्य, चौदहवीं और पंद्रहवीं लोक सभा; श्रीमती सरोज दूबे, सदस्य, दसवीं लोक सभा; श्री लालजी टंडन, सदस्य, पंद्रहवीं लोक सभा; श्रीमती कमल रानी, सदस्य, ग्यारहवीं और बारहवीं लोक सभा; श्री चेतन चौहान, सदस्य, दसवीं और बारहवीं लोक सभा; श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल, सदस्य, चौदहवीं लोक सभा; और डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह, सदस्य, ग्यारहवीं से पन्द्रहवीं लोक सभा के निधन का उल्लेख किया।

अध्यक्ष ने सभा की ओर से सशस्त्र बलों, अर्द्धसैनिक बलों के कर्मियों, पुलिसकर्मियों और कोरोना योद्धाओं को भी श्रद्धांजलि दी।

तत्पश्चात सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

(लोक सभा पूर्वाह्न 9.17 बजे स्थगित हुई और पूर्वाह्न 10.18 बजे पुनः समवेत हुई।)

पूर्वाह्न 10.18 बजे

3. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने बैठने की व्यवस्था के बारे में नियम 2 तथा 384 के अंतर्गत टिप्पणी* की।

पूर्वाह्न 10.30 बजे

4. सभा के कार्य के संबंध में प्रस्ताव

श्री प्रहलाद जोशी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लोक सभा का वर्तमान सत्र कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण असाधारण परिस्थितियों में संचालित किया जा रहा है, जिसके लिए सुरक्षित दूरी बनाये रखने एवं संसद परिसर के भीतर सरकारी अधिकारियों एवं अन्य की आवाजाही को कम-से-कम रखे जाने की आवश्यकता है, यह सभा संकल्प करती है कि तारांकित प्रश्नों और गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को सत्र के दौरान सभा के कार्य के लिए सभा के समक्ष न लाया जाये एवं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम में इन विषयों संबंधी सभी सुसंगत नियमों को एतद्द्वारा उस सीमा तक निलंबित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

* मूलतः हिन्दी में। विवरण के लिए इस दिन का वाद-विवाद देखें।

पूर्वाह्न 10.48 बजे

5. [&]अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष ने घोषणा की कि कोविड-19 की विद्यमान स्थिति के कारण संसदीय कार्य मंत्री ने संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री को सभी मंत्रियों की ओर से सभा पटल पर पत्र रखे जाने के लिए अनुमति देने हेतु अनुरोध किया है और उन्होंने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है।

पूर्वाह्न 10.49 बजे

6. सभा पटल पर रखे गए पत्र

श्री अर्जुन राम मेघवाल (संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री) ने श्रीमती निर्मला सीतारमण (वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्री) की ओर से बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 12) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाने के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री) ने संविधान के अनुच्छेद 123 (2)(क) के अंतर्गत निम्नलिखित अध्यादेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखीः-

(1) राष्ट्रपति द्वारा 31 मार्च 2020 को प्रख्यापित कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों में छूट देना) अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 2)।

(2) राष्ट्रपति द्वारा 7 अप्रैल 2020 को प्रख्यापित संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 3)।

(3) राष्ट्रपति द्वारा 9 अप्रैल 2020 को प्रख्यापित मंत्रियों के संबलम और भत्ते (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 4)।

(4) राष्ट्रपति द्वारा 22 अप्रैल 2020 को प्रख्यापित महामारी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 5)।

(5) राष्ट्रपति द्वारा 24 अप्रैल 2020 को प्रख्यापित होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 6) ।

[&] मूलतः हिन्दी में। विवरण के लिए इस दिन का वाद-विवाद देखें।

(6) राष्ट्रपति द्वारा 24 अप्रैल 2020 को प्रख्यापित भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 7)।

(7) राष्ट्रपति द्वारा 5 जून 2020 को प्रख्यापित आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 8)।

(8) राष्ट्रपति द्वारा 5 जून 2020 को प्रख्यापित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 9)।

(9) राष्ट्रपति द्वारा 5 जून 2020 को प्रख्यापित कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 10)।

(10) राष्ट्रपति द्वारा 5 जून 2020 को प्रख्यापित कृषक (सशक्तीकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 11)।

(11) राष्ट्रपति द्वारा 26 जून 2020 को प्रख्यापित बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 12)।

7. प्रश्न

चूंकि वर्तमान सत्र अर्थात 17वीं लोक सभा के चौथे सत्र में तारांकित प्रश्नों की सूची की व्यवस्था को समाप्त किया गया है इसलिए अतारांकित प्रश्न संख्या 1-230 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

***पूर्वाह्न 11.30 बजे**

8. मंत्री द्वारा वक्तव्य

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री; तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) ने कोविड महामारी और भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में एक वक्तव्य दिया।

पूर्वाह्न 11.44 बजे

9. अनुदानों की अनुपूरक मांगें

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020-2021 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें - पहला बैच को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

---

* पूर्वाह्न 10.50 बजे से 11.29 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

10.अतिरिक्त अनुदानों की मांगें

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2016-2017 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

पूर्वाह्न 11.45 बजे

11. सरकारी विधेयक - वापस लिया गया

[*]बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 56)

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन ने विधेयक को वापस लिए जाने का विरोध किया।

वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री ने सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

12. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020

13. अध्यादेश के बारे में विवरण - सभा पटल पर रखा गया

संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 3) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

14. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

(एक) आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020

श्री अधीर रंजन चौधरी, श्री गौरव गोगोई और प्रो. सौगत राय ने विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) की ओर से सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

---

[*] विधेयक 03.03.2020 को पुरःस्थापित किया गया था। विधेयक को वापस लिए जाने के कारणों को समाविष्ट करने वाला एक विवरण 12.09.2020 (प्रातः) को सदस्यों को परिचालित किया गया है।

(दो) ***समर्थित प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक, 2020***

डॉ. शशि थरूर ने विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री; तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (डॉ. हर्षवर्धन) ने सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

(तीन) अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक, 2020

(चार) कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020

श्री अधीर रंजन चौधरी, प्रो. सौगत राय, श्री गौरव गोगोई और श्री संतोख सिंह चौधरी ने विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा।

कृषि और किसान कल्याण मंत्री; ग्रामीण विकास मंत्री; तथा पंचायती राज मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण प्रश्नों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

15. अध्यादेश के बारे में विवरण - सभा पटल पर रखा गया

कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 10) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

16. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020

श्री अधीर रंजन चौधरी, प्रो. सौगत राय, डॉ. शशि थरूर, श्री गौरव गोगोई और श्री संतोख सिंह चौधरी ने विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध किया।

कृषि और किसान कल्याण मंत्री; ग्रामीण विकास मंत्री; तथा पंचायती राज मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण प्रश्नों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

17. अध्यादेश के बारे में विवरण - सभा पटल पर रखा गया

कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 11) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

18. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

(एक) फेक्टरिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020

(दो) बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020

प्रो. सौगत राय और डॉ. शशि थरूर ने विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा।

वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

अपराह्न 12.41 बजे

19. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) श्री राजू बिष्ट द्वारा शेष बचे गोरखा उप-जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किए जाने के बारे में ।

(2) श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा एनसीईआरटी के इतिहास की पाठ्य-पुस्तकों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) डॉ. उमेश जी. जाधव द्वारा कलबुर्गी में कौशल विकास विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने के बारे में।

(4) डॉ. वीरन्द्र कुमार द्वारा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री संगम लाल गुप्ता द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 96 और राष्ट्रीय राजमार्ग 231 को जोड़ने वाली चार लेन की बाई पास रोड का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री नायब सिंह द्वारा हरियाणा के कुरुक्षेत्र शहर में ट्रैफिक संबंधी समस्या को कम करने के लिए एक रिंग रोड का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी द्वारा भूमिहीन और सीमांत किसानों के कल्याण हेतु उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री अरूण साव द्वारा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में घोंगा (कोरी) बांध से सटे भू-भाग पर पक्षी अभ्यारण्य विकसित किए जाने के बारे में।

(9) श्री उन्मेश भैय्या बी. साहेब पाटिल द्वारा 93 किलोमीटर की औरंगाबाद-चालीसगांव रेलवे लाइन का दूसरा सर्वेक्षण कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्रीमती दिया कुमारी द्वारा माल एवं सेवा कर के संबंध में करदाताओं की चिंताओं के बारे में।

(11) श्री मनोज कुमार तिवारी द्वारा दिल्ली के उत्तर-पूर्व दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दो महाविद्यालयों की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री एल. एस. तेजस्वी सूर्या द्वारा देश में इंडियन वेंचर कैपिटलिस्ट्स से स्टार्टअप्स में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु नीति बनाए जाने की आवश्यककता के बारे में।

(13) श्री शान्तनु ठाकुर द्वारा पश्चिम बंगाल के बनगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता क बारे में।

(14) श्री जॉन बर्ला द्वारा पश्चिम बंगाल के गोरखा और जनजातीय समुदायों की कतिपय जातियों को अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री दुष्यंत सिंह द्वारा राजस्थान के बरान जिले में अवैध बजरी खनन के बारे में।

(16) श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल द्वारा मध्य प्रदेश के खरगौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सुविधा मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री जसबीर सिंह गिल द्वारा सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के कार्यकरण के बारे में।

(18) श्री गौरव गोगोई द्वारा असम में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों की हुई मौत की न्यायिक जांच कराए जाने के बारे में।

(19) श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी द्वारा तेलंगाना में कोविड-19 की स्थिति के प्रबंधन से संबंधित विशेष जांच दल और न्यायिक जांच समिति के बारे में।

(20) श्री वी. कलानिधि द्वारा उत्तर चेन्नई में एक केंद्रीय विद्यालय खोले जाने के बारे में।

(21) श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू द्वारा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की बकाया राशि का भुगतान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(22) श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा बिहार के प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के ग्रंथालय का पुनर्निर्माण किए जाने के बारे में।

(23) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा ओडिशा के कटक में अमृत योजना के अंतर्गत परियोजना के अनुमोदन के बारे में।

(24) श्री मलूक नागर द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में गुर्जर एवं अन्य पिछड़े समुदायों के लोगों को शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(25) श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा कोविड-19 महामारी को देखते हुए ऑनलाइन शिक्षा पर सरकारी व्यय में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(26) श्री (एडवोकेट) ए.एम. आरिफ़ द्वारा कोविड-19 महामारी के पीड़ितों के लिए राहत उपाय किए जाने के बारे में।

अपराह्न 12.42 बजे

20. सरकारी विधेयक - पारित

(एक)# ***राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2020, राज्य सभा द्वारा यथापारित***

(दो)# राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक, 2020, राज्य सभा द्वारा यथापारित

लिया गया समय - 33 मिनट

(एक) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2020, राज्य सभा दवारा यथापारित और (दो) राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक, 2020 पर विचार किए जाने के प्रस्ताव डॉ. हर्ष वर्धन द्वारा श्री श्रीपाद येसो नाईक की ओर से पेश किए गए।

अध्यक्ष ने एक विशेष मामले के रूप में दोनों विधेयकों को पारित करने और भाषणों को सभा पटल पर रखे जाने के बारे में एक टिप्पणी% की।

निम्नलिखित सदस्यों ने सम्मिलित वाद-विवाद में भाग लियाः-

1. डॉ. शशि थरूर
2. डॉ. प्रतिमा मण्डल
3. *श्रीमती सुप्रिया सुले
4. श्री अरविन्द गणपत सावंत
5. *श्री भर्तृहरि महताब
6. *श्रीमती अनुप्रिया पटेल

एकसाथ चर्चा की गई।

%मूलतः हिन्दी में। विवरण के लिए इस दिन का वाद-विवाद देखें।

*लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

7. *श्री सय्यद ईमत्याज ज़लील

8. *श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

9. *डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती

10. *श्री जयदेव गल्ला

11. *श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर

12. *श्री कोडिकुन्नील सुरेश

13. *श्री जगदम्बिका पाल

14. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी

15. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी

16. *डॉ. सुभाष सरकार

17. *श्री उमेश जाधव

18. *डॉ. मोहम्मद जावेद

(एक) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक, 2020, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 59 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

---

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

डॉ. हर्ष वर्धन द्वारा राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

(दो) राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग विधेयक, 2020, राज्य सभा दवारा यथापारित, पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 से 59 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

डॉ. हर्ष वर्धन द्वारा राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

अपराह्न 1.15 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 15 सितम्बर, 2020 के अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृतांत)

मंगलवार, 15 सितम्बर, 2020/24 भाद्रपद, 1942 (शक)

संख्या 82

अपराहन 3.03 बजे

1. **सभा पटल पर रखे गए पत्र**

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री गिरिराज सिंह की ओर से वर्ष 2020-2021 के लिए मत्स्यपालन और जलीयकृषि अवसंरचना विकास के लिए आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पोत परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख मांडविया) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड, डिब्रूगढ़ का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, तुंगभद्रा बांध के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड, तुंगभद्रा बांध का वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ख) (एक) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रयूमेंट्स लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड इन्स्ट्रयूमेंट्स लिमिटेड, जयपुर का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(ग) (एक) सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय मानक ब्यूरो (संशोधन) नियम 2020 जो 18 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 125(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरूपता निर्धारण) संशोधन विनियम, 2020 जो 21 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. बीएस/11/11/2020 में प्रकाशित हुए थे।

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत आवश्यक वस्तु आदेश, 2020, जो 13 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1087 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी.किशन रेड्डी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) संघ राज्यक्षेत्र चण्डीगढ़ पर यथालागू पंजाब गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्था फीस विनियमन अधिनियम, 2016 [2016 का पंजाब अधिनियम सं. (1)] की धारा 23 के अंतर्गत चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र गैर-सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्था फीस विनियमन नियम, 2019 जो 30 अगस्त, 2019 (अंग्रेजी संस्करण में) और 7 अगस्त, 2019 (हिन्दी संस्करण में) के चण्डीगढ़ प्रशासन के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीएसई-यूटी-ए4-24(8)2013 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत दिल्ली पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2007-2008 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत दिल्ली पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2008-2009 से 2013-2014 तक के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले छह विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 से 2018-2019 तक के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) चण्डीगढ़ इंडस्ट्रियल एण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, चण्डीगढ़ के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) चण्डीगढ़ इंडस्ट्रियल एण्ड टूरिज्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, चण्डीगढ़ का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 40 की उप-धारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा सेवा-शर्तें) नियम, 2020, जो 29 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 473 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोत्तम रूपाला) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कॉन्सर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) स्मॉल फार्मर्स एग्री-बिजनेस कॉन्सर्टियम, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 11) के अंतर्गत कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (विवाद समाधान) नियम, 2020, जो 20 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 456 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) और लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसायटी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) शेयर बाजार घोटाला और तत्संबंधी विषयों संबंधी संयुक्त संसदीय समिति, जून, 2020 की सिफारिशों के अनुसरण में की-गई-कार्रवाई संबंधी 34वें प्रगति प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) राज्यवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उप-धारा (1) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-2020 के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय के रूझान की अर्ध वार्षिक समीक्षा और उक्त अधिनियम के अंतर्गत सरकार के दायित्वों को पूरा करने में विचलन को स्पष्ट करने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उप-निरीक्षक (स्टाफ नर्स) समूह 'ख' (कम्बैटाइज्ड पैरा-मेडिकल पद), भर्ती नियम, 2019, जो 7 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 15(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3क की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 927 (अ), जो 2 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सभी वर्गों के यात्रियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश/से निकासी के लिए प्राधिकृत भूमि आप्रवास चेक पोस्ट के रूप में त्रिपुरा राज्य के पश्चिमी त्रिपुरा जिले की अगरतला भूमि चेक पोस्ट को अभिहित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 928 (अ), जो 2 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 02.03.2020 से त्रिपुरा राज्य के पश्चिमी त्रिपुरा जिले स्थित अगरतला भूमि आप्रवास चेक पोस्ट के लिए उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ "सिविल प्राधिकारी" के रूप में वरिष्ठ आप्रवास अधिकारी (आप्रवास ब्यूरो) को नियुक्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ. 929 (अ), जो 2 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सभी वर्गों के यात्रियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश/से निकासी के लिए प्राधिकृत आप्रवास चेक पोस्ट के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तरी 24 परगना जिले की घोजदंगा भूमि चेक पोस्ट को अभिहित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का.आ. 930 (अ), जो 2 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 02.03.2020 से पश्चिम बंगाल राज्य के उत्तरी 24 परगना जिले में स्थित घोजदंगा भूमि आप्रवास चेक पोस्ट के लिए उक्त आदेश के प्रयोजनार्थ "सिविल प्राधिकारी" के रूप में वरिष्ठ आप्रवास अधिकारी (आप्रवास ब्यूरो) को नियुक्त किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

3. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा पुलिस बल, अपर महानिदेशक, भर्ती नियम 2020, जो 30 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 422(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

2. प्रश्न

चूंकि वर्तमान सत्र अर्थात 17वीं लोक सभा के चौथे सत्र में तारांकित प्रश्नों की सूची की व्यवस्था को समाप्त किया गया है इसलिए अतारांकित प्रश्न संख्या 231-460 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. विधेयकों पर अनुमति

(एक) महासचिव ने 3 फरवरी, 2020 को सभा को प्रस्तुत पिछले प्रतिवेदन के पश्चात् 17वीं लोक सभा के तीसरे सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 9 विधेयकों को सभा पटल पर रखाः-

(1) प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास विधेयक, 2020;
(2) केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, 2020;
(3) विनियोग विधेयक, 2020;
(4) विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2020;
(5) जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2020;
(6) जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2020;
(7) जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2020;
(8) जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2020 और
(9) वित्त विधेयक, 2020 ।

(दो) महासचिव ने संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 3 विधेयकों की महासचिव, राज्य सभा द्वारा विधिवत अभिप्रमाणित एक-एक प्रति भी सभा पटल पर रखी-

(1) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2020;
(2) खनिज विधियां (संशोधन) विधेयक, 2020; और
(3) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2020 ।

&4. **श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन**

महासचिव ने श्रम संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को सभा पटल पर रखाः-

(1) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित 'औद्योगिक संबंध संहिता, 2019' संबंधी आठवां प्रतिवेदन*

(2) श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2019' संबंधी नौवां प्रतिवेदन$

अपराह्न 3.05 बजे

5. मंत्री द्वारा वक्तव्य

रक्षा मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) ने "लद्दाख में हमारी सीमाओं पर घटनाक्रम" के बारे में एक वक्तव्य दिया।

6. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

सदस्यों ने लद्दाख में हमारी सीमाओं पर घटनाक्रम के बारे में रक्षा मंत्री के वक्तव्य पर स्पष्टीकारक प्रश्न पूछे।

तत्पश्चात् अध्यक्ष ने टिप्पणी की कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 372 के अनुसार किसी मंत्री द्वारा वक्तव्य दिए जाने के पश्चात् स्पष्टीकारक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती है।

& अपराह्न 3.26 बजे रखे गए।

* प्रतिवेदन को अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश के निदेश 71क के अंतर्गत 23 अप्रैल, 2020 को, जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था, माननीय अध्यक्ष (17वीं लोक सभा) को प्रस्तुत किया गया तथा अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन की अनुमति दी।

$ प्रतिवेदन को अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश के निदेश 71क के अंतर्गत 31 जुलाई, 2020 को, जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था, माननीय अध्यक्ष (17वीं लोक सभा) को प्रस्तुत किया गया तथा माननीय अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन की अनुमति दी।

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर) ने वित्त मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) की ओर से आर्थिक मामले, व्यय, वित्तीय सेवाएं विभाग तथा निवेश और लोक आस्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्री; ग्रामीण विकास मंत्री; तथा पंचायती राज मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) की ओर से कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों' (2019-20) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्री; ग्रामीण विकास मंत्री; तथा पंचायती राज मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) की ओर से कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों' (2020-21) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(4) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी) ने गृह मंत्रालय से संबंधित 'दिल्ली में बिगड़ती हुई यातायात स्थिति का प्रबंधन' के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 222वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(5)[%] महिला और बाल विकास मंत्री; तथा वस्त्र मंत्री श्रीमती स्मृति ज़ूबिन ईरानी ने गर्भवती महिला के लिए डाइट चार्ट योजना के बारे में एक वक्तव्य दिया।

8. लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

श्री श्याम सिंह यादव ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा, एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार राज्य सभा से डॉ. के. केशव राव की सेवानिवृत्ति के कारण उत्पन्न हुए रिक्त स्थान पर राज्य सभा के एक सदस्य को लाभ के पदों संबंधी स्थायी समिति के लिए निर्वाचित करे और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति के लिए इस प्रकार निर्वाचित सदस्य का नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[%] अपराह्न 4.07 बजे दिया गया। विवरण के लिए इस दिन का वाद-विवाद देखें।

9. **राष्ट्रीय जूट बोर्ड के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव**

श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

" कि राष्ट्रीय जूट बोर्ड नियम, 2010 के नियम 5 के साथ पठित राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उप-धारा 4 के खंड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसे रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

10. रबड़ बोर्ड के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री हरदीप एस. पुरी ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया :-

"कि रबड़ नियम, 1955 के नियम 4(1) के साथ पठित रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उप-धारा (3) के खंड (ड.) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसे रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन रबड़ बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

***अपराहन 4.14 बजे**

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) श्री सुमेधानन्द सरस्वती द्वारा सीकर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, राजस्थान में सरकारी खरीद केंद्रों पर कृषि उपज की पूर्ण खरीद सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(2) श्री अशोक कुमार रावत द्वारा उत्तर प्रदेश के मिश्रिख संसदीय निर्वाचन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एनटीपीसी द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुसार समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(3) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा राष्ट्रीय संग्रहालय, दिल्ली में रखे गए बुद्ध के एक अस्थि कलश को उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले के पिपरहवा राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थानान्तरित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(4) श्री मनोज कोटक द्वारा मुम्बई उपनगरीय रेल नेटवर्क में 15 कोच वाली लोकल ट्रेनें चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

----

*अपराहन 3.33 बजे से अपराहन 4.14 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(5) श्री अर्जुन लाल मीणा द्वारा राजस्थान के उदयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी जनजातीय परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ दिए जाने की आवश्यकता के बारे ।

(6) श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया द्वारा राजस्थान के भीलवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रीय सड़क निधि से एमडीआर-56 के निर्माण को पूरा किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(7) श्री चन्द्र प्रकाश जोशी द्वारा राजस्थान के चितौड़गढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रतापगढ़ जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(8) श्रीमती अन्नपुर्णा देवी द्वारा दामोदर वैली कॉरपोरेशन के तिलैया डैम के कारण विस्थापित लोगों को जमीन का मालिकाना हक दिए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(9) श्री धर्मवीर सिंह द्वारा हरियाणा के भिवानी-महेन्द्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कपास और मूंग का उत्पादन करने वाले किसानों को कम बारिश और कीटों से हुए नुकसान के एवज में मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(10) श्री देवजी एम. पटेल द्वारा राजस्थान के सिरोही जिले से हवाई सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(11) श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह द्वारा उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में देहरादून स्टेशन और कालसी के बीच रेल लाइन बिछाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(12) श्री पंकज चौधरी द्वारा उत्तर प्रदेश के महराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक केंद्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(13) डॉ निशिकांत दुबे द्वारा देवघर-पीरपैंती वाया गोड्डा रेल लाइन का निर्माण किए जाने के बारे में ।

(14) श्री बैन्नी बेहनन द्वारा तिरुवनन्तपुरम् अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निजीकरण के बारे में ।

(15) श्री वी.के. श्रीकंदन द्वारा केरल के पालक्काड़ में इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित मुद्दों के बारे ।

(16) श्री एस.डी.एन.वी.सेंथिलकुमार द्वारा तमिलनाडु के सेलम जिले में तार सड़क के निर्माण के बारे में ।

(17) प्रो. सौगत राय द्वारा राज्यों को लंबित जीएसटी मुआवजा जारी किए जाने के संबंध में ।

(18) श्री संजय हरिभाऊ जाधव द्वारा महाराष्ट्र के परभणी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कपास विश्वविद्यालय और एक कपास प्रसंस्करण उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(19) डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा बिहार के गोपालगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(20) श्री रामशिरोमणि द्वारा उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ से फसल का नुकसान होने के कारण संकटग्रस्त किसानों को पर्याप्त वित्तीय सहायता अथवा राहत पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(21) श्री जयदेव गल्ला द्वारा उत्पीड़न अधिनियम में संशोधन किए जाने के बारे में ।

(22) श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा कोल्लम परप्पू (क्विलॉन बैंक) के मात्स्यिकी केंद्र का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

अपराह्न 4.14 बजे

#12. सांविधिक संकल्प- अस्वीकृत

लिया गया समयः 1 घंटा 15 मिनट

एडवोकेट डीन कुरियाकोस ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:-

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा अप्रैल 7, पितको प्रख्या 2020 संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (3 का अध्यादेश संख्यांक 2020) का निरनुमोदन करती है।"

एडवोकेट डीन कुरियाकोस ने भी अपने विचार रखे।

संकल्प पर मतदान हुआ और वह अस्वीकृत हुआ।

#13. सरकारी विधेयक - पारित

संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020

विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव श्री प्रहलाद जोशी द्वारा पेश किया गया।
निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री विजय बघेल
2. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी
3. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डी
4. प्रो. सौगत राय
5. श्री पिनाकी मिश्रा
6. श्री मलूक नागर
7. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
8. श्री नामा नागेश्वर राव
9. श्रीमती सुप्रिया सुले
10. एडवोकेट ए.एम. आरिफ

एकसाथ चर्चा की गई

11. श्री जयदेव गल्ला
12. श्री थोमस चाज़िकाडन
13. श्री भगवंत मान
14. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर
15. श्रीमती नवनित रवि राणा
16. श्री सय्यद ईमत्याज ज़लील
17. श्री अधीर रंजन चौधरी
18. श्री गिरीश भालचन्द्र बापट
19. श्री रितेश पाण्डेय
20. श्रीमती महुआ मोइत्रा

श्री प्रहलाद जोशी ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री प्रहलाद जोशी द्वारा विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

अपराहन 5.29 बजे

#14. सांविधिक संकल्प- अस्वीकृत

लिया गया समयः 2 घंटे 23 मिनट

प्रो. सौगत राय ने निम्नलिखित संकल्प पेश कियाः-

" कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 5 जून, पितको प्रख्या 2020 आवश्यक वस्तु अध्यादेश (संशोधन), 2020 (का 2020 8 अध्यादेश संख्यांक) का निरनुमोदन करती है।"

प्रो. सौगत राय ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

संकल्प पर मतदान हुआ और वह अस्वीकृत हुआ।

#15. सरकारी विधेयक - पारित

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020

विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव श्री दानवे रावसाहेब दादाराव द्वारा श्री राम विलास पासवान की ओर से पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लियाः-

1. श्री पी. पी. चौधरी
2. डॉ. अमर सिंह
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री डी.एम. कथीर आनन्द
5. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी
6. श्री राहुल रमेश शेवाले
7. श्री कौशलेन्द्र कुमार
8. श्री भर्तृहरि महताब
9. कुंवर दानिश अली
10. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी
11. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील
12. एडवोकेट ए.एम. आरिफ
13. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर
14. श्री सुखबीर सिंह बादल
15. श्री भगवंत मान
16. श्री किंजरापु राम मोहन नायडू
17. श्रीमती सुप्रिया सुले
18. श्री अधीर रंजन चौधरी
19. श्री निशिकांत दुबे

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

एकसाथ चर्चा की गई

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव द्वारा विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

सायं 7.52 बजे

(लोक सभा बुधवार, 16 सितम्बर, 2020 के अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृतांत)

बुधवार, 16 सितम्बर, 2020/25 भाद्रपद, 1942 (शक)

संख्या 83

अपराह्न 3.01 बजे

1. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे-

(1) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कोयला ब्लॉक्स आबंटन (संशोधन) नियम, 2020 जो 18 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 300(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खनिज (नीलामी) संशोधन नियम, 2020 जो 20 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 190(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 की धारा 31 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 680(अ) जो 13 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ झारखण्ड राज्य में अवस्थित परबतपुर-सेंट्रल कोल माईन का प्रबंधन संभालने और उसका संचालन करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन की 'अभिहित अभिरक्षक' के रूप में नियुक्ति के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राव इंद्रजीत सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे-

(1) (एक) राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट

सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे-

(1) सेना अधिनियम, 1950 की धारा 193 के अंतर्गत सेना (संशोधन) नियम, 2019 जो 28 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.नि.आ.17(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नौसेना (अनुशासन और प्रकीर्ण उपबंध) संशोधन विनियम, 2019 जो 28 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 18(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) नौसेना सेरिमोनियल, सेवा शर्त और प्रकीर्ण (संशोधन) विनियम, 2019 जो 28 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 19(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) वायु सेना अधिनियम, 1950 की धारा 191 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वायु सेना (संशोधन) नियम, 2019 जो 28 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 20(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) वायु सेना (संशोधन) विनियम, 2019 जो 28 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 21(अ) में प्रकाशित हुए थे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे-

(1) (एक) सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 14 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पीईसी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 30 की उप-धारा (3) और (5) के अंतर्गत जारी चाय (विपणन) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 2020 जो 31 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 2560 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे-

(1) तेरहवीं, चौदहवीं, पंद्रहवीं, सोलहवीं और सत्रहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

तेरहवीं लोक सभा

1。	विवरण संख्या 57	तीसरा सत्र, 2000
2.	विवरण संख्या 37	दसवां सत्र, 2002

चौदहवीं लोक सभा

3。	विवरण संख्या 32	दूसरा सत्र, 2004
4.	विवरण संख्या 33	पांचवां सत्र, 2005
5。	विवरण संख्या 27	आठवां सत्र, 2006
6.	विवरण संख्या 31	चौदहवां सत्र, 2008

पंद्रहवीं लोक सभा

7。	विवरण संख्या 37	दूसरा सत्र, 2009
8.	विवरण संख्या 30	तीसरा सत्र, 2009
9。	विवरण संख्या 29	सातवां सत्र, 2011
10.	विवरण संख्या 30	आठवां सत्र, 2011
11。	विवरण संख्या 29	नौवां सत्र, 2011
12.	विवरण संख्या 28	दसवां सत्र, 2012
13。	विवरण संख्या 26	ग्यारहवां सत्र, 2012
14.	विवरण संख्या 25	तेरहवां सत्र, 2013
15。	विवरण संख्या 20	चौदहवां सत्र, 2013
16.	विवरण संख्या 21	पंद्रहवां सत्र, 2013-14

सोलहवीं लोक सभा

17。	विवरण संख्या 20	दूसरा सत्र, 2014
18.	विवरण संख्या 20	तीसरा सत्र, 2014
19。	विवरण संख्या 19	चौथा सत्र, 2015
20.	विवरण संख्या 16	पांचवां सत्र, 2015
21。	विवरण संख्या 16	छठा सत्र, 2015
22.	विवरण संख्या 14	सातवां सत्र, 2016
23。	विवरण संख्या 14	आठवां सत्र, 2016
24.	विवरण संख्या 13	नौवां सत्र, 2016
25。	विवरण संख्या 11	दसवां सत्र, 2016
26.	विवरण संख्या 11	ग्यारहवां सत्र, 2017
27。	विवरण संख्या 9	बारहवां सत्र, 2017
28.	विवरण संख्या 8	तेरहवां सत्र, 2017-18
29。	विवरण संख्या 7	चौदहवां सत्र, 2018
30.	विवरण संख्या 6	पंद्रहवां सत्र, 2018
31。	विवरण संख्या 4	सोलहवां सत्र, 2018-19
32.	विवरण संख्या 3	सत्रहवां सत्र, 2019

सत्रहवीं लोक सभा

33。	विवरण संख्या 2	पहला सत्र, 2019
34.	विवरण संख्या 1	दूसरा सत्र, 2019

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा

इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय शामराव धोत्रे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे-

(1) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 74 की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 43 के अंतर्गत भारतीय डाकघर (संशोधन) नियम, 2020 जो 14 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 446 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2018-19 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2018-19 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित लेखे।

(तीन) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) ईआरनेट इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) ईआरनेट इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) सेंटर फॉर मैटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी (सी-मैट), पुणे के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर मैटेरियल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी (सी-मैट), पुणे के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग, पुणे के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कम्प्यूटिंग, पुणे के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) दि टेलीकम्युनिकेशन इंटरकनेक्शन यूसेज चार्जेज (सोलहवां संशोधन) विनियम, 2020 जो 17 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. 6-19/2019-बीबीएण्डपीए में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दि टेलीकम्युनिकेशन इंटरकनेक्शन (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 10 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. 409-3/2018-एनएसएल-आई में प्रकाशित हुए थे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अंगड़ी सुरेश चन्नाबसप्पा) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे-

(1) (एक) सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉरमेशन सिस्टम्स, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉरमेशन सिस्टम्स, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199 के अंतर्गत भारतीय रेल (ओपन लाईन्स) सामान्य संशोधन नियम, 2020 जो दिनांक 13 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 168(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे-

(1) (एक) ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेन्ट्स, डिजाइन्स, ट्रेडमार्क्स एण्ड ज्योग्रैफिकल इंडीकेशन्स, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेन्ट्स, डिजाइन्स, ट्रेडमार्क्स एण्ड ज्योग्रैफिकल इंडीकेशन्स, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 6 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 1023(अ) जो 9 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए डेवपलमेंट काउन्सिल फॉर पल्प, पेपर एण्ड एलाइड इंडस्ट्रीज की स्थापना करने और उसमें उल्लिखित व्यक्तियों की नियुक्ति उक्त काउन्सिल के सदस्य के रूप में करने के संबंध में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

2. प्रश्न

चूंकि वर्तमान सत्र अर्थात 17वीं लोक सभा के चौथे सत्र में तारांकित प्रश्नों की सूची की व्यवस्था को समाप्त किया गया है इसलिए अतारांकित प्रश्न संख्या 461-690 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 15 सितम्बर, 2020 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा यथापारित वायुयान (संशोधन) विधेयक, 2020 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

[*]4. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2020-2021) के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किए:-

(1) कोयला मंत्रालय से संबंधित 'कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति का कार्यान्वयन' विषय के बारे में समिति का दूसरा प्रतिवेदन।

(2) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित 'भारत संचार निगम लिमिटेड के विशेष संदर्भ में सरकारी सेवाओं, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्तशासी निकायों में निजीकरण, बाह्य स्रोतों से कार्य और संविदात्मक रोजगार के आलोक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु अर्थोपाय' विषय के बारे में समिति का तीसरा प्रतिवेदन।

(3) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित 'प्रसार भारती के विशेष संदर्भ में सरकारी सेवाओं, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्तशासी निकायों में निजीकरण, बाह्य स्रोतो से कार्य और संविदात्मक रोजगार के आलोक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु अर्थोपाय' विषय के बारे में समिति का चौथा प्रतिवेदन।

5. मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अंगड़ी सुरेश चन्नाबसप्पा) की ओर से रेल मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2020-21)' के बारे में रेल संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

***अपराहन 3.04 बजे**

6. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री प्रहलाद जोशी ने कार्य मंत्रणा समिति का 16वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

---

[*] अपराहन 3.40 बजे

[*] अपराहन 3.05 बजे से अपराहन 4.00 बजे तक सदस्यों ने अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

अपराह्न 4.00 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखेपाटील द्वारा अहमद नगर में सेना द्वारा प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण के कारण किसानों की चिंताओं को सुलझाने की आवश्यकता के बारे में ।

(2) श्री अजय मिश्र (टेनी) द्वारा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में नेपाल के जरिए आ रही जब्त वस्तुओं की नीलामी प्रक्रिया को तर्क संगत बनाने की आवश्यकता के बारे में ।

(3) श्री रवि किशन (श्यामनारायण) द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ललित नरायण मिश्र रेल अस्पताल को मेडिकल कॉलेज के रूप में विकसित करने की आवश्यकता के बारे में ।

(4) श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण व्यवस्था में क्रिमी लेयर प्रणाली को समाप्त करने तथा वर्ष 2021 की जनगणना में अन्य पिछड़ा वर्ग की जनगणना को शामिल करने की आवश्यकता के बारे में ।

(5) श्री सुनील बाबूराव मेंढे द्वारा विदर्भ के लिए एक विशेष सहायता पैकेज के बारे में ।

(6) श्रीमती अपराजिता सारंगी द्वारा राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना 2019 (बीआरएपी) के बारे में ।

(7) डॉ. कृष्णपालसिंह यादव द्वारा मध्य प्रदेश के गुना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक वृहत फूड पार्क स्थापित करने की आवश्यकता के बारे में ।

(8) श्री रेबती त्रिपुरा द्वारा त्रिपुरा स्वायत्तशासी जिला परिषद की समस्याओं को हल करने के बारे में ।

(9) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखंड में गढ़वा-रेहला बाइपास सड़क के निर्माण के बारे में ।

(10) श्री जी . एस . बसवराज द्वारा आशा कर्मियों के वेतन के पुनरीक्षण के बारे में ।

(11) श्री खगेन मुर्मु द्वारा पश्चिम बंगाल के मालदा उत्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण उपाय करने तथा पीड़ित लोगों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में ।

(12) श्री राजेश वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश में सीतापुर और शाहजहांपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 के खंड के निर्माण की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे द्वारा महाराष्ट्र के लातूर शहर में एफएम रेडियो स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता के बारे में ।

(14) श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर द्वारा महाराष्ट्र में सतारा और सोलापुर के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को निरदेवघर और गुंजावानी बांधों से पानी की आपूर्ति करने की आवश्यकता के बारे में ।

(15) डॉ. जयसिद्देश्वर शिवाचार्य महास्वामीजी द्वारा महाराष्ट्र के शोलापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के वस्त्र और गारमेंट्स उद्योग को एक विशेष वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) श्री (एडवोकेट) डीन कुरियाकोस द्वारा केरल में इडुक्की के मृत पौधारोपणकर्मियों के लिए एक विस्तृत पैकेज के बारे में ।

(17) सुश्री एस. जोतिमणि द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट और बढ़ती बेरोजगारी के बारे में ।

(18) श्री उत्तम कुमार नलमाडा रेड्डी द्वारा हैदराबाद और विजयवाड़ा के बीच रेल लाइन के बारे में ।

(19) श्रीमती कनिमोझी करूणानिधि द्वारा तमिलनाडु के थूथुक्कुडी में बहुत ज्यादा रेत होने की समस्या के बारे में ।

(20) श्री अंडिमुतु राजा द्वारा निलगिरी के पांडालूर तालुक में भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा खोले जाने के बारे में।

(21) श्री कोटागिरी श्रीधर द्वारा अपरिष्कृत मानव केश की तस्करी पर प्रतिबंध के बारे में ।

(22) श्री श्रीरंग आप्पा बारणे द्वारा महाराष्ट्र के मावल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ऐतिहासिक स्थलों को विकसित करने की आवश्यकता के बारे में ।

(23) श्री चन्देश्वर प्रसाद द्वारा आकांक्षी जिलों विशेषकर बिहार के गया जिले में कारपोरेट सामाजिक दायित्व निधि (सीएसआर) के अंतर्गत व्यय और कार्यक्रमों की सूचना प्रदान करने के बारे में ।

(24) श्री रितेश पाण्डेय द्वारा उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दून एक्सप्रेस और गंगा-सतलुज एक्सप्रेस के मार्गों की बहाली की आवश्यकता के बारे में ।

(25) श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी द्वारा तेलंगाना में हैदराबाद के मुचेरला में एक फार्मा सिटी के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता के बारे में ।

(26) श्री पी. के. कुन्हालीकुट्टी द्वारा छोटे शहरों में सीजीएचएस सुविधाएं उपलब्ध कराने के बारे में ।

अपराह्न 4.00 बजे

#8. सांविधिक संकल्प – अस्वीकृत

लिया गया समय 3 घंटे 27 मिनट

श्री मनीश तिवारी ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:-

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 26 जून, 2020 को प्रख्यापित बैंककारी विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 12) का निरनुमोदन करती है।"

श्री मनीश तिवारी ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

संकल्प पर मतदान हुआ और वह अस्वीकृत हुआ।

#9. सरकारी विधेयक - पारित

बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020

विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया। निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. श्री शिवकुमार चन्नाबसप्पा उदासी
2. डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार
3. प्रो. सौगत राय
4. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू
5. श्री गजानन कीर्तिकर
6. डॉ. आलोक कुमार सुमन
7. श्री पिनाकी मिश्रा
8. श्रीमती संगीता आजाद
9. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी
10. श्री बैन्नी बेहनन
11. श्री एल.एस. तेजस्वी सूर्या
12. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे
13. श्रीमती नुसरत जहां रूही

एकसाथ चर्चा की गई

14. श्री जयदेव गल्ला
15. एडवोकेट ए.एम. आरिफ
16. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
17. श्रीमती सुनीता दुग्गल
18. श्री असादुद्दीन ओवैसी
19. श्री के. नवासखनी
20. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन
21. श्री पी. रविन्द्रनाथ कुमार
22. श्रीमती नवनित रवि राणा
23. श्री थोमस चाज़िकाडन
24. श्री गौतम सिगामणि पोन
25. डॉ. के. जयकुमार
26. श्रीमती सुप्रिया सुले
27. श्री राहुल रमेश शेवाले
28. श्री मनोज कोटक
29. श्री भगवंत मान
30. श्री गिरीश भालचन्द्र बापट
31. श्री एम.के. राघवन
32. श्री अधीर रंजन चौधरी

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।
विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ हुआ।

खण्ड 2 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 स्वीकृत हुआ।

खण्ड 4 और 5 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित किया गया।

सायं 7.27 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 17 सितम्बर, 2020 के अपराहन 3.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृतांत)

गुरूवार, 17 सितम्बर, 2020/26 भाद्रपद, 1942 (शक)

संख्या 84

अपराह्न 3.00 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने लोक सभा के वर्तमान सदस्य श्री बल्ली दुर्गा प्रसाद राव के निधन का उल्लेख किया। तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहें।

(लोक सभा अपराह्न 3.03 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 4.00 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 4.00 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे -

(1) (एक) नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) नेहरू युवा केन्द्र संगठन,, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज कुमार सिंह) की ओर से विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी -

(1) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) (छठा संशोधन) विनियम, 2019 जो 27 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/18/2010-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(2) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतरराज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) (छठा संशोधन) विनियम, 2019 जो 27 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-7/105(121)/2007-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(3) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत बाजार) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019 जो 27 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एल-1/13/2010-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नागर विमानन मंत्रालय के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे -

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पोत परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री(मनसुख मांडविया) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे -

(1) (एक) सीमेन्स प्रोविडेंट फण्ड ऑर्गेनाइजेशन, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) सीमेन्स प्रोविडेंट फण्ड ऑर्गेनाइजेशन, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेतुसमुद्रम कार्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उप-धारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 529(अ) जो 26 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा न्यू मंगलोर पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2020 अनुमोदित किए गए थे।

(दो) सा.का.नि. 530(अ) जो 26 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुंबई पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2020 अनुमोदित किए गए थे।

(तीन) सा.का.नि. 531(अ) जो 26 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2020 अनुमोदित किए गए थे।

(चार) सा.का.नि. 532(अ) जो 26 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2020 अनुमोदित किए गए थे।

(पांच) सा.का.नि. 533(अ) जो 26 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुंबई पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2020 अनुमोदित किए गए थे।

(छह) कोचीन पत्तन न्यास (डिसट्रेन्ट ऑर अरेस्ट एण्ड सेल ऑफ वेसेल्स) विनियम, 2019 जो 5 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 161(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) कोचीन पत्तन और डॉक विनियम, 2020 जो 22 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 460(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कोलकाता पत्तन न्यास (स्टीवडोरिंग एण्ड शोर हैण्डलिंग लाइसेंस) विनियम, 2020 जो 11 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 370(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दीनदयाल पत्तन न्यास (लाइसेसिंग ऑफ स्टीवडोरिंग एण्ड शोर हैण्डलिंग लाइसेंस) विनियम, 2019 जो 19 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 187(अ) में प्रकाशित हुए थे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे -

(1) दि इंटरनेशनल सेंटर फॉर ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आंध्र प्रदेश स्टेट इरीगेशन डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश स्टेट इरीगेशन डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के लेखा-परीक्षित लेखाओं की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे -

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. प्रश्न

चूंकि वर्तमान सत्र अर्थात 17वीं लोक सभा के चौथे सत्र में तारांकित प्रश्नों की सूची की व्यवस्था को समाप्त किया गया है इसलिए अतारांकित प्रश्न संख्या 691-920 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. **याचिका संबंधी समिति के प्रतिवेदन**

डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने याचिका संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) श्रीमती सुमन डूडी के पति कर्नल (टीएस)(सेवानिवृत्त) रण सिंह डूडी को अनुवर्ती परिलाभ दिए जाने से इंकार करते हुए उनके साथ हुए कथित अन्याय तथा तत्संबंधी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में श्री राजेन्द्र अग्रवाल, संसद सदस्य, लोक सभा द्वारा अग्रेषित उनके अभ्यावेदन के बारे में पांचवां प्रतिवेदन।

(2) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) के प्राधिकारियों द्वारा कार्य पूरा हुए बिना मैसर्स महालक्ष्मी इंफ्राकान्ट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड को किए गए भुगतान के संबंध में कथित घोर वित्तीय अनियमितताओं के बारे में श्री सुभाष कुमार सिंह से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में याचिका संबंधी समिति (16वीं लोक सभा) के 47वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी छठा प्रतिवेदन।

(3) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) द्वारा मैसर्स सद्भाव अन्नपूर्णा (जेवी) को कार्य पूरा किये बिना पूर्ण अनुबंधित राशि के भुगतान के संबंध में श्री सुभाष कुमार सिंह से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में याचिका संबंधी समिति (16वीं लोक सभा) के 51वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी सातवां प्रतिवेदन।

(4) तेजपुर रेलवे स्टेशन तक बड़ी रेल लाइन के विस्तार के संबंध में श्री जितेन्द्र चौधरी, संसद सदस्य,

लोक सभा द्वारा अग्रेषित श्री जितेन सुण्डी और अन्य से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में याचिका संबंधी समिति (16वीं लोक सभा) के 54वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी आठवां प्रतिवेदन।

5. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का अध्ययन दौरा प्रतिवेदन

डॉ. किरिट पी. सोलंकी ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति द्वारा जनवरी, 2020 के दौरान चेन्नई, पुदुचेरी, गोवा और मुंबई का अध्ययन दौरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

6. मंत्री द्वारा वक्तव्य

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-20) के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. प्रस्ताव

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने श्री प्रहलाद जोशी की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया-

"कि यह सभा 16 सितम्बर, 2020 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 16वें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 4.08 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) श्री रविन्दर कुशवाहा द्वारा दिल्ली-लखनऊ-बरौनी खंड पर एक राजधानी एक्सप्रेस और लखनऊ-गोरखपुर-वाराणसी खंड पर एक शताब्दी एक्सप्रेस चलाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(2) श्री राजीव प्रताप रूडी द्वारा मोटर यान अधिनियम का संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(3) श्री नारणभाई बी. काछड़िया द्वारा गुजरात के अमरेली में एक केंद्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(4) श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी द्वारा धर्मार्थ संगठनों की अनेक वर्षों से खाली पड़ी भूमि को अधिगृहीत किए जाने और उसका जनहित में उपयोग किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(5) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर में पुरातात्विक महत्व के स्थानों-उल्टा खेड़ा टीला और पांडव टीला में और उसके आसपास अतिक्रमण को हटाए जाने की की आवश्यकता के बारे में ।

(6) श्री रामदास सी. तडस द्वारा कीटों के हमले के कारण महाराष्ट्र के वर्धा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किसानों को हुए नुकसान के लिए उन्हें मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(7) श्री पी.पी. चौधरी द्वारा जोधपुर के एम्स द्वारा राजस्थान के पाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना किए जाने के बारे में ।

(8) श्री निहाल चन्द चौहान द्वारा राजस्थान के गंगानगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाओं में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(9) श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ भोले सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जनपद में अखिल भारतीय वाक् एवं श्रव्य संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(10) श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव द्वारा केबीके क्षेत्र के लिए विशेष पैकेज के बारे में ।

(11) श्री राजा अमरेश्वर नाईक द्वारा कर्नाटक में येरमारूस तापीय विद्युत केंद्र द्वारा पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन किए जाने के बारे में ।

(12) श्री अजय भट्ट द्वारा उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जिले में भूतपूर्व सैनिकों को भूमि का स्वामित्व अधिकार दिए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(13) श्री कराडी अमरप्पा सनगन्ना द्वारा कर्नाटक में गंगावती से दरोजी तक रेलवे ब्रॉड गेज लाइन के बारे में ।

(14) श्री दीपक बैज द्वारा छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में नगरनार इस्पात संयंत्र के निजीकरण की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(15) श्री मारगनी भरत राम द्वारा राजामुन्दरी विमानपत्तन पर कार्गो सुविधाओं के बारे में ।

(16) श्री कृपाल बालाजी तुमाने द्वारा महाराष्ट्र के रामटेक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों को हुए नुकसान का आकलन करने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(17) श्री मोहम्मद फैजल पी.पी. द्वारा लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र में बेड़ों और परिवहन क्षेत्र के उचित कार्यकरण के बारे में ।

9. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने मद संख्या 15 से 18 को एक साथ लिए जाने के संसदीय कार्य मंत्री के अनुरोध के बारे में एक टिप्पणी की।

सभा सहमत हुई।

अपराह्न 4.09 बजे

10. (एक) सांविधिक संकल्प - वापस लिए गए/अस्वीकृत;

(दो) सरकारी विधेयक - पारित

लिया गया समय: 5 घंटे 36 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदों को एक साथ लिया गयाः-

(एक) कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 10) का निरनुमोदन करने वाला सांविधिक संकल्प

(दो) *कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020*

(तीन) कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 11) का निरनुमोदन करने वाला सांविधिक संकल्प

(चार) *कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020*

एडवोकेट डीन कुरियाकोस ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश कियाः-

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 5 जून, 2020 को प्रख्यापित कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 10) का निरनुमोदन करती है।"

कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020 पर विचार करने के लिए प्रस्ताव श्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा पेश किया गया।

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश कियाः-

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 5 जून, 2020 को प्रख्यापित कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 11) का निरनुमोदन करती है।"

कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020 पर विचार करने के लिए प्रस्ताव श्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त चर्चा में भाग लियाः-

1. श्री रवनीत सिंह बिट्टू

2. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन
3. श्री वीरेन्द्र सिंह
4. श्री के. षणमुग सुंदरम
5. श्री कल्याण बनर्जी
6. श्री तालारी रंगैय्या
7. श्री रितेश पाण्डेय
8. श्री अरविंद सावंत
9. श्री अनुभव मोहंती
10. श्री संतोष कुमार
11. श्री एम. श्रीनिवासुलू रेड्डी
12. डॉ. एस.टी. हसन
13. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे
14. श्री गुरजीत सिंह औजला
15. श्री जगदम्बिका पाल
16. श्री पी. आर. नटराजन
17. श्री एम. धनुष कुमार
18. श्री के. राममोहन नायडू
19. सुश्री महुआ मोइत्रा
20. श्री बी.वाई. राघवेन्द्र
21. श्री पी.के. कुन्हालीकुट्टी
22. श्री सुखबीर सिंह बादल
23. श्री लावू श्रीकृष्ण देवरायालू
24. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर
25. श्री दिलेश्वर कामैत
26. श्री दुष्यंत सिंह
27. श्री सय्यद ईमत्याज ज़लील
28. सुश्री एस. जोतिमणि
29. श्री रामशिरोमणि वर्मा
30. श्री बी.बी. पाटील
31. श्रीमती नवनित रवि राणा
32. श्री पी. रविन्द्रनाथ कुमार
33. श्री प्रज्ज्वल रेवन्ना
34. श्री जनार्दन मिश्र
35. श्री सी.एन. अन्नादुरई
36. श्री भगवंत मान

37. श्री अजय मिश्र टेनी
38. श्री हेमन्त श्रीराम पाटील
39. श्री जसबीर सिंह गिल
40. श्री मलूक नागर
41. श्री एम.के. राघवन
42. श्री शान्तनु ठाकुर
43. श्री एस. मुनिस्वामी
44. *श्री अधीर रंजन चौधरी

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

(एक) एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा पेश किया गया कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 10) का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर मतदान हुआ और यह अस्वीकृत हुआ।

(दो) विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और खंडवार चर्चा आरंभ हुई।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।
खंड 3 स्वीकृत हुआ।
खंड 4 स्वीकृत हुआ।
खंड 5 स्वीकृत हुआ।
खंड 6 स्वीकृत हुआ।
खंड 7 स्वीकृत हुआ।
खंड 8 स्वीकृत हुआ।
खंड 9 और 10 स्वीकृत हुए।
खंड 11 से 20 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

(तीन) श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा पेश किया गया *कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 11) का निरनुमोदन करने वाले* सांविधिक संकल्प पर मतदान हुआ और यह अस्वीकृत हुआ।

---

* रात्रि 9.23 बजे

(चार) विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और खंडवार चर्चा आरंभ हुई।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।
खंड 3 स्वीकृत हुआ।
खंड 4 स्वीकृत हुआ।
खंड 5 स्वीकृत हुआ।
खंड 6 स्वीकृत हुआ।
खंड 7 स्वीकृत हुआ।
खंड 8 स्वीकृत हुआ।
खंड 9 से 12 स्वीकृत हुए।
खंड 13 से 15 स्वीकृत हुए।
खंड 16 से 25 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

रात्रि 9.45 बजे

(लोक सभा शुक्रवार, 18 सितम्बर, 2020 के अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृतांत)

शुक्रवार, 18 सितम्बर, 2020/27 भाद्रपद, 1942 (शक)

संख्या 85

अपराह्न 3.01 बजे

1. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने महिला और बाल विकास मंत्री; तथा वस्त्र मंत्री (श्रीमती स्मृति जूबिन ईरानी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे -

(1) (एक) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, अहमदाबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरू के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरू के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरू के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैण्डीक्राफ्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैण्डीक्राफ्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री; तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे -

(1) (एक) इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 34 के अंतर्गत गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) (छमाही प्रशिक्षण) संशोधन नियम, 2020 जो 29 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 419(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री; सूचना और प्रसारण मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे -

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) प्रसार भारती, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) प्रसार भारती, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने

वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे -

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंडियन मेडिसीन्स फार्मास्युटिकल कार्पोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन मेडिसीन्स फार्मास्युटिकल कार्पोरेशन लिमिटेड, अल्मोड़ा का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज कुमार सिंह) की ओर से संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (वाणिज्यिक) (2020 का संख्यांक 9) - पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा पारेषण परियोजनाओं के नियोजन और क्रियान्वयन संबंधी निष्पादन लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे -

(1) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायबरेली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर (मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय), उदयपुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर (मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय), उदयपुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) राष्ट्रीय आरोग्य निधि, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (सुश्री देबाश्री चौधरी) की ओर से लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 45 की उप-धारा (3) के अंतर्गत लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2020 जो 9 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 165(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) ने सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या 34/2020-सीमा-शुल्क, दिनांक 17 सितंबर, 2020 जिसके द्वारा दिनांक

30.06.2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि दिनांक 18.09.2020 से 31.10.2020 की अवधि तक दोनों मामलों में, संयुक्त राज्य अमरीका से इतर देशों में उद्भूत या वहां से निर्यातित लेंटिल्स (मसूर) पर आयात शुल्क को 30% से घटाकर 10% किया जाए और संयुक्त राज्य अमरीका में उद्भूत या वहां से निर्यातित लेंटिल्स (मसूर) पर आयात शुल्क को 50% से घटाकर 30% किया जाए, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखे।

2. प्रश्न

चूंकि वर्तमान सत्र अर्थात 17वीं लोक सभा के चौथे सत्र में तारांकित प्रश्नों की सूची की व्यवस्था को समाप्त किया गया है इसलिए अतारांकित प्रश्न संख्या 921-1150 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त इस संदेश की सूचना दी कि राज्य सभा 16 सितम्बर, 2020 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा यथापारित आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक, 2020 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

4. वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

महासचिव ने कृषि तथा समुद्री उत्पाद, बागानी फसलें, हल्दी और कॅयर का निर्यात विषय के संबंध में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का 154वां प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

---

* प्रतिवेदन, 26 अगस्त, 2020, जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था, को माननीय सभापति, राज्य सभा को प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन की एक प्रति माननीय लोक सभा अध्यक्ष को भी अग्रेषित की गई।

5. कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

महासचिव ने कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन[@] (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) 'कतिपय राजस्व तथा बैंकिंग संस्थानों और चयनित सीपीएसई में सतर्कता प्रशासन की प्रभावकारिता' के बारे में 102वां प्रतिवेदन।

(2) 'वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल न्यायालयों/न्यायालयों की कार्यवाही का कार्यकरण- अंतरिम प्रतिवेदन' के बारे में 103वां प्रतिवेदन।

(3) कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के संबंध में समिति के 100वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई के बारे में 104वां प्रतिवेदन।

(4) विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के संबंध में समिति के 101वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्रवाई के बारे में 105वां प्रतिवेदन।

6. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री; सूचना और प्रसारण मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर) ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) की ओर से निम्नलिखित के बारे में विवरण पत्र सभा पटल पर रखे -

(1) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों' (2019-20) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 7वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों' (2020-21) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 13 प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

[@] प्रतिवेदन सभापति, राज्य सभा के निदेशों के निदेश 30(i) के अंतर्गत 11 सितम्बर, 2020, जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था, को माननीय सभापति को प्रस्तुत किया गया तथा माननीय सभापति ने निदेश 30(ii) के अंतर्गत इन प्रतिवेदनों के प्रकाशन और परिचालन की अनुमति दी। प्रतिवेदन उसी दिन लोक सभा सचिवालय को भी अग्रेषित किए गए।

अपराह्न 3.07 बजे

7. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

कराधान और अन्य विधियां (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) विधेयक, 2020

डॉ. शशि थरूर, एडवोकेट ए.एम. आरिफ, श्री अधीर रंजन चौधरी, प्रो. सौगत राय और श्री मनीश तिवारी ने विधेयक को पेश किए जाने का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगे।

वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) और वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर) ने सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(लोक सभा अपराह्न 3.49 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 4.20 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 4.20 बजे

विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

8. अध्यादेश के बारे में विवरण - सभा पटल पर रखा गया

कराधान और अन्य विधियां (कतिपय उपबंधों की छूट) अध्यादेश, 2020 (2020 का संख्यांक 2) के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाए जाने के कारणों को दर्शाने वाला व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा गया।

अपराह्न 4.21 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) श्री सुनील कुमार सोनी द्वारा छत्तीसगढ़, रायपुर स्थित कुष्ठ अनुसंधान संस्थान के ऑपरेशन थियेटर को विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(2) श्री एम. के. राघवन द्वारा चालियम स्थित निर्देश परियोजना को रोकने के बारे में ।

(3) श्री हिबी ईडन द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2020 के प्रारूप के बारे में ।

(4) श्री राजमोहन उन्नीथन द्वारा केरल के कासरगोड जिले में एम्स की स्थापना किए जाने के बारे में ।

(5) श्री एस.आर. पार्थिबन द्वारा 'तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे' की स्थापना के लिए निधियों के आवंटन के बारे में ।

(6) श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी द्वारा काणिगिरि में एक केंद्रीय विद्यालय, दारसी में एक नवोदय विद्यालय और कम्बम में एक सैनिक स्कूल को मंजूरी दिए जाने के बारे में ।

(7) श्री राहुल रमेश शेवाले द्वारा बीएआरसी के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के कथित उत्पीड़न के बारे में ।

अपराह्न 4.22 बजे

10. वर्ष 2020-21 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें - पहला बैच और वर्ष 2016-17 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगें

लिया गया समयः 4 घंटे 38 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदों पर एकसाथ चर्चा की गईः-

(एक) वर्ष 2020-21 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें - पहले बैच के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 1, 2, 4, 5, 7 से 9, 14 से 16, 18, 20, 23 से 27, 29, 32, 34, 39 से 44, 48, 51 से 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 70, 71, 73, 75, 76, 83 से 88, 92, 94, 95, 97, 98, 100 और 101 ।

(दो) वर्ष 2016-17 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांग संख्या 13, 21 और 23 ।

सभापति ने कटौती प्रस्ताव पेश करने के संबंध में [#]घोषणा की।

कोई कटौती प्रस्ताव पेश नहीं किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लियाः-

1. [$]श्री जयंत सिन्हा

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 4.26 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 5.00 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 5.00 बजे

(व्यवधान के कारण सभा अपराह्न 5.01 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 5.30 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराह्न 5.30 बजे

(सतत व्यवधान के कारण सभा अपराह्न 5.31 बजे स्थगित हुई और सायं 6.00 बजे पुनः समवेत हुई)

[#] मूल हिन्दी में। विवरण के लिए इस दिन का वाद-विवाद देखें।

[$] सायं 6.14 बजे उन्होंने अपना भाषण पुनः प्रारंभ किया।

सायं 6.00 बजे

अध्यक्ष ने सदन की मर्यादा और गरिमा बनाए रखने के बारे में टिप्पणी* की।

उन्होंने अनुदानों की अनुपूरक मांगों और अतिरिक्त अनुदानों की मांगों की सूची की प्रतियों की उपलब्धता के बारे में भी टिप्पणी** की।

2. श्री अधीर रंजन चौधरी
3. श्री दयानिधि मारन
4. प्रो. सौगत राय
5. #डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन
6. #डॉ. कलानिधि वीरास्वामी
7. #श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
8. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी
9. श्री अरविन्द सावंत
10. श्री रामप्रीत मंडल
11. श्री भर्तृहरि महताब
12. श्री रितेश पाण्डेय
13. श्री मोहम्मद फैजल पी.पी.
14. श्री नामा नागेश्वर राव
15. #श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर
16. #डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
17. श्री सुनील कुमार सिंह
18. #श्रीमती एस. जोतिमणि
19. श्री गौरव गोगोई
20. श्री जयदेव गल्ला
21. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर
22. एडवोकेट ए.एम. आरिफ
23. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
24. #श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल
25. डॉ. मोहम्मद जावेद
26. श्री निहाल चन्द चौहान
27. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन

---

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए इस दिन का वाद-विवाद देखें।

** सायं 6.14 बजे की गई। मूल हिन्दी में। विवरण के लिए इस दिन का वाद-विवाद देखें।

लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

28. श्री भगवंत मान
29. #श्री जगदम्बिका पाल
30. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
31. श्री डी.के. सुरेश
32. कुंवर दानिश अली
33. #श्री मलूक नागर

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

वर्ष 2020-21 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें - पहले बैच के सभी अनुदानों की अनुपूरक मांग संख्या 1, 2, 4, 5, 7 से 9, 14 से 16, 18, 20, 23 से 27, 29, 32, 34, 39 से 44, 48, 51 से 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 70, 71, 73, 75, 76, 83 से 88, 92, 94, 95, 97, 98, 100 और 101 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों) की मुद्रित सूची के स्तम्भ 3 के अंतर्गत दर्शायी गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

वर्ष 2016-17 के लिए सभी अतिरिक्त अनुदानों की मांग संख्या 13, 21 और 23 (राजस्व लेखा और पूंजी लेखा दोनों) की अतिरिक्त अनुदानों की मांगों की मुद्रित सूची के स्तम्भ 3 के अंतर्गत दर्शायी गई राशियों के लिए पूरी-पूरी स्वीकृत हुई।

रात्रि 10.30 बजे

11. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2020

12. सरकारी विधेयक - पारित

विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2020

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक पर विचार के लिए पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार चर्चा आरंभ हुई।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।
अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया गया।

लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

रात्रि 10.33 बजे

13. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2020

14. सरकारी विधेयक - पारित

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2020

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक पर विचार के लिए पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार चर्चा आरंभ हुई।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।
अनुसूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

रात्रि 10.34 बजे

(लोक सभा शनिवार, 19 सितम्बर, 2020 के अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृतांत)

शनिवार, 19 सितम्बर, 2020/28 भाद्रपद, 1942 (शक)

संख्या 86

अपराहन 3.00 बजे

1. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री संतोष कुमार गंगवार) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे -

(1) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कर्मचारी भविष्य-निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) कर्मचारी भविष्य-निधि (संशोधन) योजना, 2020 जो 28 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 225 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) का॰ आ॰ 1513(अ) जो 18 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा दिनांक 7 अप्रैल, 1997 की अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 320 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे -

(1) (एक) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) नेशनल म्यूज़ियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कंजर्वेशन एंड म्युजियोलाजी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल म्यूज़ियम इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री ऑफ आर्ट, कंजर्वेशन एंड म्युजियोलाजी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फ़ाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फ़ाउंडेशन, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) नेशनल कल्चर फ़ंड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल कल्चर फ़ंड, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) साउथ जोन कल्चरल सेंटर, तंजावुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) साउथ जोन कल्चरल सेंटर, तंजावुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) रामपुर रजा लाइब्रेरी, रामपुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) ईस्टर्न ज़ोनल कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) ईस्टर्न ज़ोनल कल्चरल सेंटर, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) (एक) इंडियन म्यूज़ियम, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन म्यूज़ियम, कोलकाता के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री; संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना

प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धोत्रे संजय शामराव) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे -

(1) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग, शिलांग के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान शिलांग, शिलांग के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान कलकत्ता, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान कलकत्ता, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ, लखनऊ के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ, लखनऊ के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान रांची, रांची के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान रांची, रांची के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) (एक) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) (एक) भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय विश्वविद्यालय संघ, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(15) (एक) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(17) राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) (एक) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, विजयवाड़ा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) (एक) राज्य परियोजना कार्यालय राजीव गांधी शिक्षा मिशन (सर्व शिक्षा अभियान), छतीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) राज्य परियोजना कार्यालय राजीव गांधी शिक्षा मिशन (सर्व शिक्षा अभियान), छतीसगढ़, रायपुर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) (एक) हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिमला के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिमला के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(25) (एक) हिमाचल प्रदेश स्कूल एडुकेशन सोसाइटी (सर्व शिक्षा अभियान), शिमला के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) हिमाचल प्रदेश स्कूल एडुकेशन सोसाइटी (सर्व शिक्षा अभियान), शिमला के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(27) (एक) समग्र शिक्षा केरल, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) समग्र शिक्षा केरल, तिरुवनंतपुरम के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ, लखनऊ के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान लखनऊ, लखनऊ के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलोजी धारवाड़, हुबली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलोजी धारवाड़, हुबली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) (एक) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भारतीय सूचना प्रोद्योगिकी, अभिकल्पन एवं विनिर्माण संस्थान, जबलपुर के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) (एक) झारखंड एडुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) झारखंड एडुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, रांची के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा

समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(36) उपर्युक्त (35) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(37) (एक) बिहार एडुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, पटना के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) बिहार एडुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, पटना के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(38) उपर्युक्त (37) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे -

(1) नेशनल हाउसिंग बैंक ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रैस ऑफ हाउसिंग इन इंडिया 2019 के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) (एक) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार व्यवहारों का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 13 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/08 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेगुलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 17 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/10 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेश सलाहकार) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 3 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/22 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भेदिया कारोबार का प्रतिषेध) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 17 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/23 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और खुलासा आवश्यकताएं) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 1 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/21 में प्रकाशित हुए थे ।

(छह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और कब्जा) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 1 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/20 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और कब्जा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 22 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/19 में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और खुलासा आवश्यकताएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 22 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/18 में प्रकाशित हुए थे ।

(नौ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और खुलासा आवश्यकताएं) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 16 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/17 में प्रकाशित हुए थे ।

(दस) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स) (दूसरा संशोधन)

विनियम, 2020 जो 16 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/16 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्यारह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 16 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/15 में प्रकाशित हुए थे ।

(बारह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और कब्जा) विनियम, 2020 जो 16 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/14 में प्रकाशित हुए थे ।

(तेरह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्युचुअल फण्ड्स) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 6 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/07 में प्रकाशित हुए थे ।

(चौदह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 2 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/06 में प्रकाशित हुए थे ।

(पंद्रह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 2 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/05 में प्रकाशित हुए थे ।

(सोलह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स) (संशोधन) विनियम, 2020 जो 22 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/24 में प्रकाशित हुए थे ।

(सत्रह) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएं और खुलासा आवश्यकताएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 5 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी/एनआरओ/जीएन/2020/24 में प्रकाशित हुए थे ।

(6) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 27, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उप-धारा (3) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ.1165(अ) जो 19 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो मेघालय राज्य एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र में न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में न्याय क्षेत्र अनुप्रयोग करने के लिए अभिहित करने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(7) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 30 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) प्रतिभूति संविदा (विनियमन)(संशोधन) नियम, 2020 जो 19 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 189(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) प्रतिभूति संविदा (विनियमन)(दूसरा संशोधन) नियम, 2020 जो 31 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 485(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(8) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि)(तीसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 14 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/9 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा)(संशोधन) विनियम, 2020 जो 28 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/11 में प्रकाशित हुए थे ।

(9) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 (क) के अंतर्गत भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विशेष आर्थिक क्षेत्र में बीमा कारोबार का विनियमन) (संशोधन) नियम, 2020 जो 30 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 479(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(10) साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 17क की उप-धारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) यूनाइटेड इंडिया फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (मर्जर) संशोधन योजना, 2020 जो 31 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2579(अ) में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (मर्जर) दूसरा संशोधन योजना, 2020 जो 31 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2580(अ) में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) ओरिएंटल फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (मर्जर) दूसरी संशोधन योजना, 2020 जो 31 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2581(अ) में प्रकाशित हुई थी ।

(चार) नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (मर्जर) संशोधन योजना, 2020 जो 18 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1124(अ) में प्रकाशित हुई थी ।

(पांच) ओरिएंटल फायर एण्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (मर्जर) संशोधन योजना, 2020 जो 18 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1125(अ) में प्रकाशित हुई थी ।

(11) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 76 की उप-धारा (2क) के अंतर्गत भारतीय स्टाम्प (शेयर एक्सचेंजों, क्लियरिंग निगमों और निक्षेपागारों द्वारा स्टाम्प शुल्क का संग्रहण)(दूसरा संशोधन) नियम, 2020 जो 30 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 226(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(12) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-कर्ज लिखत) (संशोधन) नियम, 2019 जो 5 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4355(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(13) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत आयकर (15वां संशोधन) नियम, 2019 जो 18 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 937(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्म ज्ञापन ।

(14) सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.840 (अ) जो 24 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड के अंतर्भूत कम्प्यूटर संसाधनों को एक संरक्षित प्रणाली घोषित करना है ।

(दो) का.आ.841 (अ) जो 24 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय क्लियरिंग एण्ड सेटलमेंट सिस्टम और क्लियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के अंतर्भूत कम्प्यूटर संसाधनों को एक संरक्षित प्रणाली घोषित करना है।

(तीन) का.आ.842 (अ) जो 24 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ट्रेडिंग सिस्टम और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्भूत कम्प्यूटर संसाधनों को एक संरक्षित प्रणाली घोषित करना है।

(चार) का.आ.843 (अ) जो 24 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा

जिनका आशय क्लियरिंग एण्ड सेटलमेंट सिस्टम और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्लियरिंग लिमिटेड के अंतर्भूत कम्प्यूटर संसाधनों को एक संरक्षित प्रणाली घोषित करना है।

(15) सिक्का-निर्माण अधिनियम, 2011 की धारा 25 के अंतर्गत सिक्का-निर्माण (श्री श्यामाशरण लाहिड़ी महाशय की 125वीं प्रस्थान पुण्य तिथि के अवसर पर 125 रूपये के स्मारक सिक्के का निर्गम) नियम, 2020 जो 17 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 506(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(16) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 241 के अंतर्गत दिवाला और शोधन अक्षमता (कारपोरेट लेनदारों के व्यक्तिगत गारंटरों के लिए शोधन अक्षमता प्रक्रिया के लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को लागू होना) नियम, 2019 जो 15 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 855(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(17) उपर्युक्त (16) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(18) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 1034 (अ) जो 11 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय बैंककारी कंपनी, जिसके संबंध में केन्द्रीय सरकार ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 5 और 6 के उपबंधों के अनुप्रयोग से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (49 का 10) की धारा 45 के अंतर्गत अधिसूचना जारी की है, को छूट देना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(19) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 30ख के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) चार्टर्ड अकाउंटेंट्स गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया, बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा भत्ते(संशोधन) नियम, 2020 जो 26 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 311(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) सा.का.नि. 312(अ) जो 26 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 38(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(तीन) सा.का.नि. 431(अ) जो 7 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जनवरी, 2011 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 38(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चार) सा.का.नि. 434(अ) जो 9 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा

जिसमें 7 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 431(अ) का शुद्धिपत्र दिया गया है ।

(20) कॉस्ट एण्ड वर्क्स अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1959 की धारा 40 के अंतर्गत अधिसूचना सं. 21-सीडब्ल्यूए/2020 जो 13 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अधिसूचित किया गया है कि 28 जून, 2020 को आयोजित संस्थान की परिषद की 325वीं बैठक में अनुशासनात्मक निदेशालय द्वारा प्राप्त किसी सूचना या शिकायत के संबंध में जांच के लिए श्री राजेन्द्र बोस, संयुक्त निदेशक को निदेशक (अनुशासन) के रूप में पदाविहित किया है ।

(21) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 40 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अगस्त 2020 की अधिसूचना सं. आईसीएसआई सं. 1 जो 28 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा श्री अशोक कुमार दीक्षित, संयुक्त सचिव को 1 सितम्बर, 2020 से भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के निदेशक (अनुशासन) के रूप में पदाविहित किया है।

(दो) कंपनी सचिव (संशोधन) विनियम, 2020 जो 3 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 710/1(एम)/1 में प्रकाशित हुए थे ।

(22) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 215(अ) जो 25 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत-जापान वृहद आर्थिक सहभागिता आर्थिक करार (आईजेसीईटीए) के अंतर्गत आयातित विशिष्ट वस्तुओं के संबंध में दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से टेरिफ रियायत में वृद्धि करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 246(अ) जो 9 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त विधेयक, 2020 के पारित होने के पश्चात वित्त विधेयक, 2020 के विभिन्न उप-खंडों को वित्त अधिनियम, 2020 (2020 का 12) की संबंधित धाराओं को प्रतिस्थापित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.नि. 247(अ) जो 9 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 30 सितम्बर, 2020 तक वेंटीलेटर्स, निजी सुरक्षा उपकरण, फेस मास्क और सर्जीकल मास्क, कोविड-19 टेस्टिंग किट्स पर और इसके विनिर्माण में काम आने वाले सभी मदों पर अधारभूत सीमाशुल्क से छूट देना है जिससे कि इन मदों की लागत कम हो सके और कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य संस्थानों के साथ-साथ उद्योगों को

भी राहत प्रदान की जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि. 293(अ) जो 12 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत-मलेशिया वृहद आर्थिक सहयोग करार के अंतर्गत मलेशिया में उत्पादित और वहां से निर्यातित " रिफाइंड ब्लीच्ड डियोडोराइज्ड पामोलिन और रिफाइंड ब्लीच्ड डियोडोराइज्ड पॉम ऑयल" जो कि सीमा-शुल्क टेरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के टेरिफ मद (1511 90 10) या टेरिफ मद (1511 90 20) के अंतर्गत आयात पर 180 दिन के लिए सीमा-शुल्क की दर में जो 5 प्रतिशत की अनंतिम बढ़ोत्तरी की गई थी, उसको अभिपुष्ट करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा.का.नि. 341(अ) जो 2 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय संयुक्त राज्य अमेरिका से भिन्न देशों में मूलत: कुछ उत्पादित या वहां से निर्यातित लेन्टिल (मसूर) पर और संयुक्त राज्य अमेरिका से मित्र देशों में मूलत: कुछ उत्पादित या वहां से निर्यातित लेन्टिल (मसूर) पर आयात शुल्क को कम करके क्रमश: 30 प्रतिशत से 10 प्रतिशत और 50 प्रतिशत से 30 प्रतिशत, दोनों ही मामलों में 31 अगस्त, 2020 तक करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा.का.नि. 358(अ) जो 9 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अगरबतियों के विनिर्माण में प्रयोग के लिए बॉस के आयात पर जो 10 प्रतिशत की रिआयती दर लगायी गई हैं से वापस लिया जा सके और बॉस (एचएस 1401 1000) के आयात पर 25 प्रतिशत की एक समान दर लागू करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा.का.नि. 398(अ) जो 23 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कुछ विशिष्ट मदों में प्रति विश्व व्यापार संगठन के प्रति वचनबद्ध "इन - कोटा टैरिफ्स" से संबंधित तरीकों और प्रविष्टियों को विनिर्दिष्ट करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा.का.नि. 430(अ) जो 6 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय भारत- कोरिया बृहद आर्थिक सहभागिता करार (द्विपक्षीय रक्षोपाय) नियमावली, 2017 के अंतर्गत व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिश के आधार पर, एक द्विपक्षीय वैकल्पिक रक्षोपाय के रूप में, भारत कोरिया बृहद आर्थिक सहभागिता करार के अंतर्गत कोरिया गणराज्य में मूलत: उत्पादित और यहां आयातित "प्थैलिक एनहाइडाइड के आयात पर सीमाशुल्क की दर में 200 दिनों तक की अवधि तक वृद्धि करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा.का.नि. 444(अ) जो 13 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिश के अनुसार भारत गणराज्य

के मध्य सम्पन्न बृहद आर्थिक सहभागिता करार के अंतर्गत कोरिया गणराज्य में मूलत: उत्पादित और यहां आयातित पोलीबूटाडीन रबर पर सीमा शुल्क की बढ़ती दर संबंधी द्विपक्षीय रक्षोपाय को, मोस्ट फेवर्ड नेशन ड्यूटी अर्थात् उक्त माल पर 10 प्रतिशत तक, 200 दिनों की अवधि तक के लिए लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा.का.नि. 494(अ) जो 7 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कुडनकुल्लम परमाणु ऊर्जा संयंत्र 5 और 6 की स्थापना के लिए आयातित वस्तुओं पर आधारभूत सीमाशुल्क से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) का.आ. 719(अ) जो 14 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर खाद्य तेल, ब्रास स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी और अरेका नट्स पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) अधिसूचना सं. 15/2020-सीमाशुल्क(एनटी) जो 20 फरवरी, 2020 को प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) का.आ. 855(अ) जो 25 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर खाद्य तेल, ब्रास स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी और अरेका नट्स पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह) का.आ. 900(अ) जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर खाद्य तेल, ब्रास स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी और अरेका नट्स पर टैरिफ मूल्य के पुनर्संशोधन के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पंद्रह) अधिसूचना सं. 19/2020-सीमाशुल्क(एनटी) जो 4 मार्च, 2020 को प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सोलह) अधिसूचना सं. 20/2020-सीमाशुल्क(एनटी) जो 5 मार्च, 2020 को प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्रह) अधिसूचना सं. 21/2020-सीमाशुल्क(एनटी) जो 9 मार्च, 2020 को प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को

भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अठारह) अधिसूचना सं. 22/2020-सीमाशुल्क(एनटी) जो 12 मार्च, 2020 को प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उन्नीस) अधिसूचना सं. 23/2020-सीमाशुल्क(एनटी) जो 13 मार्च, 2020 को प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बीस) का.आ. 1059(अ) जो 13 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर खाद्य तेल, ब्रास स्क्रैप, स्वर्ण, चांदी और अरेका नट्स पर टैरिफ मूल्य के संशोधन के बारे में हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इक्कीस) अधिसूचना सं. 25/2020-सीमाशुल्क(एनटी) जो 16 मार्च, 2020 को प्रकाशित हुई थी तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बाईस) सा.का.नि. 306(अ) जो 21 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उनमें उल्लिखित अधिसूचनाओं में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेईस) सा.का.नि. 439(अ) जो 10 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 9 मार्च, 2012 की अधिसूचना सं. 9/12-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौबीस) सा.का.नि. 213(अ) जो 24 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2003 की अधिसूचना सं. 52/2003-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पच्चीस) इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग प्रणाली के अंतर्गत नेपाल को कार्गो का ट्रांसशिपमेंट (संशोधन) विनियम, 2020 जो 31 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 484(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छब्बीस) विशेष भाण्डागार में विनिर्माण और अन्य प्रचालन विनियम, 2020 जो 17 अगस्त,

2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 509(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्ताईस) भाण्डागार में विनिर्माण और अन्य प्रचालन (संख्या 2) संशोधन विनियम, 2020 जो 17 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 510(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अट्ठाईस) विशेष भाण्डागार (कस्टडी एण्ड हैण्डलिंग ऑफ गुड्स) संशोधन विनियम, 2020 जो 17 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 511(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उनतीस) सीमाशुल्क (व्यापार समझौते के अंतर्गत उद्भूत के नियमों का प्रशासन) विनियम, 2020 जो 21 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 521(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीस) सा.का.नि. 277(अ) जो 5 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पेट्रोल और डीजल दोनों पर अतिरिक्त सीमाशुल्क के रूप में संकलित सड़क और अवसंरचना उपकर (आरआईसी) में 10 रूपये प्रति लीटर से वृद्धि करके 18 रूपये प्रति लीटर करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इकतीस) सा.का.नि. 547(अ) जो 7 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सी.शु. में कतिपय संशोधन करना है ताकि एम-फीचर सहित कागज आधारित टग्गांट पर आधारभूत सीमाशुल्क में छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(23) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 252(अ) जो 15 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कोरिया गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित एसीटोन के आयात पर अधिसूचना सं. 05/2015-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 18 फरवरी, 2015 के साथ लगाये गये अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क और सऊदी अरबिया तथा चीनी ताईपे में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित एसीटोन के आयात पर अधिसूचना सं. 13/2015-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 16 अप्रैल, 2015 के साथ लगाये गये प्रतिपाटन शुल्क को 14 अक्टूबर, 2020 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, व्यापार-उपचार महानिदेशालय के द्वारा शुरू की गयी समीक्षा के अनुपालन में जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 302(अ) जो 19 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, व्यापार-उपचार महानिदेशालय की सिफारिशों के आधार पर, चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "सोडियम साइट्रेट" के आयात पर 5 वर्ष की और अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.नि. 314(अ) जो 27 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार-उपचार महानिदेशालय की 26 मार्च, 2020 के अंतिम निष्कर्षों के आधार पर, चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर" के आयात पर 5 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि. 330(अ) जो 29 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय थाइलैंड में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित एक्रिलिक फाइबर के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क को 6 माह की और अवधि अर्थात 30 नवम्बर, 2020 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, जारी रखना है, ऐसा व्यापार उपचार महानिदेशालय के द्वारा की जा रही सन्सेट रिव्यू जांच के परिणाम के लंबित रहने के कारण किया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पांच) सा.का.नि. 344(अ) जो 3 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 5 जून, 2015 की अधिसूचना संख्या 28/2015-सीमाशुल्क (एडीडी) में संशोधन करना है ताकि चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया और कोरिया गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "एएसटीएम ग्रेड 304 के स्टेनलेस स्टील के हाट रोल्ड फलैट प्रोडक्टस, इसके सभी वैण्ड्स" पर लगने वाले प्रतिपाटन शुल्क को 6 माह की अवधि अर्थात 4 दिसम्बर, 2020 तक जारी रखा जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा.का.नि. 345(अ) जो 3 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मलेशिया में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "सभी प्रकार के इलेक्ट्रानिक कैलकुलेटर (प्रिंटरयुक्त कैलकुलेटर्स, जिन्हें सामान्यतया प्रिटिंग कैलकुलेटर्स कहा जाता है: प्लाट और चार्ट तैयार करने की क्षमता वाले कैलकुलेटर्स जिन्हें सामान्यतया ग्राफिग कैलकुलेटर्स और प्रोगामेंबल कैलकुलेटर्स कहा जाता है, को छोड़कर) विनिर्दिष्ट प्राधिकरी के अंतिम निष्कर्षों के अनुपालन में निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा.का.नि. 363(अ) जो 9 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "1-फेनाइल-3-मेथाईल-5-पाइराजोलोन" के आयात पर 6 महीने की अवधि के लिए अनंतिम

प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा.का.नि. 364(अ) जो 9 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सिंगापुर में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "मोलीकुलर वेट 3000-4000 वाले फलेक्सिबल स्लैब स्टाक पोलियोल" के आयात पर विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय के द्वारा जारी 'सनसेट रिव्यू' के अंतिम निष्कर्षों के अनुपालन पांच वर्ष तक की अवधि के लिये निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा.का.नि.366 (अ) जो 10 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा कराई गई सनसेट रिव्यू जांच के परिणाम लंबित रहने तक चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उद्भूत उत्पादित या वहां से निर्यातित 'नायलान टायर कोर्ड फेब्रिक' के आयात पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को 6 माह की और अवधि अर्थात 11 दिसम्बर, 2020, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि.397 (अ) जो 23 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय की अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना सं.6/4/2019-डीजीटीआर, दिनांक 21 फरवरी, 2020 के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य, वियतनाम और कोरिया गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'इस्पात के फ्लैट रॉल्ड उत्पाद, जो कि एल्यूमीनियम और जिंक एलॉय से पलेटेड या कोटेड हो'' इस पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाये जाने की तारीख अर्थात 15 अक्तूबर, 2019 से पांच वर्ष की अवधि तक के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सा.का.नि.433 (अ) जो 8 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय की अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना फा.सं.7/24/2019-डीजीटीआर, दिनांक 18 जून, 2020 के अधार पर चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'स्टील और फाइबर ग्लास के मेजरिंग टेप्स और उनके पार्ट्स तथा घटक'' पर इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए (यदि इसके पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि.435(अ) जो 9 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा कराई गई समीक्षा के अनुसरण में दक्षिण अफ्रीका में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित फेनोल के आयात पर अधिसूचना सं. 32/2015 सीमाशुल्क (ए डी डी),दिनांक 10 जुलाई, 2015 के तहत लगाये गए प्रतिपाटन शुल्क को 9 जनवरी, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि.459 (अ) जो 21 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा कराई गई समीक्षा के अनुसरण में चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित ''फलूओरोलास्टोमर्स (एफकेएम)पर लगे प्रतिपाटन शुल्क को अगले तीन महीने तक तक अर्थात 27 अक्तूबर, 2020 तक, जिसमें यह

तारीख भी शामिल है, जारी रखा जा सके, और वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 की पांचवी अनुसूची द्वारा सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में किए गए परिवर्तन के परिणामस्वरूप, मूल अधिसूचना में उल्लिखित टैरिफ मदों को इकट्ठा करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि.471 (अ) जो 29 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय की सिफारिश के आधार पर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के टैरिफ शीर्षक 8541 40 11 या 8541 40 12 के अंतर्गत आने वाले 'मोडूयल या पैनल में असेम्बल किए जा सकने या नहीं किया जा सकने वाले सोलर सेल' के आयात पर एक वर्ष की अवधि (30 जुलाई, 2020 से 29 जुलाई, 2021 तक) (दोनों दिन सम्मिलित) के लिए सुरक्षा शुल्क लगाने को जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि.472 (अ) जो 29 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय की अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना सं.6/7/2019-डीजीटीआर, दिनांक 15 मई, 2020 के आधार पर चीन जनवादी गणराज्य, जापान, कोरिया गणराज्य, ताईवान और वियतनाम में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'डिजिटल आफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स'' पर इस पर लगाए गए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क की तारीख, अर्थात 30 जनवरी, 2020 से पांच वर्ष की अवधि तक के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) सा.का.नि.474(अ) जो 29 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा जारी प्राथमिक निष्कर्षों में की गई सिफारिश के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'एनिलाइन या एनिलाइन ऑयल', के आयात पर 6 महीने की अवधि के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) सा.का.नि.498(अ) जो 10 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा जारी प्राथमिक निष्कर्षों में की गई सिफारिश के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया और चीनी ताइपे में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'ब्लैक टोनर' पाउडर रूप में, के आयात पर 6 महीने की अवधि के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) सा.का.नि.501 (अ) जो 11 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा कराई गई सनसेट रिव्यू जांच के परिणाम लंबित रहने तक चीन जनवादी गणराज्य और हाँगकाँग में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'फ्लेक्स फैब्रिक' के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क को तीन माह की और अवधि अर्थात 11 नवम्बर, 2020, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) सा.का.नि.505 (अ) जो 14 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा कराई गई समीक्षा के अनुसरण में जिससे कि चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित ''डिकेटोपाइरोलो पाइरोल पिग्मेन्ट रेड 254 (डी पी पी रोड 254)'' के आयात पर लगाये गए प्रतिपाटन शुल्क को तीन महीने की अवधि अर्थात 16 नवम्बर, 2020, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) सा.का.नि.507 (अ) जो 17 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका

आशय सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9(क) की उप-धारा 5 के अनुसार अभिहित प्राधिकारी के अनुरोध पर चीन जनवादी गणराज्य और कोरिया गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "कास्टिक सोडा" के आयात पर लगाये गए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क को तीन माह की और अवधि अर्थात 17 नवम्बर, 2020, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) सा.का.नि.519 (अ) जो 21 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी द्वारा जारी प्रतिपाटन सनसेट रिव्यू जांच के अंतिम निष्कर्षों के अनुपालन में कोरिया गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "फास्फेरिक एसिड, सभी ग्रेड के और इसके सभी सान्द्र (कृषि/उर्वरक ग्रेड समेत)" के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) सा.का.नि.520 (अ) जो 21 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कोरिया गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "एक्रीलोनाट्राइल ब्यूटाडीन रबर" पर लगे प्रतिपाटन शुल्क को तीन माह की और अवधि अर्थात 3 दिसम्बर, 2020 तक जारी रखना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) सा.का.नि.544 (अ) जो 2 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अभिहित प्राधिकारी, व्यापार उपचार महानिदेशालय द्वारा जारी प्राथमिक निष्कर्षों में की गई सिफारिश के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 'सिप्रोफ्लॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड', के आयात पर 6 महीने की अवधि के लिए अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) सा.का.नि.545(अ) जो 2 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित "क्लीयर और साथ ही साथ टिंटिड किस्म (ग्रीन ग्लास के अतिरिक्त) 2 एमएम से 12 एमएम (दोनो मोटाई शामिल) मोटाई के फ्लोट ग्लास किंतु इसमें सज्जा, औद्योगिक या ऑटोमोटिव प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त रिफलेक्टिक ग्लास, प्रोसेस्ड ग्लास शामिल नहीं है," के आयात पर लगे प्रतिपाटन शुल्क को तीन माह की और अवधि अर्थात 7 दिसम्बर, 2020 तक, जिसमें यह तारीख शामिल है, बढ़ाने के लिए दिनांक 8 सितम्बर, 2015 के 47/2015-सी.शु. में सशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(24) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 179(अ) जो 16 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय विदेशी एयरलाइनों को प्ररूप जीएसटीआर-9ग में समाधान विवरण प्रस्तुत करने से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 193(अ) जो 21 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघराज्य क्षेत्रों के विलय के बाद इनमें करदाताओं के लिए विशेष प्रक्रिया का उपबंध करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.नि. 194(अ) जो 21 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत कॉरपोरेट दिवाला

समाधान प्रक्रिया से गुजरने वाले कॉरपोरेट देनदारों के लिए विशेष प्रक्रिया का उपबंध करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि. 195(अ) जो 21 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 2/2019-केन्द्रीय कर (दर) के अन्तर्गत विशेष संरचना योजना का विकल्प न चुन सकने वाले करदाताओं के लिए 2019-20 के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की आवश्यकता से छूट देना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पाँच) सा.का.नि. 196(अ) जो 21 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय वर्ग के पंजीकृत व्यक्तियों को ई-इनवॉयस जारी करने से छूट देना तथा ई-इनवॉयसिंग के कार्यान्वयन की तारीख को 1.10.2020 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा.का.नि. 197(अ) जो 21 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय कतिपय वर्ग के पंजीकृत व्यक्तियों को डायनामिक क्यूआर कोड कैप्चर करने से छूट देना तथा क्यूआर कोड के कार्यान्वयन की तारीख को 1.10.2020 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सात) सा.का.नि. 198(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त वर्ष 2018-19 से 30.06.2020 तक के लिए सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 44 के अन्तर्गत निर्दिष्ट वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा को बढ़ाया जाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(आठ) सा.का.नि. 199(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी नियम का तीसरा संशोधन (2020) करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(नौ) सा.का.नि. 200(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय व्यक्तियों के उस वर्ग को निर्दिष्ट करना है जिन्हें आधार प्रमाणन से छूट दी जाएगी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दस) सा.का.नि. 201(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उस तारीख को अधिसूचित करना है जिससे किसी व्यक्ति को पंजीकरण के लिए पात्र होने के लिए आधार संख्या का प्रमाणन कराना होगा तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(ग्यारह) सा.का.नि. 202(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उन व्यक्तियों को छोड़कर जिन्हें पंजीकरण के लिए पात्र होने के लिए आधार संख्या का प्रमाणन कराना होगा, व्यक्तियों के उस वर्ग को निर्दिष्ट करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बारह) सा.का.नि. 203(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उन करदाताओं, जिनके व्यवसाय का मूल स्थान पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर में है, के लिए प्ररूप जीएसटीआर-7 प्रस्तुत करने की नियत तारीख को जुलाई, 2019 से अक्टूबर, 2019 और नवम्बर, 2019 से फरवरी, 2020 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेरह) सा.का.नि. 204(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा

जिनका आशय उन पंजीकृत व्यक्तियों, जिनके व्यवसाय का मूल स्थान पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर या जम्मू और कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र या लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में है, के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की नियत तारीख को अक्टूबर-दिसंबर, 2019 की तिमाही के लिए 24 मार्च, 2020 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौदह) सा.का.नि. 205(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उन पंजीकृत व्यक्तियों, जिनके व्यवसाय का मूल स्थान पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर में है और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार 1.5 करोड़ रूपये से अधिक है, के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की नियत तारीख को अक्टूबर, 2019 और नवम्बर, 2019 के लिए फरवरी से 24 मार्च, 2020 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पन्द्रह) सा.का.नि. 206(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उन पंजीकृत व्यक्तियों, जिनके व्यवसाय का मूल स्थान पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर में है और जिन पंजीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार 1.5 करोड़ रूपये से अधिक है, के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की नियत तारीख को जुलाई, 2019 से सितम्बर, 2019 तक प्रत्येक माह के लिए 24 मार्च, 2020 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सोलह) सा.का.नि. 207(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उन पंजीकृत व्यक्तियों, जिनके व्यवसाय का मूल स्थान पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर में है, के लिए जुलाई-सितम्बर, 2019 की तिमाही के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की नियत तारीख को 24 मार्च, 2020 तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्रह) सा.का.नि. 208(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उन पंजीकृत व्यक्तियों, जिनके व्यवसाय का मूल स्थान पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर में है, के लिए अक्टूबर, 2019 और नवम्बर, 2019 से फरवरी, 2020 के माह के लिए जीएसटीआर-3(ख) प्रस्तुत करने की नियत तारीख को 24 मार्च, 2020 या उससे पहले तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अठारह) सा.का.नि. 209(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उन पंजीकृत व्यक्तियों, जिनके व्यवसाय का मूल स्थान पूर्ववर्ती जम्मू और कश्मीर में है, के लिए जुलाई, 2019 से सितम्बर, 2019 के माह के लिए उक्त नियमों का प्ररूप जीएसटीआर-3(ख) को कॉमन पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की नियत तारीख 24 मार्च, 2020 या उससे पहले तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उन्नीस) सा.का.नि. 210(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उन पंजीकृत व्यक्तियों, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार 1.5 करोड़ रूपये तक है, के लिए अप्रैल, 2020 से जून, 2020 और जुलाई, 2020 से सितम्बर, 2020 की तिमाही के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की नियत तारीख निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बीस) सा.का.नि. 211(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा

जिनका आशय पंजीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्गों, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार 1.5 करोड़ रूपये से अधिक है, द्वारा लिए अप्रैल, 2020 से सितम्बर , 2020 तक प्रत्येक माह के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 प्रस्तुत करने की नियत तारीख निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इक्कीस) सा.का.नि. 212(अ) जो 23 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-3(ख) में विवरणी तथा अप्रैल, 2020 से सितम्बर, 2020 के लिए उक्त प्ररूप प्रस्तुत करने की नियत तारीख निर्धारित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बाईस) सा.का.नि. 230(अ) जो 3 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कंपोजिशन स्कीम के विकल्प का चयन करने की तारीख को 30.06.2020 तक और नियम 36 (4) में शर्त के संचयी रूप से लागू करने की अनुमति देने के लिए सीजीएसटी नियमों में संशोधन (चौथा संशोधन) करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तेईस) सा.का.नि. 231(अ) जो 3 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय फरवरी, 2020 से अप्रैल, 2020 की कर अवधि के लिए सशर्त ब्याज दर में कमी के द्वारा राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौबीस) सा.का.नि. 232(अ) जो 3 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय फरवरी, 2020 से अप्रैल, 2020 तक की कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में देरी से विवरणी प्रस्तुत करने के लिए विलम्ब शुल्क की सशर्त छूट द्वारा राहत प्रदान करना तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पच्चीस) सा.का.नि. 233(अ) जो 3 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मार्च, 2020 से मई, 2020 की कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में बाहरी विवरण प्रस्तुत करने में देरी के लिए विलम्ब शुल्क की सशर्त छूट की राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छब्बीस) सा.का.नि. 234(अ) जो 3 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 को प्रस्तुत करने की नियत तारीख को बढ़ाकर 7.7.2020 तक करना और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 को दाखिल करने की नियत तारीख को बढ़ाकर 15.7.2020 तक करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्ताईस) सा.का.नि. 235(अ) जो 3 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 20.03.2020 से 29.06.2020 की अवधि के दौरान किए जाने वाले अनुपालन की नियत तारीख को बढ़ाकर 30.06.2020 तक करना और ई-बिल की वैधता का विस्तार करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अट्ठाईस) सा.का.नि. 236(अ) जो 3 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मई, 2020 में की गई आपूर्ति के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख को आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उनतीस) सा.का.नि. 266(अ) जो 28 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 87 (13) के उपबंधों तथा प्ररूप

जीएसटी पीएमटी-09 को लागू करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीस) केन्द्रीय माल और सेवा कर (पाँचवा संशोधन) नियम, 2020 जो 5 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 272(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इकतीस) सा.का.नि. 273(अ) जो 5 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिवाला तथा शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजरने वाले कॉरपोरेट देनदारों के लिए विशेष प्रक्रिया में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बत्तीस) सा.का.नि. 274(अ) जो 5 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 20.03.2020 से 15.04.2020 की अवधि के दौरान समाप्त होने वाले और 24.03.2020 तक जनरेट किए गए ई-वे बिल्स की वैधता को बढ़ाकर 31.05.2020 तक करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तैंतीस) सा.का.नि. 275(अ) जो 5 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्ररूप जीएसटीआर-9/9ग प्रस्तुत करने की नियत तारीख को बढ़ाकर 30 सितम्बर, 2020 तक करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौंतीस) सा.का.नि. 276(अ) जो 5 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय लद्दाख में पंजीकृत करदाताओं के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख, जनवरी-मार्च, 2020 की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पैंतीस) सा.का.नि. 299(अ) जो 16 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1.07.2017 से सीजीएसटी अधिनियम की धारा 140 में संशोधन करने के लिए वित्त अधिनियम, 2020 की धारा 128 को लागू करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छत्तीस) सा.का.नि. 357(अ) जो 8 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय एसएमएस द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-3ख में शून्य विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नियम 67क के उपबंधों को लागू करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सैतीस) सा.का.नि. 360(अ) जो 9 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पूर्ववर्ती संघराज्य क्षेत्रों दमण और दीव तथा दादरा और नागर हवेली के विलय के कारण जीएसटी के अन्तर्गत ट्रांजिशन की तारीख को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अड़तीस) सा.का.नि. 361(अ) जो 9 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54(7) के अन्तर्गत आदेश पारित करने की अवधि को बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उनतालीस) सा.का.नि. 362(अ) जो 9 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 24.03.2020 को या उससे पूर्व जनरेट किए गए ई-वे बिल (जिनकी वैधता 20 मार्च, 2020 को या उसके बाद समाप्त हो चुकी है) से 30 जून, 2020 तक जनरेट किए गए ई-वे बिल की वैधता को आगे बढ़ाने के संबंध में दिनांक 05.05.2020 की अधिसूचना संख्या 40/2020-केन्द्रीय कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चालीस) केन्द्रीय माल और सेवा कर (छठा संशोधन) नियम, 2020, जो 24 जून, 2020 के भारत

के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 394(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इकतालीस) सा.का.नि. 402(अ) जो 24 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 30.06.2020 से सीजीएसटी अधिनियम की धारा 2, 109, 168 और 172 में संशोधन करने के लिए वित्त अधिनियम, 2020 की धारा 118, 125, 129 और 130 को लागू करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बयालीस) केन्द्रीय माल और सेवा कर (सातवां संशोधन) नियम, 2020, जो 24 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 403(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तैतालीस) सा.का.नि. 404(अ) जो 24 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय फरवरी, 2020 से जुलाई, 2020 तक की कर अवधि के लिए निर्धारित समय के लिए ब्याज दर को घटाकर राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चवालीस) सा.का.नि. 405(अ) जो 24 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई, 2017 से जनवरी, 2020 तक प्ररूप जीएसटीआर-3ख प्रस्तुत न किए जाने के लिए विलम्ब शुल्क को घटाकर/छूट देकर एक बारगी छूट प्रदान करना है तथा फरवरी, 2020 से जुलाई, 2020 की कर अवधियों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करने में देरी के लिए विलम्ब शुल्क में सशर्त छूट द्वारा राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पैंतालीस) सा.का.नि. 406(अ) जो 24 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय मासिक विवरण दाखिल करने वालों के लिए मार्च, 2020 से जून, 2020 के लिए तथा तिमाही आधार पर विवरण दाखिल करने वालों के लिए जनवरी, 2020 से जून, 2020 की तिमाहियों की कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में आउटवॉर्ड विवरण प्रस्तुत करने में देरी के लिए विलम्ब शुल्क में छूट द्वारा राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छियालीस) सा.का.नि. 407(अ) जो 24 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 5 करोड़ रूपये तक के वार्षिक कारोबार वाले करदाताओं के लिए अगस्त, 2020 में की गई आपूर्ति के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख प्रस्तुत करने की नियत तारीख को आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सैंतालीस) सा.का.नि. 416(अ) जो 27 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय "20.03.2020 से 30.08.2020" की अवधि के दौरान अनुपालन की नियत तारीख को 31.08.2020 तक बढ़ाने के लिए अधिसूचना संख्या 35/2020-केन्द्रीय कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अड़तालीस) सा.का.नि. 417(अ) जो 27 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीजीएसटी अधिनियम की धारा 54(7) के अन्तर्गत आदेश पारित करने की अवधि को और आगे बढ़ाकर 31.08.2020 तक करने या कुछ मामलों में तत्पश्चात् 15 दिन तक करने के लिए अधिसूचना संख्या 46/2020-केन्द्रीय कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उनचास) सा.का.नि. 424(अ) जो 30 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जुलाई, 2017 से जुलाई, 2020 की अवधि के लिए विलम्ब शुल्क में सशर्त छूट प्रदान करने के लिए अधिसूचना संख्या 52/2020-केन्द्रीय कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पचास) केन्द्रीय माल और सेवा कर (आठवां संशोधन) नियम, 2020, जो 1 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 426(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(इक्यावन) सा.का.नि. 443(अ) जो 13 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 को दाखिल करने की नियत तारीख को आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(बावन) केन्द्रीय माल और सेवा कर (नौवां संशोधन) नियम, 2020, जो 30 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 480 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तिरपन) सा.का.नि. 481(अ) जो 30 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ई-इनवॉयस के प्रयोजन के लिए पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग में संशोधन करने के लिए अधिसूचना संख्या 13/2020-केन्द्रीय कर में सशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चौवन) का.आ. 2064(अ) जो 25 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय निर्दिष्ट करदाताओं के लिए पंजीकरण रद्द किए जाने को वापस लिए जाने के लिए आवेदन दाखिल करने की समय-सीमा को आगे बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पचपन) केन्द्रीय माल और सेवा कर (दावां संशोधन) नियम, 2020, जो 20 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 517 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छप्पन) सा.का.नि. 527(अ) जो 25 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 01.09.2020 से सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50 में संशोधन करने के लिए वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 की धारा 100 के उपबंधों को अधिसूचित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(सत्तावन) सा.का.नि. 539(अ) जो 31 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 दाखिल करने की नियत तारीख को बढ़ाकर 31.10.2020 करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(अठ्ठावन) सा.का.नि. 542(अ) जो 1 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय “20.03.2020 से 29.11.2020” की अवधि के दौरान धारा 171 के अन्तर्गत अनुपालन की नियत तारीख को 30.11.2020 तक बढ़ाने के लिए दिनांक 03.04.2020 की अधिसूचना संख्या 35/2020-केन्द्रीय कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(उनसठ) सा.का.नि. 221(अ) जो 26 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय वायुयानों, वायुयान इंजनों और वायुयान के अन्य कलपुर्जो या पार्ट्स के

संबंध में अनुरक्षण, मरम्मत या ऑवरहॉल सेवाओं पर सीजीएसटी दर को 9 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(साठ) सा.का.नि. 216(अ) जो 25 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2007 की अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर(दर) में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(25) एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 222(अ) जो 26 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 8/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है ताकि वायुयानों, वायुयान इंजनों और वायुयान के अन्य कलपुर्जो या पार्ट्स के संबंध में अनुरक्षण, मरम्मत या ऑवरहॉल सेवाओं पर आईजीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 217अ) जो 25 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर) में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.नि. 224(अ) जो 26 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 30.09.2019 की अधिसूचना संख्या 4/2019-एकीकृत कर में संशोधन करना है ताकि किसी व्यक्ति को आपूर्ति किए गए वायुयानों, वायुयान इंजनों और वायुयान के अन्य कलपुर्जो या पार्ट्स के संबंध में आगे उपयोग के लिए अथवा प्राप्तकर्ता के स्थान में व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अनुरक्षण, मरम्मत या ऑवरहॉल सेवा की आपूर्ति के स्थान में बदलाव किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि. 242(अ) जो 08 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय फरवरी, 2020 से अप्रैल, 2020 की कर अवधियों के लिए ब्याज दर को सशर्त घटाकर राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पाँच) सा.का.नि. 409(अ) जो 24 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 30.06.2020 से आईजीएसटी अधिनियम की धारा 25 में संशोधन करने के लिए वित्त अधिनियम, 2020 की धारा 134 को लागू करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(छह) सा.का.नि. 410(अ) जो 24 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय फरवरी .2020 से जुलाई, 2020 की का अवधियों के लिए निर्धारित समय के लिए ब्याज दर को घटाकर राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(26) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 242(अ) जो 08 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय फरवरी, 2020 से अप्रैल, 2020 की कर अवधियों के लिए ब्याज दर को

सशर्त घटाकर राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 243(अ) जो 08 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय फरवरी, 2020 से अप्रैल, 2020 की कर अवधियों के लिए ब्याज दर को सशर्त घटाकर राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(तीन) सा.का.नि. 223(अ) जो 26 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय अधिसूचना संख्या 11/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में संशोधन करना है ताकि वायुयानों, वायुयान इंजनों और वायुयान के अन्य कलपुर्जो या पार्ट्स के संबंध में अनुरक्षण, मरम्मत या ऑवरहॉल सेवाओं पर सीजीएसटी दर को 9 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत किया जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(चार) सा.का.नि. 218(अ) जो 25 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिनांक 28.06.2017 की अधिसूचना संख्या 1/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) में कतिपय संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(पाँच) सा.का.नि. 408(अ) जो 24 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय फरवरी, 2020 से जुलाई, 2020 की कर अवधियों के लिए निर्धारित समय के लिए ब्याज दर को घटाकर राहत प्रदान करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(27) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 278(अ) जो 5 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पेट्रोल पर विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क (एसएईडी) में 10 रूपये प्रति लीटर से वृद्धि करके 12 रूपये प्रति लीटर और डीजल में 4 रूपये प्रति लीटर से वृद्धि करके 9 रूपये प्रति लीटर करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(दो) सा.का.नि. 279(अ) जो 5 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय पेट्रोल और डीजल दोनों पर अतिरिक्त सीमाशुल्क के रूप में संग्रहीत सड़क और अवसंरचना उपकर (आरआईसी) में 10 रूपये प्रति लीटर से वृद्धि करके 18 रूपये प्रति लीटर करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

(28) वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 की धारा 145 और 181 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 275(अ) जो 20 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 के अध्याय 6 के भाग-3 और भाग-9 की धारा 183, 184 और 185 के उपबंधों को लागू करने के लिए 20 जनवरी, 2020 को नियत किया गया है।

2. प्रश्न

चूंकि वर्तमान सत्र अर्थात 17वीं लोक सभा के चौथे सत्र में तारांकित प्रश्नों की सूची की व्यवस्था को समाप्त किया गया है इसलिए अतारांकित प्रश्न संख्या 1151-1380 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

अपराहन 3.03 बजे

3. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

श्री अधीर रंजन चौधरी ने लोक लेखा समिति (2020-21) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

*(1) जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित 'त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम' पर 14वां प्रतिवेदन।

*(2) 'डाक विभाग द्वारा गैर-अनुपालन' विषय पर समिति के 89वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 15वां प्रतिवेदन।

(3) 'अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में पर्यटक अवसंरचना का निर्माण' विषय पर समिति के 105वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 16वां प्रतिवेदन।

(4) 'विनिमय दर का त्रुटिपूर्ण अंगीकरण और सेवा प्रदाता को अनुचित लाभ' विषय पर समिति के 112वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 17वां प्रतिवेदन।

(5) 'एपीईडीए द्वारा अप्रभावी निगरानी' विषय पर समिति के 123वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 18वां प्रतिवेदन।

(6) 'सीसीटीवी निगरानी प्रणाली की कमीशनिंग में विलम्ब, अनियमित अवकाश यात्रा रियायत दावे और सर्वर्स एवं सॉफ्टवेयर का निष्क्रिय रहना तथा हायर्ड सर्वर्स के किराए पर परिहार्य व्यय' विषय पर समिति के 124वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 19वां प्रतिवेदन।

(7) 'मोबाइल नाइट्रोजन गैस जनरेटर प्लांट का परिहार्य प्रापण, सामग्री का अनुपयोगी प्रापण, एकीकृत ऐरोस्टेट निगरानी प्रणाली का विकास तथा व्हीकल टेस्टिंग ग्राउंड के निर्माण पर अनियमित व्यय' विषय पर समिति के 131वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों और सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी 20वां प्रतिवेदन।

---

* ये दोनों प्रतिवेदन लोक सभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश 71क के अंतर्गत 23 मार्च, 2020 को माननीय लोक सभा अध्यक्ष को प्रस्तुत किए गए थे तथा अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदनों के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया। यह मामला दिनांक 20 अप्रैल, 2020 के लोक सभा समाचार भाग-2 और दिनांक 14 मई, 2020 के राज्य सभा समाचार भाग-2 द्वारा सम्यक रूप से अधिसूचित किया गया।

4. मंत्री द्वारा वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री प्रहलाद सिंह पटेल) की ओर से पर्यटन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) पर परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के 275वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

अपराहन 3.05 बजे

5. सरकारी विधेयक - वापस लिए गए

*(एक) *उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2019*

(दो) $औद्योगिक संबंध संहिता, 2019

(तीन) #सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2019

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन ने विधेयकों को वापस लिए जाने का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री संतोष कुमार गंगवार) ने सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्न का उत्तर दिया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुए और विधेयक वापस लिए गए।

6. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

(एक) उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020

(दो) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020

(तीन) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

---

* विधेयक 23 जुलाई, 2019 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था। जिन कारणों से विधेयक वापस लिया जा रहा है, उन्हें दर्शाने वाला एक विवरण 17.09.2020 को ई-ट्रांसमिशन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

$ विधेयक 28.11.2019 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था। जिन कारणों से विधेयक वापस लिया जा रहा है, उन्हें दर्शाने वाला एक विवरण 17.09.2020 को ई-ट्रांसमिशन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

विधेयक 11.12.2019 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था। जिन कारणों से विधेयक वापस लिया जा रहा है, उन्हें दर्शाने वाला एक विवरण 17.09.2020 को ई-ट्रांसमिशन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

श्री मनीश तिवारी, डॉ. शशि थरूर, श्री कल्याण बनर्जी और एडवोकेट ए.एम. आरिफ ने विधेयकों को पुरःस्थापित किए जाने का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगे।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री संतोष कुमार गंगवार) ने सदस्य द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुए और विधेयक पुरःस्थापित किए गए।

[*]अपराह्न 4.24 बजे

7. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री अधीर रंजन चौधरी ने लॉकडाउन के दौरान पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिकों को केन्द्रीय सहायता न मिलने के बारे में निवेदन किया।

[$]श्रीमती निर्मला सीतारमण ने उत्तर दिया।

अपराह्न 4.37 बजे

8. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से निम्नलिखित संदेश प्राप्त होने की सूचना दी-

(एक) यह कि राज्य सभा ने 18 सितम्बर, 2020 को हुई अपनी बैठक में केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया।

(दो) यह कि राज्य सभा ने 18 सितम्बर, 2020 को हुई अपनी बैठक में होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया।

(तीन) यह कि राज्य सभा ने 18 सितम्बर, 2020 को हुई अपनी बैठक में मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया।

(चार) यह कि राज्य सभा 18 सितम्बर, 2020 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा यथापारित संसद सदस्य वेतन, भत्ते और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020 पर बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

[%](पांच) यह कि राज्य सभा ने 19 सितम्बर, 2020 को हुई अपनी बैठक में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया।

[%](छह) यह कि राज्य सभा ने 19 सितम्बर, 2020 को हुई अपनी बैठक में महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020 को पारित किया।

---

[*] अपराह्न 3.39 बजे से अपराह्न 4.36 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

[$] वित्त मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्री

[%] रात्रि 8.48 बजे

9. राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक - सभा पटल पर रखे गए

(एक) केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2020

(दो) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2020

(तीन) मंत्रियों के संबलमों और भत्तों से संबंधित (संशोधन) विधेयक, 2020

[%]*(चार) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2020*

[%]*(पांच) महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020*

अपराहन 4.39 बजे

10. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) श्री के. मुरलीधरन द्वारा केरल के थलासेरी में निर्माणाधीन पुल ध्वस्त हो जाने के बारे में।

(2) श्री वी. वैथिलिंगम द्वारा कोविड महामारी से निपटने के लिए संघ राज्यक्षेत्र पुडुचेरी को चिकित्सा, श्रमशक्ति, प्रबंधन और वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(3) श्री टी.एन. प्रथापन द्वारा कृषि क्षेत्र में हाल ही में अधिनियमित विधानों के बारे में ।

(4) डॉ. गौतम सिगामणि पोन द्वारा सेलम से चेन्नई तक आठ लेन वाली नई सड़क के निर्माण पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(5) डॉ. बी.वी. सत्यवती द्वारा हस्तकला कामगारों को सुविधाएं और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति दिए जाने के बारे में ।

(6) श्री हेमन्त पाटिल द्वारा मराठा समुदाय को आरक्षण दिए जाने के बारे में ।

[%] रात्रि 8.48 बजे

अपराहन 4.39 बजे

#11. सांविधिक संकल्प - वापस लिया गया

लिया गया समयः 4 घंटे 09 मिनट

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन ने निम्नलिखित संकल्प पेश कियाः-

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 31 मार्च, 2020 को प्रख्यापित कराधान और अन्य विधियां (कतिपय उपबंधों पर छूट) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 2) का निरनुमोदन करती है।"

श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

संयुक्त चर्चा के पश्चात् सभा की अनुमति से संकल्प को वापस लिया गया।

#12. सरकारी विधेयक - पारित

कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) विधेयक, 2020

विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लियाः-

1. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
2. श्री मणिक्कम टैगोर
3. डॉ. गौतम सिगामणि पोन
4. श्रीमती महुआ मोइत्रा
5. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील
6. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर
7. श्री गोपाल चिनय्या शेट्टी
8. श्री भर्तृहरि महताब
9. श्री अरविन्द सावंत
10. श्री श्रीकृष्णा देवरायालू लावू
11. श्री दिलेश्वर कामैत
12. श्रीमती संगीता आजाद
13. श्री नामा नागेश्वर राव
14. एडवोकेट ए.एम. आरिफ

एकसाथ चर्चा की गई

15. श्री के. राम मोहन नायडू
16. श्री पी. रवीन्द्रनाथ कुमार
17. श्रीमती नवनित रवि राणा
18. श्री थोमस चाज़िकाडन
19. *श्री अनुराग सिंह ठाकुर
20. श्री अधीर रंजन चौधरी

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार के लिए पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार चर्चा आरंभ हुई।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।
खंड 3 स्वीकृत हुआ।
खंड 4 से 6 स्वीकृत हुए।
खंड 7 से 11 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

रात्रि 8.49 बजे

13. सरकारी विधेयक - पारित

कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2020

लिया गया समयः 1 घंटा 21 मिनट

विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लियाः-

1. श्री मनीश तिवारी
2. श्रीमती अपराजिता सारंगी

* वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री।

3. प्रो. सौगत राय
4. श्री कोटागिरी श्रीधर
5. श्री अरविन्द सावंत
6. श्री मलूक नागर
7. श्री बी.बी. पाटील
8. श्री गौरव गोगोई
9. श्री पी. रविन्द्रनाथ कुमार
10. श्री दिलेश्वर कामैत
11. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन
12. कुंवर दानिश अली

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार के लिए पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार चर्चा आरंभ हुई।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।
खंड 3 स्वीकृत हुआ।
खंड 4 और 5 स्वीकृत हुए।
खंड 6 स्वीकृत हुआ।
खंड 7 से 66 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

[$]14. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्य मंत्रणा समिति का 17वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

रात्रि 10.10 बजे

(लोक सभा रविवार, 20 सितम्बर, 2020 के अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

[$] रात्रि 9.53 बजे

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृतांत)

रविवार, 20 सितम्बर, 2020/29 भाद्रपद, 1942 (शक)

संख्या 87

अपराहन 3.00 बजे

1. सदस्य द्वारा निवेदन

श्री अधीर रंजन चौधरी ने राज्य सभा के सदस्यों द्वारा राज्य सभा चैम्बर को खाली न किए जाने के बारे में निवेदन किया।

अध्यक्ष ने राज्य सभा में बैठने की व्यवस्थाओं के बारे में नियम 384 के अंतर्गत एक घोषणा* की।

श्री प्रहलाद जोशी ने भी अपने विचार रखे।

(लोक सभा अपराहन 3.12 बजे स्थगित हुई और अपराहन 4.00 बजे पुनः समवेत हुई)

अपराहन 4.00 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने गृह मंत्री (श्री अमित शाह) की ओर से जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 103 के अंतर्गत जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2020 जो 31 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 1233(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) इंस्ट्रयूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

---

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए इस दिन का वाद-विवाद देखें।

(दो) इंस्ट्रयूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) तेरहवीं, चौदहवीं, पंद्रहवीं, सोलहवीं और सत्रहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

तेरहवीं लोक सभा

1。	विवरण संख्या 58	तीसरा सत्र, 2000
2.	विवरण संख्या 50	छठा सत्र, 2001

चौदहवीं लोक सभा

3。	विवरण संख्या 33	दूसरा सत्र, 2004
4.	विवरण संख्या 34	पांचवां सत्र, 2005
5。	विवरण संख्या 36	सातवां सत्र, 2006
6.	विवरण संख्या 28	आठवां सत्र, 2006
7.	विवरण संख्या 33	नौवां सत्र, 2006
8.	विवरण संख्या 26	ग्यारहवां सत्र, 2007
9.	विवरण संख्या 26	पंद्रहवां सत्र, 2009

पंद्रहवीं लोक सभा

10。	विवरण संख्या 38	दूसरा सत्र, 2009
11.	विवरण संख्या 31	तीसरा सत्र, 2009
12。	विवरण संख्या 32	चौथा सत्र, 2010
13.	विवरण संख्या 32	पांचवां सत्र, 2010
14。	विवरण संख्या 30	छठा सत्र, 2010
15.	विवरण संख्या 30	सातवां सत्र, 2011
16。	विवरण संख्या 33	आठवां सत्र, 2011

17.	विवरण संख्या 30	नौवां सत्र, 2011
18॰	विवरण संख्या 29	दसवां सत्र, 2012
19.	विवरण संख्या 27	ग्यारहवां सत्र, 2012
20.	विवरण संख्या 25	बारहवां सत्र, 2012
21.	विवरण संख्या 26	तेरहवां सत्र, 2013
22.	विवरण संख्या 21	चौदहवां सत्र, 2013
23.	विवरण संख्या 22	पंद्रहवां सत्र, 2013-14

सोलहवीं लोक सभा

24॰	विवरण संख्या 21	दूसरा सत्र, 2014
25.	विवरण संख्या 21	तीसरा सत्र, 2014
26॰	विवरण संख्या 20	चौथा सत्र, 2015
27.	विवरण संख्या 17	पांचवां सत्र, 2015
28॰	विवरण संख्या 17	छठा सत्र, 2015
29.	विवरण संख्या 15	सातवां सत्र, 2016
30॰	विवरण संख्या 15	आठवां सत्र, 2016
31.	विवरण संख्या 14	नौवां सत्र, 2016
32॰	विवरण संख्या 12	दसवां सत्र, 2016
33.	विवरण संख्या 12	ग्यारहवां सत्र, 2017
34॰	विवरण संख्या 10	बारहवां सत्र, 2017
35.	विवरण संख्या 9	तेरहवां सत्र, 2017-18
36॰	विवरण संख्या 8	चौदहवां सत्र, 2018
37.	विवरण संख्या 7	पंद्रहवां सत्र, 2018
38॰	विवरण संख्या 5	सोलहवां सत्र, 2018-19
39.	विवरण संख्या 4	सत्रहवां सत्र, 2019

सत्रहवीं लोक सभा

40。	विवरण संख्या 3	पहला सत्र, 2019
41.	विवरण संख्या 2	दूसरा सत्र, 2019
42.	विवरण संख्या 1	तीसरा सत्र, 2020

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रावसाहेब दादाराव दानवे) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे-

(1) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उप-धारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (चौथा संशोधन) विनियम, 2020 जो 5 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ईपी-7(1)2020 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 5 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ईपी-36(1)2020 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 5 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ईपी-36(1)2017 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (पहला संशोधन) विनियम, 2020 जो 23 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 1(5)/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2019 जो 8 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ईपी-1(3)/2016 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2019 जो 4 सितम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ईपी-7(1)/2017 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (पहला संशोधन) विनियम, 2019 जो 7 मई, 2019 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ईपी-7(1)/2017 में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 14 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय मानक ब्यूरो (प्रशासन, वित्त और अन्य पदों की भर्ती) विनियम, 2020 जो 25 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. बीएस/11/08/2020 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय मानक ब्यूरो (कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2020 जो 25 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. बीएस/11/06/2020 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय मानक ब्यूरो (सलाहकार समितियां दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 जो 12 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. बीएस/11/04/2020 में प्रकाशित हुए थे।

(3) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आवश्यक वस्तु आदेश, 2020 जो 13 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1087(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) आवश्यक वस्तु के कच्चे माल के रूप में घटकों तथा घटकों के मूल्य आदेश, 2020 जो 19 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1169(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) मास्क (दो प्लाई और तीन प्लाई), मेल्ट ब्लॉन नॉन-वूवन फैब्रिक एण्ड हैंड सैनिटाइजर्स की कीमत निर्धारण (संशोधन) आदेश, 2020 जो 24 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1207(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) मास्क (दो प्लाई और तीन प्लाई), मेल्ट ब्लॉन नॉन-वूवन फैब्रिक एण्ड हैंड सैनिटाइजर्स की कीमत निर्धारण (संशोधन) आदेश, 2020 जो 21 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 1197(अ) में प्रकाशित हुआ था।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे-

(1) (एक) नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) विधिविरूद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (5) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 2164(अ) से का.आ. 2172 (अ) जो 1 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा जो उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में "वाधवा सिंह बब्बर, लखबीर सिंह, रणजीत सिंह, परमजीत सिंह, भूपेन्द्र सिंह भिण्डा, गुरमीत सिंह बग्गा, गुरपरवंत सिंह पन्नू, हरदीप सिंह निज्जर और परमजीत सिंह" के नाम जोड़ने के संबंध में हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोत्तम रूपाला) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) गुजरात स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गुजरात स्टेट सीड्स कार्पोरेशन लिमिटेड का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) खजूर श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2020 जो 10 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 23(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) काले सुवासित चावल श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2020 जो 28 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 143(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1253 (अ) जो 11 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उर्वरक (अजैविक, जैविक अथवा मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 को विशेष आदेश के रूप में घोषित किए जाने के बारे में है।

(दो) का.आ. 1999 (अ) जो 22 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अक्टूबर, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 3226(अ) में कतिपय संशोधन किए गए है।

(तीन) का.आ. 2000 (अ) जो 22 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए भारत में विनिर्मित की जाने वाली अनंतिम उर्वरक फॉस्फोजिप्सम (दानेदार) के संबंध में निर्दिष्टियों को अधिसूचित किया गया है।

(चार) का.आ. 2001 (अ) जो 22 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 24 अक्टूबर, 2015 की अधिसूचना सं. का.आ. 2900(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

पांच) उर्वरक (अजैविक, जैविक अथवा मिश्रित) (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2020 जो 22 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2002 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(छह) का.आ. 2003 (अ) जो 22 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए उनमें उद्धृत अनुकूलित उर्वरकों की निर्दिष्टियों को अनुकूलित उर्वरकों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(सात) उर्वरक (अजैविक, जैविक अथवा मिश्रित) (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2020 जो 14 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2324 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(आठ) का.आ. 2325 (अ) जो 13 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए उनमें उद्धृत अनुकूलित उर्वरकों की निर्दिष्टियों को अनुकूलित उर्वरकों के रूप में अधिसूचित किया गया है।

(नौ) का.आ. 2500 (अ) जो 29 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 14 जुलाई, 2020 की अधिसूचना सं. का.आ. 2324(अ) में शुद्धिपत्र अंतर्विष्ट है।

(5) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उप-धारा (3) के अंतर्गत कीटनाशी (दूसरा संशोधन) नियम, 2020 जो 5 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 355(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय) की ओर से वर्ष 2018-2019 के लिए हिन्दी के प्रसार और विकास को गति प्रदान करने और संघ के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए इसके अनुगामी प्रयोग

तथा इसके क्रियान्वयन के लिए कार्यक्रम के संबंध में 50वें वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे-

(1) संविधान के अनुच्छेद 338क की धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कैलाश चौधरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे-

(1) (एक) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, समस्तीपुर के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के लेखा-परीक्षित लेखाओं पर सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(चार) रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के वर्ष 2018-2019 के लेखा-परीक्षित लेखाओं पर सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उनपर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इम्फाल के वर्ष 2017-2018 के लेखा-परीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. प्रश्न

चूंकि वर्तमान सत्र अर्थात 17वीं लोक सभा के चौथे सत्र में तारांकित प्रश्नों की सूची की व्यवस्था को समाप्त किया गया है इसलिए अतारांकित प्रश्न संख्या 1381-1610 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री राजेन्द्र अग्रवाल ने सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) 'विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' के बारे में तीसरा प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(2) 'संस्कृति मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' के बारे में चौथा प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(3) 'आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों (माने गए)' के बारे में पांचवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(4) 'आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों (न माने गए)' के बारे में छठा प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(5) 'सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा' के बारे में सातवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(6) 'आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों (माने गए)' के बारे में आठवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(7) 'आश्वासनों को छोड़ दिए जाने के अनुरोधों (न माने गए)' के बारे में नौवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

5. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) ने उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले, और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजीव कुमार बालियान) **ने** पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी) की ओर से मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के 5वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. भारतीय पुनर्वास परिषद की महा-परिषद के लिए दो सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रस्ताव

श्री थावरचंद गहलोत निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया:-

"कि भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 की धारा 4 के साथ पठित धारा 3 की उप-धारा (3) के खंड (ज) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसे रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन भारतीय पुनर्वास परिषद की महा-परिषद के सदस्य के रूप में, उनकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों की अवधि के लिए या उनके उत्तरवर्ती की सम्यक नियुक्ति होने तक, जो अवधि अधिक लंबी हो, कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 4.05 बजे

7. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2020

श्री मनीश तिवारी, प्रो. सौगत राय और श्री अधीर रंजन चौधरी ने विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगे।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय) ने गृह मंत्री (श्री अमित शाह) की ओर से सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

अपराहन 4.23 बजे

8. प्रस्ताव

श्री अधीर रंजन चौधरी ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि यह सभा 19 सितम्बर, 2020 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराहन 4.24 बजे

9. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) श्री सप्तगिरी शंकर उलाका द्वारा ओडिशा में जेईई, एनईईटी प्रवेश परीक्षा हेतु अतिरिक्त संख्या में केंद्रों की आवश्यकता के बारे में ।

(2) श्री डी. के. सुरेश द्वारा कोकून हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में ।

(3) श्री डी. एम. कथीर आनन्द द्वारा वेल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोंगलामन मंदिर से आरटीओ रोड तक सब-वे का निर्माण किए जाने के बारे में ।

(4) श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी द्वारा कुरनूल में टूरिज्म सर्किट हब विकसित करने हेतु निधियां संस्वीकृत करने के बारे ।

(5) श्री के. रघु राम कृष्ण राजू द्वारा फसल बीमा के प्रीमियम में संशोधन किए जाने के बारे में ।

(6) श्री ओम प्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर द्वारा कृष्णा-मराठवाड़ा सिंचाई परियोजना 2004 को पूरा करने हेतु केंद्रीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में ।

अपराह्न 4.24 बजे

10. नियम 193 के अधीन चर्चा

लिया गया समय: 5 घंटे 08 मिनट

अध्यक्ष ने देश में कोविड-19 स्थिति पर टिप्पणी@ की और सदस्यों से इस मामले में रचनात्मक सुझाव देने का आग्रह किया ताकि समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटा जा सके।

अध्यक्ष ने आगे सभा को सूचित किया कि श्री अधीर रंजन चौधरी, जिन्हें देश में कोविड-19 वैश्विक महामारी पर नियम 193 के अंतर्गत चर्चा प्रारंभ करनी थी, ने उनसे अनुरोध किया था कि डॉ. शशि थरूर को उनकी ओर से चर्चा प्रारंभ करने की अनुमति दी जाए और उन्होंने उनके अनुरोध को स्वीकार किया।

तदनुसार डॉ. शशि थरूर ने चर्चा आरंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लियाः-

1. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
2. श्री तिरू दयानिधि मारन
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. डॉ. वेंकट सत्यवती बीसेट्टी
5. *श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
6. *श्री राहुल रमेश शेवाले
7. *डॉ. उमेश जी. जाधव
8. डॉ. अरविंद सावंत
9. *श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे
10. *श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे

@ मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

11. *श्रीमती रीती पाठक

12. श्री राजीव रंजन (ललन) सिंह

13. श्री भर्तृहरि महताब

14. *श्री देवजी एम. पटेल

15. *श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील

16. *श्री दुष्यंत सिंह

17. श्री गिरीश चन्द्र

18. श्री नामा नागेश्वर राव

19. *डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन

20. डॉ. एस.टी. हसन

21. *श्री बी.बी. पाटील

22. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे

23. *श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर

24. *डॉ. कलानिधि वीरास्वामी

25. श्री रमेश बिधूड़ी

26. *श्रीमती सुप्रिया सुले

27. *श्री सप्तगिरी शंकर उलाका

28. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम

29. *श्री अजय भट्ट

30. एडवोकेट ए.एम. आरिफ

31. *श्रीमती अपरूपा पोद्दार

32. *श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले

33. *डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे

34. *डॉ. राजदीप राय

35. श्री हसनैन मसूदी

36. *श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल

37. *श्री नव (हीरा) कुमार सरनीया

38. श्री जयदेव गल्ला

39. *श्री जगदम्बिका पाल

40. *श्री पी.पी. चौधरी

41. *श्री रितेश पाण्डेय

42. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर

---

* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे गए।

43. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
44. श्री सय्यद ईमत्याज जलील
45. *श्री एल.एस. तेजस्वी सूर्या
46. *श्री पी.सी. मोहन
47. श्रीमती लॉकेट चटर्जी
48. श्री प्रद्युत बोरदोलोई
49. श्री हनुमान बेनीवाल
50. श्रीमती नवनित रवि राणा
51. *श्री तीरथ सिंह रावत
52. *श्री मलूक नागर
53. श्री मोहन एस. देलकर
54. श्री पी. रविन्द्रनाथ कुमार
55. मौलाना बदरुद्दीन अजमल
56. *श्रीमती रमा देवी
57. श्री थोमस चाज़िकाडन
58. श्री सुरेश कुमार पुजारी
59. श्री दीपक बैज
60. *कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल
61. श्री श्रीकृष्णा देवरायालू लावू
62. डॉ. गद्दम रणजीत रेड्डी
63. श्री अच्युतानंद सामंत
64. श्री शिरोमणि राम वर्मा
65. श्री सुभाष सरकार
66. श्री डी.के. सुरेश
67. *श्री गोपाल जी ठाकुर
68. श्री निशिकांत दुबे
69. *श्री किंजरापु राम मोहन नायडू
70. श्री श्रीकांत एकनाथ शिंदे
71. कुंवर दानिश अली
72. श्री अधीर रंजन चौधरी
73. *श्री प्रदीप कुमार सिंह
74. श्री सुजय विखे पाटील

---
* लिखित भाषण सभा पटल पर रखे।

[&]डॉ. हर्ष वर्धन ने चर्चा का उत्तर दिया।

चर्चा समाप्त हुई।

रात्रि 9.32 बजे

11. सरकारी विधेयक - पारित

राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2020

लिया गया समयः 06 मिनट

श्री जी. किशन रेड्डी द्वारा श्री अमित शाह की ओर से विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

श्री नामा नागेश्वर राव ने अपना भाषण सभा पटल पर रखा।

विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार चर्चा आरंभ हुई।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।
खंड 3 स्वीकृत हुआ।
खंड 4 स्वीकृत हुआ।
खंड 5 स्वीकृत हुआ।
खंड 6 से 9 स्वीकृत हुए।
खंड 10 से 13 स्वीकृत हुए।
खंड 14 से 17 स्वीकृत हुए।
खंड 18 से 38 स्वीकृत हुए।
खंड 39 से 44 स्वीकृत हुए।
खंड 45 से 56 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री जी.किशन रेड्डी द्वारा विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

[&] स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री; तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री

रात्रि 9.38 बजे

12. सरकारी विधेयक - पारित

राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2020

लिया गया समयः 11 मिनट

श्री जी. किशन रेड्डी द्वारा श्री अमित शाह की ओर से विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लियाः-

1. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे
2. श्री अब्दुल खालेक
3. श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी
4. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर

श्री जी. किशन रेड्डी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार चर्चा आरंभ हुई।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।
खंड 4 स्वीकृत हुआ।
खंड 5 से 9 स्वीकृत हुए।
खंड 10 से 12 स्वीकृत हुए।
खंड 13 से 29 स्वीकृत हुए।
खंड 30 स्वीकृत हुआ।
खंड 31 से 53 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री जी.किशन रेड्डी द्वारा विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

रात्रि 9.49 बजे

#13. सांविधिक संकल्प - अस्वीकृत

लिया गया समयः 8 मिनट

श्री अधीर रंजन चौधरी ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:-

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 9 अप्रैल, 2020 को प्रख्यापित मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 4) का निरनुमोदन करती है।"

श्री अधीर रंजन चौधरी ने भी अपने विचार रखे।

संकल्प पर मतदान हुआ और यह अस्वीकृत हुआ।

#14. सरकारी विधेयक - पारित

मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित (संशोधन) विधेयक, 2020, राज्य सभा द्वारा यथापारित
श्री नित्यानन्द राय द्वारा श्री अमित शाह की ओर से विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार चर्चा आरंभ हुई।
खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री नित्यानन्द राय द्वारा, राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

एकसाथ चर्चा की गई।

रात्रि 9.56 बजे

15. सरकारी विधेयक - पारित

अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक, 2020

लिया गया समयः 12 मिनट

श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लियाः-

1. श्री अधीर रंजन चौधरी
2. श्री चन्देश्वर प्रसाद
3. श्री रितेश पाण्डेय
4. श्री अरविंद सावंत
5. श्री अनुभव मोहंती
6. श्री किंजरापु राम मोहन नायडू
7. श्री प्रसून बनर्जी
8. श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी
9. श्री जसबीर सिंह गिल

श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार के लिए प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार चर्चा आरंभ हुई।
खंड 2 से 11 स्वीकृत हुए।
पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची स्वीकृत हुई।
खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

[#]रात्रि 12.35 बजे

(लोक सभा सोमवार, 21 सितम्बर, 2020 के अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

[#] रात्रि 10.08 बजे से रात्रि 12.35 बजे तक सदस्यों द्वारा अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे उठाए गए।

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृतांत)

सोमवार, 21 सितम्बर, 2020/30 भाद्रपद, 1942 (शक)

संख्या 88

अपराह्न 3.01 बजे

1. निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने छठी, सातवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और सोलहवीं लोक सभा के सदस्य रहे श्री नन्दी एल्लैया; ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य रहे श्री विजय अण्णाजी मुडे; आठवीं लोक सभा के सदस्य रहे श्री रामदेव राय; तथा पांचवी लोक सभा की सदस्य रही श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे के निधन का उल्लेख किया।

तत्पश्चात्, सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

अपराह्न 3.06 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) की ओर से वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 की धारा 21क की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखीः-

(1) वाणिज्यिक न्यायालय (सांख्यिकीय आंकड़ा) संशोधन नियम, 2020 जो 29 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 270(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) वाणिज्यिक न्यायालय (पूर्व-संस्था मध्यस्थता और निपटान) संशोधन नियम, 2020 जो 29 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 271(अ) में प्रकाशित हुए थे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री; तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे -

(1) कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 की धारा 31 की उप-धारा (3) के अंतर्गत कोयला खान (विशेष उपबंध) संशोधन नियम, 2020 जो 29 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 332(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2020 जो 29 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 331(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) खनिज (परमाणु तथा हाइड्रो कार्बन ऊर्जा खनिजों से इतर) रियायत (संशोधन) नियम, 2020 जो 20 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 191(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) सा.का.नि. 445(अ) जो 14 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोयला (वाणिज्यिक खनन) की ब्रिकी के प्रयोजन से नीलाम किए गए कोयला ब्लॉकों या खानों से उत्पादित कोयले की रॉयल्टी की दर के बारे में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की दूसरी अनुसूची में एक परंतुक अंत:स्थापित किया गया है।

(चार) सा.का.नि. 1694(अ) जो 29 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 4 जून, 2018 की अधिसूचना सं. का.आ. 2265(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे -

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत भूतपूर्व-सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाओं और पदों में पुनर्नियोजन) संशोधन नियम, 2020 जो 14 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 116(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) केन्द्रीय भण्डार, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय भण्डार, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के खंड (5) अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2020 जो 16 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 253(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे -

(1) (एक) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 19 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 3547 (अ) जो 30 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्याज की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।

(दो) का.आ. 3982 (अ) जो 4 नवम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018 के अध्याय 10, अनुसूची 2 के क्रमांक 55 और 57 की नीति शर्त में संशोधन किया गया है।

(तीन) का.आ. 134 (अ) जो 9 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018 के अध्याय 10, अनुसूची 2 के क्रमांक 55 और 57 की नीति शर्त में संशोधन किया गया है।

(चार) का.आ. 487 (अ) जो 31 जनवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण/मास्कों की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।

(पांच) का.आ. 571 (अ) जो 6 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्याज की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।

(छह) का.आ. 854 (अ) जो 25 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण/मास्कों की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।

(सात) का.आ. 938 (अ) जो 2 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा प्याज की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।

(आठ) का.आ. 955 (अ) जो 3 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा एपीआई और इन एपीआई से बने फार्मूलेशन्स की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।

(नौ) का.आ. 1171 (अ) जो 19 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मास्क, वेंटिलेटर्स तथा मास्क और कवरऑल्स के लिए कच्ची वस्त्र सामग्री की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।

(दस) का.आ. 1206 (अ) जो 24 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा वेंटीलेटर्स जिसमें कोई कृत्रिम श्वसन उपकरण अथवा ऑक्सीज़न उपचार उपकरण अथवा कोई अन्य श्वसन उपकरण/यंत्र और सेनिटाइजर्स शामिल हैं, की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।

(ग्यारह) का.आ. 1208 (अ) जो 25 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और उसके फार्मूलेशन्स की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।

(बारह) का.आ. 1227 (अ) जो 30 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा एनिमल बाइ-प्रॉडक्ट की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।

(तेरह) का.आ. 1228 (अ) जो 30 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा रेडसैंड्सवुड के निर्यात तथा इस संबंध में राजस्व आसूचना निदेशालय का समय बढ़ाए जाने के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 1246 (अ) जो 4 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा डायग्नोस्टिक किट्स की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।

(पंद्रह) का.आ. 1247 (अ) जो 4 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।

(सोलह) का.आ. 1248 (अ) जो 4 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा एपीआई और इन एपीआई से बने फार्मूलेशन्स की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।

(सत्रह) का.आ. 1264 (अ) जो 17 अप्रैल, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा पैरासिटामोल (एफ़डीसी सहित) से बने फार्मूलेशन्स की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।

(अठारह) का.आ. 1428 (अ) जो 6 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सेनिटाइजर्स की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।

(उन्नीस) का.आ. 1509 (अ) जो 16 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा मास्क की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे -

(1) (एक) नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लिमेंटेशन ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंडस्ट्रियल कोरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लिमेंटेशन ट्रस्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 6 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 1023 (अ), जो 9 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा डेवलपमेंट काउंसिल फॉर पल्प, पेपर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज़ की स्थापना की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

3. प्रश्न

चूंकि वर्तमान सत्र अर्थात 17वीं लोक सभा के चौथे सत्र में तारांकित प्रश्नों की सूची की व्यवस्था को समाप्त किया गया है इसलिए अतारांकित प्रश्न संख्या 1611-1840 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से निम्नलिखित संदेश प्राप्त होने की सूचना दीः-

(एक) यह कि राज्य सभा 20 सितम्बर, 2020 को हुई अपनी बैठक में कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020, लोक सभा द्वारा यथापारित, से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) यह कि राज्य सभा 20 सितम्बर, 2020 को हुई अपनी बैठक में कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक, 2020, लोक सभा द्वारा यथापारित, से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

5. प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट ने प्राक्कलन समिति (2020-2021) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग) से संबंधित 'देश में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल' विषय के बारे में 23वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति का पहला प्रतिवेदन।

(2) गृह मंत्रालय से संबंधित 'केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां-मूल्यांकन और अनुक्रिया तंत्र' विषय के बारे में 28वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति का दूसरा प्रतिवेदन।

6. याचिका समिति के प्रतिवेदन

डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, कोलकाता में श्री श्यामल कुमार दास की अनुकंपा आधार पर नियुक्ति में अत्यधिक विलंब और उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में उनके अभ्यावेदन संबंधी नौवां प्रतिवेदन।

(2) सुश्री पारुल कौल के पति श्री रजनेश कौल द्वारा उनके प्रति क्रूरता, आपराधिक न्यास भंग, समान आशय को अग्रसर करने के लिए किए गए आपराधिक कृत्यों के लिए उनके प्रत्यर्पण के संबंध में हो रहे अत्यधिक विलंब के बारे में सुश्री पारुल कौल के पिता श्री टी.के.कौल के अभ्यावेदन पर याचिका समिति (16वीं लोक सभा) के 52वें प्रतिवेदन में समिति द्वारा की-गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 10वां प्रतिवेदन।

(3) एमटीएनएल से समय-पूर्व त्यागपत्र के मामले की समीक्षा के अनुरोध और अन्य संबंधित मुद्दों के बारे में श्री अरविंद सावंत, संसद सदस्य, लोक सभा के अभ्यावेदन पर याचिका समिति (16वीं लोक सभा) के 64वें प्रतिवेदन में समिति द्वारा की-गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 11वां प्रतिवेदन।

(4) केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सीटीएसए) के अंतर्गत संचालित केन्द्रीय तिब्बती स्कूल (सीएसटी) में अपनी बहाली के अनुरोध के संबंध में श्री सतीश कुमार सिंह के अभ्यावेदन पर याचिका समिति (16वीं लोक सभा) के 66वें प्रतिवेदन में समिति द्वारा की-गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 12वां प्रतिवेदन।

7. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने रक्षा मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) की ओर से रक्षा मंत्रालय से संबंधित रक्षा सेवाएं, प्रापण नीति और रक्षा आयोजना (मांग संख्या 21) पर पूंजी परिव्यय के संबंध में अनुदानों की मांगों (2018-19) के बारे में रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 42वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धोत्रे संजय शामराव) ने विधि और न्याय मंत्री; संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद) की ओर से न्याय विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय से संबंधित 'देश में जनजातीय न्याय प्रणाली और नियमित न्याय प्रणाली के बीच तालमेल' पर कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के 80वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन संबंधी स्थायी समिति के 100वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(4) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) ने निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे -

(1) वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21), (मांग सं. 10) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 152वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(5) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री; संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धोत्रे संजय शामराव) ने निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे -

(1) दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) डाक विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(6) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम प्रकाश) ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21), (मांग सं. 11) के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति के 153वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा -

(7)[%] कृषि और किसान कल्याण मंत्री; ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) ने 22 कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करने के संबंध में एक वक्तव्य दिया।

[*]अपराह्न 4.07 बजे

8. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) श्री अशोक महादेवराव नेते द्वारा महाराष्ट्र के गड़चिरोली-चिमुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में वन धन केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(2) श्री प्रताप सिम्हा द्वारा काफी उत्पादकों की समस्याओं के बारे में ।

(3) श्री निशीथ प्रामाणिक द्वारा मदरसा शिक्षा में सुधार के बारे में ।

(4) श्री संजय भाटिया द्वारा हरियाणा के पानीपत में एक तकनीकी टेक्सटाइल पार्क की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

[%] अपराह्न 5.49 बजे

[*] अपराह्न 3.12 बजे से अपराह्न 4.07 बजे तक सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

(5) श्री बसंत कुमार पंडा द्वारा ओडिशा के कालाहाण्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 'इलेक्ट्रिक लोको पीरिऑडिकल ऑवरहॉल वर्कशॉप' तथा 'रेलवे कंक्रीट स्लीपर विनिर्माण यूनिट' की स्थापना किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(6) श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में स्थित कपिलवस्तु को अन्य बौद्ध स्थलों से जोड़े जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(7) श्री विष्णु दयाल राम द्वारा झारखंड के पलामू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जपला सीमेंट कारखाने को पुनः शुरू किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(8) डॉ.(प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी द्वारा निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिए जाने के बारे में ।

(9) श्री कनकमल कटारा द्वारा राजस्थान के बांसबाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जनजातियों के कथित धर्म परिवर्तन के बारे में ।

(10) श्री सुनील कुमार सोनी द्वारा छत्तीसगढ़ में कोविड के रोगियों के लिए एक केंद्रीय चिकित्सा दल भेजे जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(11) श्रीमती जसकौर मीना द्वारा राजस्थान के दौसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बांदिकुई-बसवा रेलवे लाइन पर भूमिगत पार पथ का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(12) श्री अरुण साव द्वारा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला मुख्यालय में पुरातात्विक संग्रहालय स्थापित करने तथा इस जिले के पुरातात्विक महत्व वाले स्थानों को पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(13) श्री एल.एस. तेजस्वी सूर्या द्वारा ईपीएफओ पेंशन के बारे में ।

(14) डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखे पाटील द्वारा प्याज के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(15) डॉ. ढालसिंह बिसेन द्वारा मध्य प्रदेश के बालाघाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अत्यधिक बारिश और बाढ़ के कारण बेघर हो चुके लोगों को घर प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(16) श्री निहाल चन्द चौहान द्वारा राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(17) प्रो. एस.पी. सिंह बघेल द्वारा रात में शवपरीक्षण की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(18) श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी द्वारा रक्षा सेवा में कोविड-19 के पीड़ितों को अतिरिक्त मुआवजा प्रदान किए जाने के बारे में ।

(19) श्री एंटो एन्टोनी द्वारा रबर अधिनियम में संशोधन के बारे में ।

(20) श्रीमती गीता कोडा द्वारा झारखंड के सिंहभूम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लौह अयस्क की खानों में स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(21) श्री एस. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार द्वारा सेलम और चेन्नई के बीच आठ लेन वाले मार्ग का निर्माण किए जाने के बारे में ।

(22) श्री बेल्लाना चन्द्रशेखर द्वारा देशभर में एनएफएसए तथा गैर-एनएफएसए दोनों लाभार्थियों को लाभ दिए जाने के बारे में ।

(23) श्रीमती अपरूपा पोद्दार द्वारा पश्चिम बंगाल को विशेष आर्थिक सहायता दिए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(24) श्री अरविंद गणपत सावंत द्वारा मुम्बई में सरकारी जमीन पर रहने वाले लोगों को पक्का घर मुहैया कराए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(25) श्री भर्तृहरि महताब द्वारा कोयले पर रॉयल्टी में वृद्धि किए जाने के बारे में ।

(26) श्रीमती संगीता आज़ाद द्वारा अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए रोजगार के अवसर के बारे में ।

(27) श्री बी. बी. पाटील द्वारा आयुध कारखानों के निगमीकरण के बारे में ।

(28) श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे द्वारा महाराष्ट्र में नीसर्ग चक्रवात के विनाशकारी प्रभावों के बारे में ।

(29) श्री के. नवासखनी द्वारा रामनाथपुरम् वापस आने वाले लोगों के लिए रोजगार के अवसरों के बारे में ।

अपराहन 4.08 बजे

9. सरकारी विधेयक - पारित

विदेशी अभिदाय (विनिमयन) संशोधन विधेयक, 2020

लिया गया समयः 1 घंटा 41 मिनट

विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव श्री नित्यानन्द राय द्वारा श्री अमित शाह की ओर से पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लियाः-

1. श्री एंटो एन्टोनी
2. डॉ. सत्यपाल सिंह
3. डॉ. वीरास्वामी कलानिधि
4. प्रो. सौगत राय
5. श्री चन्द्रशेखर बेल्लाना
6. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
7. श्री कौशलेन्द्र कुमार
8. श्री भर्तृहरि महताब
9. श्री रितेश पाण्डेय
10. श्री भीमराव बसंतराव पाटील
11. श्रीमती सुप्रिया सुले
12. श्री सत्यपाल सिंह
13. श्री विनसेंट एच. पाला

श्री नित्यानन्द राय ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार के लिए पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार चर्चा आरंभ हुई।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।
खंड 3 स्वीकृत हुआ।
खंड 4 से 6 स्वीकृत हुए।
खंड 7 से 12 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री नित्यानन्द राय द्वारा विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

अपराहन 5.55 बजे

#10. सांविधिक संकल्प - वापस लिया गया

लिया गया समयः 2 घंटे 26 मिनट

श्री अधीर रंजन चौधरी ने निम्नलिखित संकल्प पेश कियाः-

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 5 जून, 2020 को प्रख्यापित दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 9) का निरनुमोदन करती है।"

श्री अधीर रंजन चौधरी ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

संयुक्त चर्चा के पश्चात् संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

#11. सरकारी विधेयक - पारित

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2020

विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लियाः-

1. डॉ. निशिकांत दुबे
2. डॉ. प्रतिमा मण्डल
3. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
4. श्री चन्देश्वर प्रसाद
5. श्री पिनाकी मिश्रा
6. श्री श्याम सिंह यादव
7. श्री वेंकटेश नेता बोरलाकुंता
8. श्रीमती सुप्रिया सुले
9. श्री मनीश तिवारी

एकसाथ चर्चा की गई

10. श्री जयदेव गल्ला
11. श्री अरविन्द सावंत
12. श्री के. नवासखनी
13. श्रीमती नवनित रवि राणा
14. कुमारी दिया कुमारी
15. श्री थोमस चाज़िकाडन
16. श्री मलूक नागर
17. डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.
18. श्रीमती रमा देवी

श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार के लिए पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार चर्चा आरंभ हुई।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

रात्रि 8.22 बजे

$12. सांविधिक संकल्प - अस्वीकृत

लिया गया समयः 3 घंटे 15 मिनट

श्री कोडिकुन्नील सुरेश ने श्री मनीश तिवारी की ओर से निम्नलिखित संकल्प पेश कियाः-

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 22 अप्रैल, 2020 को प्रख्यापित महामारी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 5) का निरनुमोदन करती है।"

श्री कोडिकुन्नील सुरेश ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

संकल्प पर मतदान हुआ और यह अस्वीकृत हुआ।

$ एकसाथ चर्चा की गई।

$13. सरकारी विधेयक - पारित

महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020, राज्य सभा द्वारा यथापारित

विधेयक पर विचार किए जाने के लिए प्रस्ताव डॉ. हर्ष वर्धन द्वारा पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लियाः-

1. डॉ. सुभाष रामराव भामरे
2. डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडिन
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री श्रीकृष्णा देवरायालू लावू
5. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
6. श्री कौशलेन्द्र कुमार
7. श्री भर्तृहरि महताब
8. श्री गिरीश चन्द्र
9. डॉ. रणजीत गद्दम रेड्डी
10. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव
11. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे
12. श्री पी.आर. नटराजन
13. डॉ. हिना विजयकुमार गावीत
14. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
15. श्री किंजरापु राम मोहन नायडू
16. श्री के. नवासखनी
17. श्रीमती अनुप्रिया पटेल
18. श्री हनुमान बेनीवाल
19. डॉ. संघमित्रा मौर्य
20. श्री गिरीश भालचन्द्र बापट
21. डॉ. राजदीप राय
22. डॉ. उन्मेश जी. जाधव
23. श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले
24. श्री अजय भट्ट
25. श्री परबतभाई सवाभाई पटेल
26. डॉ. सुजय राधेकृष्णा विखे पाटील

$ एकसाथ चर्चा की गई

27. श्रीमती जसकौर मीना
28. श्री रमेश बिधूड़ी
29. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
30. श्री जगदम्बिका पाल
31. कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल
32. श्री अच्युतानंद सामंत
33. साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर
34. श्री भोला सिंह
35. श्री अधीर रंजन चौधरी

डॉ. हर्ष वर्धन ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार के लिए पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार चर्चा आरंभ हुई।

खंड 2 स्वीकृत हुआ।
खंड 3 स्वीकृत हुआ।
खंड 4 स्वीकृत हुआ।
खंड 5 और 6 स्वीकृत हुए।
खंड 7 और 8 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।
डॉ. हर्ष वर्धन द्वारा, राज्य सभा द्वारा यथापारित, विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया गया।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

रात्रि 11.37 बजे

14. (एक) सांविधिक संकल्प - अस्वीकृत;

(दो) सरकारी विधेयक - पारित

लिया गया समयः 44 मिनट

कार्य की निम्नलिखित मदें एकसाथ ली गईः-

(एक) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 6) का निरनुमोदन करने वाला सांविधिक संकल्प

(दो) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2020, राज्य सभा द्वारा यथापारित

(तीन) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 7) का निरनुमोदन करने वाला सांविधिक संकल्प

(चार) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2020, राज्य सभा द्वारा यथापारित

एडवोकेट डीन कुरियाकोस ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:-

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 24 अप्रैल, 2020 को प्रख्यापित होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 6) का निरनुमोदन करती है।"

डॉ. हर्ष वर्धन द्वारा होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार करने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

एडवोकेट डीन कुरियाकोस ने निम्नलिखित संकल्प पेश किया:-

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 24 अप्रैल, 2020 को प्रख्यापित भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 7) का निरनुमोदन करती है।"

डॉ. हर्ष वर्धन द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2020 पर विचार करने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. डॉ. शशि थरूर
2. श्री अरविन्द सावंत
3. श्री बी.बी. पाटील
4. डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडिन
5. श्री कुरुवा गोरांतला माधव
6. सुश्री राम्या हरिदास
7. श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे
8. श्री रामशिरोमणि वर्मा
9. श्री हाजी फजलुर रहमान
10. श्री अनुभव मोहंती
11. डॉ. भारती प्रवीण पवार
12. श्री आलोक कुमार सुमन

डॉ. हर्ष वर्धन ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

(एक) एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा पेश किए गए होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 6) के निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर मतदान हुआ और यह अस्वीकृत हुआ।

(दो) विधेयक पर विचार के लिए पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार चर्चा आरंभ हुई।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।
खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।
डॉ. हर्ष वर्धन द्वारा राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया गया।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

(तीन) एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा पेश किए गए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 7) के निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प पर मतदान हुआ और यह अस्वीकृत हुआ।

(दो) विधेयक पर विचार के लिए पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार चर्चा आरंभ हुई।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।
खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।
डॉ. हर्ष वर्धन द्वारा राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया गया।
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

रात्रि 12.21 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 22 सितम्बर, 2020 के अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 22 सितम्बर, 2020/31 भाद्रपद, 1942 (शक)

संख्या 89

[*]अपराह्न 3.01 बजे

(व्यवधान के कारण लोक सभा अपराह्न 3.14 बजे स्थगित हुई और अपराह्न 4.14 बजे पुनःसमवेत हुई)

अपराह्न 4.14 बजे

1. सदस्यों द्वारा निवेदन

सर्वश्री अधीर रंजन चौधरी, टी.आर. बालू, कल्याण बनर्जी, रितेश पान्डेय और नामा नागेश्वर राव ने कृषि विधेयकों और 22 कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किए जाने के बारे में निवेदन किया

[%]श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने उत्तर दिया।

अपराह्न 4.30 बजे

2. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने महिला और बाल विकास मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कार्पोरेशन, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कार्पोरेशन, कोलकाता का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

---

[*] अपराह्न 3.01 बजे से अपराह्न 3.14 बजे तक सदस्यों ने निवेदन किए।विवरण के लिए कृपया इस दिन का वाद-विवाद देखें।

[%] कृषि और किसान कल्याण मंत्री; ग्रामीण विकास मंत्री; तथा पंचायती राज मंत्री।

(ख) (एक) बर्ड्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बर्ड्स जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) नेशनल जूट बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल जूट बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 से 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 से 2017-2018 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 से 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम, अधिनियम, 1980 की धारा 32 के अंतर्गत श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम (संशोधन) विनियम, 2019 जो 23 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. पीएण्डए.I/रेगुलेशन/एमेंड./एससीटीआईएमएसटी/2017 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) (एक) नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एण्ड रीच, शिलांग के वर्ष 2015-2016 से 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एण्ड रीच, शिलांग के वर्ष 2015-2016 से 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) (एक) साइंस एण्ड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) साइंस एण्ड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) (एक) विज्ञान प्रसार, नोएडा के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) विज्ञान प्रसार, नोएडा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) (एक) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) (एक) नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फॉक मेडिसीन, पासीघाट के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फॉक मेडिसीन, पासीघाट के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार); नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज कुमार सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 59 की उप-धारा (1) के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ट्यूबूलर फ्लोरेसेंट लैम्प्स के लेबलों के ब्यौरे और उन्हें प्रदर्शित करने की रीति) संशोधन विनियम, 2020 जो 18 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. बीईई/एसएण्डएल/टीएफएल/63/2020-21 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति।

(2) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अधिसूचना सं. एल-1/18/2010-सीईआरसी जो 1 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) (छठा संशोधन) विनियम, 2019 के 1 जून, 2020 अथवा आयोग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट तारीख से लागू होने के बारे में है।

(दो) अधिसूचना सं. एल-1/250/2019-सीईआरसी जो 31 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यीय पारेषण प्रभारों और क्षतियों की भागीदारी) विनियम, 2020 के 1 नवम्बर, 2020 से लागू होने के बारे में है।

(तीन) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए प्रशुल्क निर्धारण के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2020 जो 19 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. आरए-14026(11)/14/2020-सीईआरसी में प्रकाशित हुए थे।

(चार) अधिसूचना सं. एल-7/105(121)/2007-सीईआरसी जो 1 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यीय पारेषण में मुक्त पहुंच) (छठा संशोधन) विनियम, 2019 के 1 जून, 2020 अथवा आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट तारीख से लागू होने के बारे में है।

(3) (एक) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एण्ड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, नोएडा के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एण्ड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट, नोएडा के वर्ष 2016-2017 और 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भूमिगत रेल (संकर्म-सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 1 की उप-धारा (3) के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2818(अ) जो 19 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो भूमिगत रेल (संकर्म-सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 के अंतर्गत पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कोरिडोर-1 के संरेखण के बारे में है।

(दो) का.आ. 2819(अ) जो 19 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा भूमिगत रेल (संकर्म-सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 और मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 के उपबंधों का विस्तार गुजरात राज्य में सूरत शहरी विकास प्राधिकरण क्षेत्र तक किया गया है।

(2) (एक) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) राजघाट समाधि समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत केंद्रीय सरकार सामान्य पूल रिहायशी आवास (संशोधन) नियम, 2020 जो 5 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 489(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पोत परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख मांडविया) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारतीय सामुद्रिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 की धारा 47 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना सं. आईएमयू/एचक्यू/एडीएम/अधिसूचना/2020/01 जो 5 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो प्रशासनिक और अकादमिक मामलों को शासित करने वाली संविधि और अध्यादेशों के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 458 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 543(अ) जो 2 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 335ड. के साथ पठित धारा 335घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सामुद्रिक राज्यों में जलयानों के लिए रजिस्ट्रार घोषित किये गये हैं।

(दो) का.आ. 2986(अ) जो 2 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 7 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 9(1) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सामुद्रिक राज्यों को शक्तियां दिये जाने के सामान्य आदेश के बारे में है।

(तीन) वाणिज्य पोत परिवहन (पशुधन की ढुलाई की शर्तें) नियम, 2020 जो 17 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 453(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) का.आ. 2378(अ) जो 17 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 434 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेलिंग वेसेल्स की संशयात्मक स्थिति को दूर करने के बारे में है।

(3) नावधिकरण (समुद्री दावा की अधिकारिता और निपटारा) अधिनियम, 2017 की धारा 16 की उप-धारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना सं. जी/अमेंड./12879 जो 13 फरवरी, 2020 के महाराष्ट्र प्रशासन के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 16 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "बंबई उच्च न्यायालय (ऑरीजिनल साइड) नियम, 1980" में संशोधन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 की धारा 74 की उप-धारा (3) के अंतर्गत भारतीय अंतर्देशीय जलयान प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2020 जो 13 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 440(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल (सेवानिवृत्त) वी. के. सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक

प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण).

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1409(अ) जो 2 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में ईपीसी मोड पर एनएचडीपी-चार के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-24 (पुराना एन॰एच॰-29ई) के डिज़ाइन कि॰मी॰ 0.000 से कि॰मी॰ 17.660 तक गोरखपुर बाईपास के चार लेन की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(दो) का.आ. 1416(अ) जो 4 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-33 के कि॰मी॰ 41.500 से कि॰मी॰ 115.290 (लंबाई 73.790 कि॰मी॰) तक हजारीबाग से रांची सेक्शन के टॉलिंग, प्रचालन, अनुरक्षण और अंतरण (टीओटी मोड) की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तीन) का.आ. 1417(अ) जो 4 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बिहार राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-28 के कि॰मी॰ 440.000 से कि॰मी॰ 520.000 (लंबाई 80.000 कि॰मी॰) तक कोटवा से मुजफ्फरपुर सेक्शन के टॉलिंग, प्रचालन, अनुरक्षण और अंतरण (टीओटी मोड) की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चार) का.आ. 1418(अ) जो 4 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-26 के कि॰मी॰ 49.700 से कि॰मी॰ 99.005 (लंबाई 49.305 कि॰मी॰) तक झाँसी से ललितपुर सेक्शन के टॉलिंग, प्रचालन, अनुरक्षण और अंतरण (टीओटी) मोड की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पांच) का.आ. 1419(अ) जो 4 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-26 के कि॰मी॰ 0.000 से कि॰मी॰ 49.700 (लंबाई 49.700 कि॰मी॰) तक झाँसी से ललितपुर सेक्शन के टॉलिंग, प्रचालन, अनुरक्षण और अंतरण (टीओटी) मोड की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छह) का.आ. 1420(अ) जो 4 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिल नाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-7 के कि॰मी॰ 180.000 से कि॰मी॰ 243.470 (लंबाई

63.470 कि॰मी॰) तक मदुरै से कन्याकुमारी सेक्शन के टॉलिंग, प्रचालन, अनुरक्षण और अंतरण (टीओटी मोड) की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सात) का.आ. 1421(अ) जो 4 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में हाइब्रिड एन्यूटी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग-24 (नया एन॰एच॰-9) के हापुड़ बाईपास के 3.522 कि॰मी॰ को छोड़ कर राष्ट्रीय राजमार्ग-235 कि॰मी॰ 8.800 (डिज़ाइन कि॰मी॰ 8.800) से कि॰मी॰ 66.482 (डिज़ाइन सीएच॰ कि॰मी॰ 73.512 के मेरठ-बुलंदशहर सेक्शन की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(आठ) का.आ. 1435(अ) जो 9 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो एनएचडीपी फेज-पांच (पैकेज-दो) के अंतर्गत राजस्थान राज्य में डीबीएफ़ओटी (टोल) पर राष्ट्रीय राजमार्ग-79 के कि॰मी॰ 90.000 से कि॰मी॰ 214.870 तक किशनगढ़-उदयपुर-अहमदाबाद सेक्शन को छह लेन वाला बनाए जाने की संशोधन शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(नौ) का.आ. 1436(अ) जो 11 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-7 के कि॰मी॰ 52.300 से कि॰मी॰ 116.500 (लंबाई 64.200 कि॰मी॰) तक मदुरै से कन्याकुमारी सेक्शन के टॉलिंग, प्रचालन, अनुरक्षण और अंतरण की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(दस) का.आ. 1514(अ) जो 18 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में हाइब्रिड एन्यूटी मोड पर कि॰मी॰ 0.000 से कि॰मी॰ 80.820 (डिज़ाइन चेनेज) तक राष्ट्रीय राजमार्ग-344ए के फगवाड़ा-रूपनगर सेक्शन की चार लेन वाली परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ.1696(अ) जो 29 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में एनएचडीपी-IV के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-211 पर किमी.284.000 से किमी.335.713 तक खारवांडी कसर से जंक्शन खंड को ईपीसी मोड पर चार लेन वाला बनाने की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बारह) का.आ.1697(अ) जो 1 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-41 के कोलाघाट से हल्दिया (किमी. 0.000 से किमी.53.472) में राष्ट्रीय राजमार्ग-41 के अंत में किमी.52.080 से किमी.53.472 तक ओएमटी आधार पर परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तेरह) का.आ.1757(अ) जो 5 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-7 पर किमी. 0.000 से किमी. 231.600 तक मदुरै से कन्याकुमारी खंड की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चौदह) का.आ.2046(अ) जो 25 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-709ए पर डिजाइन किमी. 6.875 से किमी. 68.857 (विद्यमान किमी. 6.875 से किमी. 68.660) तक भिवानी-मुंदल-जींद खंड और डिजाइन किमी. 68.875 से किमी. 154.219 (विद्यमान

किमी. 68.660 से किमी. 153.700) तक जींद-करनाल खंड को दो लेन वाला बनाने की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पंद्रह) का.आ.2063(अ) जो 25 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-7 पर किमी. 116.500 से किमी. 180.00 तक मदुरै से कन्याकुमारी खंड की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सोलह) का.आ.2272 (अ) जो 8 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना राज्य में एनएचडीपी-IV के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-221 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-30) पर किमी. 71.200 से किमी. 121.000 तक आंध्र प्रदेश/तेलंगाना सीमा से रूद्रामपुर खंड को (ईपीसी) आधार पर परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सत्रह) का.आ.2286(अ) जो 9 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में एनएचडीपी चरण-III के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-6 पर किमी. 185.150 से किमी. 134.400 तक चिरचा-खड़गपुर खंड और किमी. 134.400 से किमी. 129.600 तक विद्यमान चार लेन के पुनर्वास सहित ईपीसी मोड पर परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(अठारह) का.आ.2342(अ) जो 15 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-361 पर डिजाइन चेनेज किमी. 320.580 से किमी. 400.575 तक महागांव से यवतमाल खंड की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ.2343(अ) जो 15 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-70 पर किमी. 0.000 से किमी. 46.000 और किमी. 82.600 से कि.मी. 310.467 तक (डिजाइन चेनेज) तक मुनाबाओ-टनोट खंड की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बीस) का.आ.2482(अ) जो 29 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-334बी पर किमी. 44.800 से किमी. 80.250 तक (डिजाइन चेनेज) (लंबाई 35.450 किमी.) तक रोहना-हसनगढ़-झज्जर खंड को एचएएम मोड (पैकेज-2) पर चार लेन वाला बनाने की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ.2561(अ) जो 31 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-47 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-66) पर किमी. 0.000 से किमी. 43.00 तक तिरूवनंतपुरम-केरल/तमिलनाडु सीमा खंड को चार लेन वाला बनाने की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बाईस) का.आ.2563(अ) जो 31 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-23 पर डिजाइन किमी. 3.450 से किमी. 26.000 (विद्यमान किमी. 3.450 से किमी. 26.000) तक पिस्का मोड़ से पालमा खंड को चार लेन वाला बनाने की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तेईस) का.आ.2564(अ) जो 31 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-76 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-27) पर कोटा बाईपास की परियोजना के लिए दिनांक 30 जनवरी, 2018 की अधिसूचना का.आ.440 (अ) के माध्यम से शुल्क अधिसूचना के संशोधन के बारे में है।

(चौबीस) का.आ.2780(अ) जो 17 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में एनएचडीपी चरण-IV के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-79ए पर किमी. 0.000 से किमी. 35.000 तक और राष्ट्रीय राजमार्ग-79ए और राष्ट्रीय राजमार्ग 79 पर किमी.15.000 से 69.730 तक किशनगढ़ – गुलाबपुरा

खंड को डीबीएफओटी (टोल) आधार पर छह लेन वाला बनाने की परियोजना के लिए दिनांक 20 जुलाई, 2017 की अधिसूचना का.आ.2272 (अ) के माध्यम से शुल्क अधिसूचना के संशोधन के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ.2868(अ) जो 26 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-8ई पर डिजाइन किमी. 379.100 से किमी. 496.848 तक (विद्यमान चेनेज किमी. 356.766 से किमी. 473.000 तक) पोरबंदर द्वारका खंड को चार लेन वाला बनाने की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ.2875(अ) जो 26 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-8ई पर डिजाइन किमी. 6.945 से किमी. 54.990 तक (विद्यमान चेनेज किमी. 7.090 से किमी. 53.585 तक) भावनगर-तलाजा खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सत्ताईस) का.आ.3106(अ) जो 11 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-214 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-216) पर डिजाइन किमी. 127.300 से किमी. 136.520 तक (विद्यमान किमी. 126.510 से किमी. 135.740) ढिंडी से दिगामारू और राष्ट्रीय राजमार्ग-214ए (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-216) पर डिजाइन किमी. 0.000 से किमी. 32.900 तक (विद्यमान किमी. 0.000 से किमी. 34.320) दिगामारू से लोसारी की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(अट्ठाईस) का.आ.3107(अ) जो 11 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-226 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-136) पर डिजाइन किमी. 0.000 से किमी. 24.370 तक, किमी. 29.210 से किमी. 38.000 और किमी. 38.350 से किमी. 66.200 तक (विद्यमान किमी. 0.000 से किमी. 66.200) पेरमबलूर – थंजावुर खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(उनतीस) का.आ.3108(अ) जो 11 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तराखंड राज्य में एनएचडीपी चरण-III के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-87 पर किमी.0.00 से किमी. 43.446 तक रामपुर-काठगोदाम खंड को हाइब्रिड एनुईटी मोड (पैकेज-एक) पर चार लेन वाला बनाने की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तीस) का.आ. 3131(अ) जो 15 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हाइब्रिड एन्युटी मोड (पैकेज-1) पर एनएचडीपी-5 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश राज्य में चार लेन के किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग-73 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-344) के डिजाइन किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 35.400 और राष्ट्रीय राजमार्ग-72क के डिजाइन किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 17.900 तक राष्ट्रीय राजमार्ग-72क के छुटमलपुर-गणेशपुर खण्ड को चार लेन का करने वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(इकतीस) का.आ. 3132(अ) जो 15 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-66 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-47) के कोल्लम बाईपास डिजाइन किलोमीटर 486.500 से किलोमीटर 499.500 (वर्तमान किलोमीटर 486.500 से

किलोमीटर 499.500) तक की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(बत्तीस) का.आ. 3133(अ) जो 15 सितम्बर, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-532 के मानवलनल्लूर से चिन्नासलेम खण्ड के किलोमीटर 57.800 से किलोमीटर 110.942 तक दो लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(तैंतीस) का.आ. 1010(अ) जो 6 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-30 के लखनऊ से रायबरेली खण्ड के किलोमीटर 12.700 से किलोमीटर 82.700 (लम्बाई 70.000 कि.मी.) तक की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(चौंतीस) का.आ. 1011(अ) जो 6 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पश्चिम बंगाल राज्य में डीबीएफओटी (एन्युटी) आधार पर एनएचडीपी चरण-तीन के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-34 के कृषनगर से बहरामपुर खण्ड के डिजाइन किलोमीटर 115.342 से किलोमीटर 191.700 तक की चार लेन वाली परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(पैंतीस) का.आ. 1012(अ) जो 6 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में हाइब्रिड एन्युटी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग-05 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग-95) के खरार-लुधियाना खण्ड के डिजाइन किलोमीटर 10.185 से किलोमीटर 86.199 (वर्तमान कि.मी. 0.000 से कि.मी. 76.000) तक की चार/छह लेन वाली परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(छत्तीस) का.आ. 1035(अ) जो 11 मार्च, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में ईपीसी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग-352क के जिंद-गोहाना खण्ड के डिजाइन किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 50.505 (वर्तमान कि.मी. 0.000 से कि.मी. 50.505) तक की परियोजना के लिए शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(सैंतीस) का.आ. 1722(अ) जो 3 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में ईपीसी मोड पर एनएचडीपी-4 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-200 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-49) के (ग्राम ठेका/दर्रीघाट से ग्राम बनारी खण्ड) के किलोमीटर 127.500 से किलोमीटर 178.944 तक चार/दो लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(अड़तीस) का.आ. 2146(अ) जो 30 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बीओटी (टोल) आधार पर महाराष्ट्र के भंडारा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-5 के वाणगंगा नदी के नागपुर-रायपुर खण्ड के किलोमीटर 491.000 में संशोधन करने के बारे में है ।

(उनतालीस) का.आ. 2273(अ) जो 8 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-76 के कबरई-बांदा के डिजाइन किलोमीटर 180.600

से किलोमीटर 217.600 (वर्तमान कि.मी. 178.00 से कि.मी. 215.00) तक ईपीसी मोड के अन्तर्गत पेव्ड शॉल्डर के साथ दो लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(चालीस) का.आ. 2283(अ) जो 9 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-325 के बालोतरा से जालौर होते हुए संदेराव खण्ड के किलोमीटर 16.200 से किलोमीटर 91.600 तक की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(इकतालीस) का.आ. 2284(अ) जो 9 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-730 के बहराइच-श्रावस्ती खण्ड के (कि.मी. 248.400 से कि.मी. 310.00) तक ईपीसी मोड के अन्तर्गत पेव्ड शॉल्डर के साथ दो लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(बयालीस) का.आ. 2285(अ) जो 9 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-96 के प्रतापगढ़ से इलाहाबाद तक बाईपास रोड जंक्शन खण्ड के वर्तमान किलोमीटर 100.800 से किलोमीटर 135.230 (डिजाइन सीएच 100.800 से सीएच 135.500) तक ईपीसी मोड के अन्तर्गत पेव्ड शॉल्डर के साथ चार लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(तैंतालीस) का.आ. 2344(अ) जो 15 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में ईपीसी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग-67 के मुद्दुनूर से जम्मलमदुगु खण्ड डिजाइन किलोमीटर 513.000 से किलोमीटर 545.150 (वर्तमान कि.मी. 513.000 से कि.मी. 546.550) तक की दो लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(चवालीस) का.आ. 2414(अ) जो 23 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-4 पर हुबली-धारवाड़ बाईपास की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना से संबंधित 5 जुलाई, 2018 के का.आ. संख्या 3253(अ) के बारे में है ।

(पैंतालीस) का.आ. 2562(अ) जो 31 जुलाई, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में ईपीसी मोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग-76 के बांदा-इलाहाबाद के डिजाइन चैनेज किलोमीटर 326.400 से किलोमीटर 379.842 (वर्तमान कि.मी. 326.000 से कि.मी. 379.555) तक दो लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(छियालीस) का.आ. 2588(अ) जो 5 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-709ई के राजगढ़-हरियाणा बॉर्डर खण्ड के डिजाइन चैनेज कि.मी. 5.150 से कि.मी. 36.150 (वर्तमान चैनेज कि.मी. 3.650 से कि.मी. 34.650) और डिजाइन चैनेज किलोमीटर 42.850 से कि.मी. 57.425 (वर्तमान चैनेज

कि.मी. 43.750 से कि.मी. 58.325) तक की दो लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(सैंतालीस) का.आ. 2589(अ) जो 5 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-365ख के जनगांव-तिरूमलागिरि खण्ड के डिजाइन कि.मी. 0.970 से कि.मी. 40.150 (वर्तमान कि.मी. 0.970 से कि.मी. 40.410) तक की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(अड़तालीस) का.आ. 2648(अ) जो 7 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-325 के बालोतरा से जालौर होते हुए संदेराव खण्ड के कि.मी. 118.900 से कि.मी. 156.955 (कि.मी. 151.100 से 154.730 तक को छोड़कर) तक की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(उनचास) का.आ. 2717(अ) जो 11 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना राज्य में ईपीसी आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-353ग के महादेवपुर-भूपलपल्ली खण्ड के कि.मी. 25.467 से कि.मी. 59.200 तक की चार लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(पचास) का.आ. 2718(अ) जो 11 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना राज्य में ईपीसी आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग-163 के हैदराबाद-भोपालापट्टनम खण्ड के कि.मी. 159.00 से कि.मी. 165.403 और कि.मी. 186.00 से कि.मी. 214.287 तक की चार लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(इक्यावन) का.आ. 2719(अ) जो 11 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-42 के कर्नाटक बॉर्डर से अनंतपुर खण्ड के डिजाइन कि.मी. 4/350 से कि.मी. 75/400 तक की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(बावन) का.आ. 2781 (अ) जो 17 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-365ख के तिरूमलागिरि-सूर्यपेट खण्ड के डिजाइन कि.मी. 40.150 से कि.मी. 84.037 तक की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है

(तिरपन) का.आ. 2874 (अ) जो 26 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-234 वेल्लोर को तिरूवन्नामलाई से जोड़ने वाली और विल्लुपरम पर समाप्त होने वाली (कि.मी. 81.000 से कि.मी. 202.600 तक) की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(चौवन) का.आ. 2876 (अ) जो 26 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-42 के मुदीगुब्बा से अनंतपुरमु डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर खण्ड के डिजाइन कि.मी. 134/000 से 201/930 (वर्तमान कि.मी. 134/000 से कि.मी.

202/050) तक की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है ।

(4) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 9 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) संशोधन नियम, 2020 जो 15 मई, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 298(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) संशोधन नियम, 2020 जो 24 अगस्त, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 523(अ) में प्रकाशित हुए थे।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबुल सुप्रियो) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे-

(1) (एक) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, देहरादून के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, देहरादून के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

3. प्रश्न

चूंकि वर्तमान सत्र अर्थात 17वीं लोक सभा के चौथे सत्र में तारांकित प्रश्नों की सूची की व्यवस्था को समाप्त किया गया है इसलिए अतारांकित प्रश्न संख्या 1841-2070 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

4. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का प्रतिवेदन

डॉ. किरिट पी. सोलंकी ने गृह मंत्रालय (गृह विभाग) से संबंधित "नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन" विषय के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2020-2021) का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री रघुराम कृष्णराजू कनुमुरू ने अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) बीमा लोकपाल नियम, 2017 के बारे में चौथा प्रतिवेदन।

(2) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन, पैरामेडिकल और सामान्य श्रेणी (समूह-ग पद) भर्ती नियम, 2015 के बारे में पांचवां प्रतिवेदन।

(3) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (साधारण बीमा व्यवसाय की परिसंपत्तियां, देयताएं और ऋण शोधन क्षमता मार्जिन) विनियम, 2016 के बारे में छठा प्रतिवेदन।

(4) भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड संशोधन नियम, 2017 के बारे में सातवां प्रतिवेदन।

6. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) इस्पात मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री फग्गन सिंह कुलस्ते) ने निम्नलिखित के बारे में विवरण सभा पटल पर रखेः-

(एक) इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-2020) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-2021) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) जल शक्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रतन लाल कटारिया) निम्नलिखित के बारे में विवरण सभा पटल पर रखेः-

(1) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन और अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(2) पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(3) पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के चौथे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(4) जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित ''जल संरक्षण के स्वदेशी और आधुनिक रूप - तकनीकें और पद्धतियां'' विषय के बारे में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के तेरहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराह्न 3.33 बजे

7. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) श्री गोपाल जी ठाकुर द्वारा बिहार के दरभंगा में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(2) श्री धर्मवीर सिंह द्वारा हरियाणा के भिवानी-महेद्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में रेल सेवाएं बढ़ाए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(3) श्री भगीरथ चौधरी द्वारा आपातकाल के दौरान हिरासत में लिये गये लोगों को 'लोक तंत्र सेनानी' की उपाधि से सम्मानित किये जाने के बारे मे।

(4) श्री खगेन मुर्मु द्वारा पश्चिम बंगाल के मालदा उत्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हवाई अड्डा स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा मेरठ में पूर्ण रूप से सुसज्जित आकाशवाणी केंद्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्रीमती अन्नपुर्णा देवी द्वारा झारखंड के कोडरमा जिले में उद्योग स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(7) श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव द्वारा ओडिशा के सुवर्णपुर जिले के बुनकरों के सामाजिक-आर्थिक विकास के बारे में।

(8) श्री राजू बिष्ट द्वारा पश्चिम बंगाल में एफआरए अधिनियम को कार्यान्वित किए जाने के बारे में।

(9) श्रीमती अपराजिता सारंगी द्वारा ओडिशा में महिलाओं के विरुद्ध अपराध करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(10) श्री सुधाकर तुकाराम श्रृंगरे द्वारा लिंगायत संप्रदाय के महान संत डॉ. शिवलिंग शिवाचार्य महाराज अहमदपुरकर को भारत रत्न सम्मान दिए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(11) श्री मितेष रमेशभाई पटेल द्वारा गुजरात के आनन्द संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जमीन से बेदखल किए गए लोगों के लिए मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(12) श्री रामदास तडस द्वारा महाराष्ट्र को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत समयबद्ध रूप से धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री अजय मिश्र टेनी द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1963 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(14) श्री पी.पी. चौधरी द्वारा राजस्थान के पाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बहु-उद्देशीय खेल भवन स्थापित किये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) डॉ निशिकांत दुबे द्वारा देवघर को पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ने के बारे में।

(16) श्री रवि किशन द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश विशेषकर गोरखपुर में मात्स्यिकी विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(17) श्री राजमोहन उन्नीथन द्वारा मनरेगा के अंतर्गत नियोजन के दिनों की संख्या बढ़ाये जाने की आवश्यकता के बारे में।

(18) श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा केरल के कुट्टानाड क्षेत्र में बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने के बारे में।

(19) श्री पी. वेलुसामी द्वारा तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिये मुआवजे के कथित अपर्याप्त भुगतान के बारे में।

(20) श्री गौतम सिगामणि पोन द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम का निजीकरण किए जाने के बारे में।

(21) श्री मारगनी भरत द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार के डीआईएसएचए अधिनियम को स्वीकृति दिए जाने के बारे में।

(22) श्री राहुल रमेश शेवाले द्वारा मुम्बई में देवनार स्थित अपशिष्ट उपचार सुविधा को किसी दूसरे स्थान पर स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(23) श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी द्वारा बिहार के कटिहार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में गंगा, कोसी और महानन्दा नदियों के कारण होने वाले भू-क्षरण को रोकने हेतु पर्याप्त उपाय किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(24) श्री रामशिरोमणि वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ और कोहारगद्दी बांधों से गाद हटाए जाने और चित्तौड़गढ़ बांध को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(25) श्री श्रीनिवास केसिनेनी द्वारा बीएसएनएल के बेस टॉवर स्टेशनों का उन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(26) श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में एक सीमेंट कंपनी द्वारा कथित रूप से बरती गई अनियमितताओं की जांच किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(27) श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी द्वारा लॉकडाउन अवधि के दौरान निजी स्कूलों/कॉलेजों के विद्यार्थियों का शुल्क माफ किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

अपराहन 4.33 बजे

8. सरकारी विधेयक-पारित

(एक) उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020

(दो) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020

(तीन) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

लिया गया समयः 3 घंटा 02 मिनट

श्री संतोष कुमार गंगवार ने उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 पर विचार करने के लिए प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने संयुक्त वाद-विवाद में भाग लियाः-

1. श्री पल्लब लोचन दास
2. श्री पिनाकी मिश्रा
3. श्री भरत राम मारगनी
4. डॉ. वीरेन्द्र कुमार
5. श्री दिलेश्वर कामैत
6. श्री दिलीप घोश
7. श्री जयदेव गल्ला

8. श्री विनोद कुमार सोनकर
9. श्री पी. रवीन्द्रनाथ कुमार
10. श्री राजू बिष्ट
11. श्रीमती नवनित रवि राणा
12. श्री हनुमान बेनीवाल
13. श्री चन्द्र प्रकाश जोशी
14. श्री रमेश बिधूड़ी
15. श्री जगदम्बिका पाल
16. श्री मनोज कुमार तिवारी
17. डॉ. निशिकांत दुबे

श्री संतोष कुमार गंगवार ने संयुक्त वाद-विवाद का उत्तर दिया।

(एक) विधेयक पर विचार के लिए पेश प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 143 स्वीकृत हुए।
प्रथम सूची से तीसरी सूची स्वीकृत हुई।
खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री संतोष कुमार गंगवार द्वारा विधेयक को पारित किये जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

(दो) विधेयक पर विचार के लिए पेश प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 104 स्वीकृत हुए।
प्रथम सूची से तीसरी सूची स्वीकृत हुई।
खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री संतोष कुमार गंगवार द्वारा विधेयक को पारित किये जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

(तीन) विधेयक पर विचार के लिए पेश प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 से 164 स्वीकृत हुए।
प्रथम सूची से सातवी सूची स्वीकृत हुई।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री संतोष कुमार गंगवार द्वारा विधेयक को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

सायं 7.35 बजे

9. सरकारी विधेयक-पुरःस्थापित

जम्मू-कश्मीर राजभाषा विधेयक, 2020

श्री हसनैन मसूदी ने विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने का विरोध किया और मंत्री से स्पष्टीकरण मांगा।

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी) ने गृह मंत्री (श्री अमित शाह) की ओर से सदस्यों द्वारा पूछे गए स्पष्टीकारक प्रश्नों के उत्तर दिए।

तत्पश्चात् प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

सायं 7.50 बजे

10. सरकारी विधेयक- पारित

जम्मू-कश्मीर राजभाषा विधेयक, 2020

लिया गया समयः 17 मिनट

श्री जी. किशन रेड्डी द्वारा विधेयक पर विचार किये जाने का प्रस्ताव श्री अमित शाह की ओर पेश किया गया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लियाः-

1. श्री हसनैन मसूदी
2. @डॉ. जितेन्द्र सिंह
3. श्री पिनाकी मिश्रा

श्री जी. किशन रेड्डी ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

@ उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री(स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री।

विधेयक पर विचार के लिए पेश प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार चर्चा आरंभ हुआ।

खंड 2 से 4 स्वीकृत हुए।
खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री जी. किशन रेड्डी द्वारा विधेयक को पारित किये जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

रात्रि 8.07 बजे

11. *अध्यक्ष द्वारा घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने घोषणा की कि बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 के लिए तय लोक सभा की बैठक सायं 6.00 बजे प्रारंभ होगी।

#रात्रि 10.43 बजे

(लोक सभा बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 के सायं 6.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव

---

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

रात्रि 8.08 बजे से रात्रि 10.43 बजे तक, सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्व के मामले उठाए।

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 23 सितम्बर, 2020/1 आश्विन, 1942 (शक)

संख्या 90

सायं 6.01 बजे

1. सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने रक्षा मंत्री (श्री राज नाथ सिंह) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 2017-2018 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने महिला और बाल विकास मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ूबिन ईरानी) की ओर से प्रजननीय आयु में गर्भवती महिलाओं और कुपोषित महिलाओं हेतु निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) उत्तर भारत में गर्भवती महिलाओं के लिए आहार चार्ट
(2) दक्षिण भारत में गर्भवती महिलाओं के लिए आहार चार्ट
(3) पूर्वी भारत में गर्भवती महिलाओं के लिए आहार चार्ट
(4) पश्चिम भारत में गर्भवती महिलाओं के लिए आहार चार्ट
(5) मध्य भारत में गर्भवती महिलाओं के लिए आहार चार्ट
(6) उत्तर-पूर्वी भारत में गर्भवती महिलाओं के लिए आहार चार्ट

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखें:-

(1) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम, 1995 की धारा 23 के अंतर्गत प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (सचिव और कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें) संशोधन विनियम, 2020 जो 20 फरवरी, 2020 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ० संख्या० टीडीबी/14/2019/प्रशासन(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, नई दिल्ली के वर्ष 2017-2018 और 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखा-परीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्षों की समाप्ति के पश्चात नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) निम्नलिखित संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखा-परीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष 2018-2019 की समाप्ति के पश्चात नौ महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों को स्पष्ट करने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी, नई दिल्ली
(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल
(तीन) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी
(चार) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मंगलागिरी
(पांच) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नागपुर
(छह) भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषज संहिता आयोग, गाजियाबाद

(5) (एक) पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान, शिलांग के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री; सूचना और प्रसारण मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखें:-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड, नोएडा के वर्ष 2018-2019 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखें:-

(1) (एक) नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड आर एंड डी इनफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड आरएंडडी इनफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, नई दिल्ली के वर्ष 2018-2019 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री **(**श्री बाबुल सुप्रियो) की ओर से जैविक विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 8 की उप-धारा (1 एवं 4) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 1850(अ), जो 11 जून, 2020 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण में गैर-सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने और इस उद्देश्य के लिए 7 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 1351(अ) और तत्पश्चात 21 मार्च, 2017 की अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 897(अ) को संशोधित करने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखें:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्व क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्र) के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक-जम्मू-कश्मीर सरकार का प्रतिवेदन (2018 का प्रतिवेदन संख्याक 1)।

(दो) 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - जम्मू-कश्मीर सरकार का प्रतिवेदन (2018 का प्रतिवेदन संख्याक 2।

(तीन) 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य, आर्थिक (गैर-पीएसयू) क्षेत्रों के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - जम्मू-कश्मीर सरकार का प्रतिवेदन (2018 का प्रतिवेदन संख्याक 3।

(चार) 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - जम्मू-कश्मीर सरकार का राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2019 का प्रतिवेदन संख्याक 1।

(पांच) 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य, आर्थिक (गैर-पीएसयू) क्षेत्रों के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - जम्मू-कश्मीर सरकार का प्रतिवेदन (2019 का प्रतिवेदन संख्याक 2)

(छह) 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्व क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्र) के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - जम्मू-कश्मीर सरकार का प्रतिवेदन (2020 का प्रतिवेदन संख्याक 1)

(सात) मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सीपीएसई द्वारा स्कूलों में शौचालयों का निर्माण, विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (वाणिज्यक) का प्रतिवेदन (2019 का प्रतिवेदन संख्याक 21) (अनुपालन लेखापरीक्षा)।

(आठ) मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, वित्त मंत्रालय के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार का प्रतिवेदन (2020 का प्रतिवेदन संख्याक 13) (निष्पादन लेखापरीक्षा)।

(नौ) मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक- संघ सरकार (आर्थिक और सेवा मंत्रालय - सिविल) का प्रतिवेदन (2020 का प्रतिवेदन संख्याक 10) (अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां)।

(दस) मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आयकर विभाग में तलाशी और जब्ती निर्धारण सबंधी निष्पादन लेखापरीक्षा के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर) का प्रतिवेदन (2020 का प्रतिवेदन संख्याक 14)।

(ग्यारह) मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर) का प्रतिवेदन (2020 का प्रतिवेदन संख्याक 11)।

(बारह) मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए दिल्ली पुलिस, गृह मंत्रालय में जनशक्ति और संभारतंत्र प्रबंधन की निष्पादन लेखापरीक्षा के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (सिविल) का प्रतिवेदन (2020 का प्रतिवेदन संख्याक 15)।

(तेरह) वर्ष 2018-2019 के लिए संघ सरकार के लेखाओं के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार का प्रतिवेदन (2020 का प्रतिवेदन संख्याक 4) (वित्तीय लेखापरीक्षा)।

(चौदह) मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय रेल में रेल इंजनों का आकलन और उपयोग तथा एलएचबी डिब्बों के उत्पादन और रखरखाव के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (रेल) का प्रतिवेदन (2020 का प्रतिवेदन संख्याक 2) - (निष्पादन लेखापरीक्षा)।

(पंद्रह) मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नौसेना और तटरक्षकबल के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक- संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) का प्रतिवेदन (2020 का प्रतिवेदन संख्याक 1)।

(सोलह) मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वायु सेना के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) का प्रतिवेदन (2020 का प्रतिवेदन संख्यांक 12)।

(सत्रह) मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन लेखा परीक्षा टिप्पणी के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (सिविल) का प्रतिवेदन (2020 का प्रतिवेदन संख्यांक 6)।

(अठारह) मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन लेखा परीक्षा टिप्पणी के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (आर्थिक और सेवा मंत्रालय) का प्रतिवेदन (2020 का प्रतिवेदन संख्यांक 3)।

(उन्नीस) मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रेलवे वित्त के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (रेल) का प्रतिवेदन (2020 का प्रतिवेदन संख्यांक 8)।

(बीस) मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इंडिया स्कीम से मर्चेंडाइज निर्यात (एमईआईएस) और इंडिया स्कीम से सेवा निर्यात (एसईआईएस) संबंधी निष्पादन लेखा परीक्षा के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (राजस्व विभाग - अप्रत्यक्ष कर - सीमा शुल्क) का प्रतिवेदन (2020 का प्रतिवेदन संख्यांक 5)

(इक्कीस) मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (रेलवे) का प्रतिवेदन (2019 का प्रतिवेदन संख्यांक 19) - (लेखा परीक्षा अनुपालन)।

(बाईस) मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रक्षा ऑफसेट्स प्रबंधन के बारे में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक - संघ सरकार (रक्षा सेवाएं - थल सेना) का प्रतिवेदन (2019 का प्रतिवेदन

संख्यांक 20) (निष्पादन लेखा परीक्षा)।

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2017-2018 के लिए जम्मू - कश्मीर सरकार - विनियोग लेखे।

(दो) वर्ष 2017-2018 के लिए जम्मू - कश्मीर सरकार - वित्त लेखे (खंड-।)।

(तीन) वर्ष 2017-2018 के लिए जम्मू - कश्मीर सरकार - वित्त लेखे (खंड-॥)।

(चार) वर्ष 2018-2019 के लिए रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे।

(पांच) वर्ष 2018-2019 के लिए रेलवे के विनियोग लेखे (भाग । - समीक्षा)।

(छह) वर्ष 2018-2019 के लिए रेलवे के विनियोग लेखे (भाग ।। - विस्तृत विनियोग लेखे)।

(सात) वर्ष 2018-2019 के लिए रेलवे के विनियोग लेखे [भाग ।। - विस्तृत विनियोग लेखे (अनुबंध - छ)]

(आठ) वर्ष 2018-2019 के लिए संघ सरकार - डाक सेवाओं के विनियोग लेखे ।

(नौ) वर्ष 2018-2019 के लिए संघ सरकार -विनियोग लेखे (सिविल) ।

(3) वर्ष 2018-19 के लिए संघ सरकार-वित्तीय लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

2. प्रश्न

चूंकि वर्तमान सत्र अर्थात 17वीं लोक सभा के चौथे सत्र में तारांकित प्रश्नों की सूची की व्यवस्था को समाप्त किया गया है, इसलिए अतारांकित प्रश्न संख्या 2071-2300 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

3. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना दीः-

(एक) कि 22 सितम्बर, 2020 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा, लोक सभा द्वारा यथापारित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2020 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) कि 22 सितम्बर, 2020 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा, लोक सभा द्वारा यथापारित आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(तीन) कि 22 सितम्बर, 2020 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा, लोक सभा द्वारा यथापारित बैंककारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(चार) कि 22 सितम्बर, 2020 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा, लोक सभा द्वारा यथापारित कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2020 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(पाँच) कि 22 सितम्बर, 2020 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा, लोक सभा द्वारा यथापारित राष्ट्रीय न्यायालयिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(छह) कि 22 सितम्बर, 2020 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा, लोक सभा द्वारा यथापारित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2020 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(सात) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 19 सितम्बर, 2020 को पारित कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों का शिथिलीकरण और संशोधन) विधेयक, 2020 के बारे में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

4. राज्य सभा से संदेश

महासचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की भी सूचना दीः-

(एक) कि 23 सितम्बर, 2020 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा, लोक सभा द्वारा यथापारित विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2020 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(दो) कि 23 सितम्बर, 2020 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा, लोक सभा द्वारा यथापारित अर्हित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक, 2020 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(तीन) कि 23 सितम्बर, 2020 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा, लोक सभा द्वारा यथापारित उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2019 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(चार) कि 23 सितम्बर, 2020 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा, लोक सभा द्वारा यथापारित औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(पाँच) कि 23 सितम्बर, 2020 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा, लोक सभा द्वारा यथापारित सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(छह) कि 23 सितम्बर, 2020 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा, लोक सभा द्वारा यथापारित जम्मू-कश्मीर राजभाषा विधेयक, 2020 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(सात) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 18 सितम्बर, 2020 को पारित विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2020 के बारे में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(आठ) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 18 सितम्बर, 2020 को पारित विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2020 के बारे में लोक सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।

5. प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन

श्री गिरीश भालचन्द्र बापट ने प्राक्कलन समिति (2020-21) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत कियेः-

(1) कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) से संबंधित "अखिल भारतीय सेवाओं के प्राक्कलन और निष्पादन समीक्षा" विषय पर 26वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर समिति का सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी तीसरा प्रतिवेदन।

(2) रक्षा मंत्रालय से संबंधित "सशस्त्र बलों की तैयारी - रक्षा उत्पादन और खरीद" विषय पर 29वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर समिति का सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी चौथा प्रतिवेदन।

(3) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित "नाभिकीय संयंत्रों के लिए यूरेनियम का आयात" विषय पर 31वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर समिति का सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी पांचवा प्रतिवेदन।

6. सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री राजेन्द्र अग्रवाल ने सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत कियेः-

(1) "रेल मंत्रालय से संबंधित लंबित आश्वासनों की समीक्षा" के बारे में दसवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(2) "आश्वासनों को छोड़े जाने के बारे में अनुरोध (माने गये)" के बारे में ग्यारहवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)

(3) "आश्वासनों को छोड़े जाने के बारे में अनुरोध (नहीं माने गये)" के बारे में बारहवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) ।

7. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के प्रतिवेदन

श्री श्याम सिंह यादव ने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2019-2020) के 24वें से 31वें प्रतिवेदन (मूल) और 32वें प्रतिवेदन (की-गई-कार्रवाई) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

8. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अध्ययन दौरे से संबंधित प्रतिवेदन

डॉ. किरिट पी. सोलंकी ने नवंबर, 2019 के दौरान गुवाहाटी, ईटानगर, इम्फाल और कोलकाता में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अध्ययन दौरे से संबंधित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे।

9. मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(1) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने वित्त मंत्री तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण) की ओर से वित्तीय सेवाएं विभाग और निवेश तथा सार्वजनिक आस्ति प्रबंधन विभाग वित्त मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) पर वित्त संबंधी स्थायी समिति के 7वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(2) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने महिला और बाल विकास मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ूबिन ईरानी) की ओर से वस्त्र मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-20) तथा अनुदानों की मांगों (2020-21) पर श्रम संबंधी स्थायी समिति के क्रमशः दूसरे और छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

(3) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री; विज्ञान और प्राद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन) की ओर से निम्नलिखित के बारे में विवरण सभा पटल पर रखेः-

(एक) आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2018-19), (मांग संख्या 5) पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के 108वें और 114वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(दो) जैव प्रोद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) पर विज्ञान और प्रोद्योगिकी वन और जलनायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति के 327वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(4) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ; सूचना और प्रसारण मंत्री तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर) की ओर से सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 8वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

(5) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह) की ओर से उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) पर गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 225वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

(6) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरदीप सिंह पुरी) ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

(7) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोत्तम रूपाला) ने कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2019-20) के बारे में कृषि संबंधी स्थायी समिति के छठें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

(8) संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी) की ओर से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2020-21) के बारे में उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 297वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखा।

सायं 6.10 बजे

10. वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन-समय विस्तार के बारे में प्रस्ताव

श्री पी.पी.चौधरी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया :-

''कि यह सभा वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबंधी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय को संसद के शीतकालीन सत्र, 2020 के दूसरे सप्ताह तक बढ़ाती है।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

***सायं 7.29 बजे**

11. नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्षपीठ के निदेशानुसार, निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 377 के अधीन उठाए जाने वाले विभिन्न मामलों, जैसा कि प्रत्येक सदस्य के नाम के आगे दर्शाया गया है, पर अपने वक्तव्य सभा पटल पर रखे-

(1) श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रीयकृत बैंकों के उपभोक्ताओं द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के बारे में।

(2) श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी द्वारा पवित्र श्रीमद्भागवत गीता को स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शामिल करने और शपथ अधिनियम, 1969 में भी शामिल किए जाने की आवश्यकता के बारे ।

(3) डॉ. संघमित्रा मौर्य द्वारा उत्तर प्रदेश के बदायूं में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बरती गई कथित अनियमितताओं के बारे में।

(4) श्री देवेन्द्र सिंह उर्फ़ 'भोले' द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में इटावा-चकरी टोल प्लाजा पर पथ कर न वसूले जाने की आवश्यकता के बारे में।

(5) श्री छेदी पासवान द्वारा बिहार के सासाराम संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में 'औषधीय केंद्र' स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(6) श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल द्वारा महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 के तरसोड़-फगने खंड के चार लेन के निर्माण हेतु नया टेंडर जारी किए जाने की आवश्यकता के बारे में ।

(7) श्रीमती शारदा अनिलभाई पटेल द्वारा गुजरात के महेसाणा संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में भूमि से बेदखल हुए स्थानीय परिवारों को ओएनजीसी में रोजगार प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(8) श्री जयंत सिन्हा द्वारा झारखंड में बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति के बारे में।

(9) श्री सुब्रत पाठक द्वारा उत्तर प्रदेश में कन्नौज स्थित फ्रैगरेंश एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर का आरोमा यूनिवर्सिटी के रूप में उन्नयन किए जाने की आवश्यकता के बारे।

(10) श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा बिहार के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों की नदियों को आपस में जोड़ने के बारे में।

(11) श्री ए. नारायण स्वामी द्वारा कारपोरेट-सामाजिक दायित्व नियमों में संशोधन किए जाने के बारे में।

(12) श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 के ऊपरि पुलों (झांसी-कानपुर) पर रोशनी की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(13) श्री संगम लाल गुप्ता द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं में बरती गई कथित अनियमितताओं के बारे में।

(14) श्री मनोज कुमार तिवारी द्वारा दिल्ली के उत्तर-पूर्वी संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में नालों में सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(15) श्री विवेक नारायण शेजवलकर द्वारा अस्पतालों में गैर-कोविड रोगियों के उपचार के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

(16) डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में गोरबोली भाषा को शामिल किए जाने के बारे में।

(17) डॉ. आलोक कुमार सुमन द्वारा बिहार के गोपालगंज संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 (28) पर ऊपरि पुल का निर्माण और गंडक नदी पर पुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता के बारे में।

---

* सायं 6.11 बजे से सायं 7.25 बजे तक, सदस्यों ने अविलंबनीय लोक महत्त्व के मामले उठाए ।

सायं 7.30 बजे

12. सरकारी विधेयक-पारित

महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2020

लिया गया समयः 41 मिनट

श्री मनसुख मांडविया ने विधेयक पर विचार करने के लिए प्रस्ताव पेश किया।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लियाः-

1. डॉ. भारतीबेन धीरुभाई श्याल
2. श्री श्रीकृष्णा देवरायालू लावू
3. श्री अनुभव मोहंती
4. श्री कौशलेन्द्र कुमार
5. श्री पी. रवीन्द्रनाथ कुमार
6. श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश
7. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी

श्री मनसुख मांडविया ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

विधेयक पर विचार के लिए पेश किया गया प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ हुआ।

खंड 2 और 3 स्वीकृत हुए।
खंड 4 से 20 स्वीकृत हुए।
खंड 21 से 76 स्वीकृत हुए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री मनसुख मांडविया द्वारा विधेयक को पारित किये जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ तथा विधेयक पारित हुआ।

रात्रि 8.12 बजे

13. विदाई संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष ने सत्रहवीं लोक सभा के चौथे सत्र के समापन पर विदाई संबंधी उल्लेख किया।

रात्रि 8.20 बजे

14. राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

रात्रि 8.21 बजे

(लोक सभा रात्रि 8.21 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव